Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

मंगलवार, १८ फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

संस्कृत विद्यालय

१८६. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान मे केवल संस्कृत के माध्यम से चलने वाली कुल कितनी (सरकारी और गैर सरकारी) संस्थाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) संस्कृत विद्यालयों के लिए कौनसा पाठ्यक्रम निर्धारित है ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(३) कितने कॉलेज विश्वविद्यालय से सम्बन्धित (एफीलियेटेड) हैं और कब से ?

(४) क्या सरकार संस्कृत शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देती है ? यदि हां, तो कितनी ? उसका वितरण किस आधार पर होता है ?

(५) क्या यह सही है कि ये छात्रवृत्तियां केवल राजकीय पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही मिलती हैं ?

(६) क्या सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया है कि पाठन शुल्क लेने वाली प्राइवेट संस्थाओं को ५० प्रतिशत और न लेने वाली को ७५ प्रतिशत सरकारी सहायता दी जायेगी, इस नियम का पालन कहां तक होता है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (१) सदस्या महोदय की जानकारी के लिए सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(पाठ्य-क्रम एवं नियमावली की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी हैं)

(३) कोई भी नहीं है ।

(४) जी हां, इसके लिए रूल्स बनाये जा रहे हैं । इस साल संस्कृत के. छात्रों को छात्र-वृत्ति देने के लिए २०,०००) रु० रखे गये हैं ।

(५) जी नहीं, राजकीय तथा सहायता प्राप्त दोनों पाठशालाओं को मिलती है ।

(६) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : क्या राजस्थान में संस्कृत पाठशालाओं में दो पाठयक्रम चल

Page No.2

(डॉ० चन्द्रकला)

रहे हैं। एक तो डिपार्टमेंट की ओर से और दूसरा विश्वविद्यालय की ओर से ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : जो मुझे प्रति मिली है वह एक ही मिली है। इसका क्या कारण है ? दोनों ही पाठ्यक्रमों की प्रतियां मिलनी चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गलती से रह गई होगी, मैंने तो दोनों ही भेजी थीं।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या दो पाठ्यक्रम चलाने से संस्कृत की शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता ? यानी एक पाठ्यक्रम तो डिपार्टमेंट की ओर से है और दूसरा विश्वविद्यालय की ओर से; तो आगे जाकर इन दोनों पाठ्यक्रमों का समन्वय कैसे होता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने देखा है कि दोनों पाठ्यक्रमों में कोई खास फर्क नहीं है, कहीं कहीं है जैसे शिलालेखों में। मगर दोनों पाठ्यक्रमों की आधारभूत नीति में फर्क नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जब कि दोनों पाठ्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है तो दोनों पाठ्यक्रमों को एक क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा है कि युनिवर्सिटी से यह रिक्वेस्ट कर दी गई है कि वह संस्कृत का डिपार्टमेंट खोले, इतने में हम अपने डिपार्टमेंट के जरिये कर रहे हैं। जब युनिवर्सिटी अपना डिपार्टमेंट खोल लेती है तो यह सब युनिवर्सिटी में चला जायेगा।

डॉ० चन्द्रकला : क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि विश्वविद्यालय में संस्कृत की कोई फैकल्टी चालू थी, वह क्यों बन्द हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : बीच में जो आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी उसकी मुश्किल थी। इस वजह से यह बन्द हुई।

डॉ० चन्द्रकला : जो यूनिवर्सिटी को २०,००० रु० की सहायता नहीं दी गई उसमें क्या मुश्किल थी और संस्कृत की फैकल्टी के लिए ही यह मुश्किल क्यों हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आर्थिक मुश्किल थी, इस कारण नहीं दे पाये।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार की अंततोगत्वा नीति क्या है ? क्या विश्वविद्यालय ही इन परीक्षाओं को लेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम उनको सूचित कर चुके हैं कि जो धनराशि हम देना चाहते थे वह आर्थिक कठिनाई के कारण नहीं दे सकेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैं यह चाहता था कि सरकार की ओर से इसका उत्तर मिले कि सरकार की अंततोगत्वा क्या नीति रहेगी ? क्या विश्वविद्यालय ही संस्कृत की परीक्षा लेगा या सरकार भी लेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी यह विषय विचाराधीन है। युनिवर्सिटी से बात करके इस मामले में अन्तिम निर्णय करके सूचित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

चारागाह

१८७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में चारागाह की समस्या हल हो गई है ? अगर नहीं, तो कहां कहां हल होना बाकी है ?

(२) क्या यह सही है कि चरागाह के अधिकार पंचायतों को सौंप दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जहां जहां पंचायतें नहीं हैं वहां नगरपालिकाओं को उक्त अधिकार दिये गये हैं ?

(३) चारागाह किन आधारों पर कायम की जाती हैं ? क्या इसकी कोई नियमावली है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जहां जमीनें है वहां चारागाह कायम किये जा चुके हैं लेकिन जहां जमीन प्राप्त नहीं हुई, वहां चारागाहों की कुछ कमी रह सकती है। गांवों की सूची प्राप्त करने में बहुत समय लगने के कारण यह सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी।

(२) जी नहीं।

(३) चारागाह कायम किये जाने के नियम राजस्थान टिनेन्सी रूल्स, १९५५ के रूल्स ३ और ७ में अंकित हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि जमीन उपलब्ध होते हुए भी चारागाह कायम नहीं किये गये हैं ?

श्री सम्पतराम : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ऐसा कोई स्थान है जो चारागाह था और उसकी जमीन दूसरे कामों में ली जा रही है। खास तौर से बीकानेर के पास की जो गोचर भूमि है वह ले ली गई है और वहां गायें अब नहीं चरती हैं?

श्री सम्पतराम : मैं समझा नहीं, कौन सी भूमि गोचर की ले ली गई ?

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर के आसपास में जो गंगासिंह जी के जमाने में बीड़ रखी गई थी वह स्थान आज नहीं है।

श्री सम्पतराम : यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Yes, that is another question.

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि चारागाह की जो जमीन थी उस पर लोगों ने काश्त कर लिया और सरकार उस पर हुई काश्त पर ६ गुना लगान लेती है ?

श्री सम्पतराम : अगर कोई ट्रेसपासर है और बिना इजाजत के किसी ने काश्त किया है तो उससे लगान लेना तो वाजिब है। अगर ऐसा मामला नोटिस में आता है तो इजेक्ट करने की व्यवस्था की जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : लगान लेना तो वाजिब है लेकिन जो जमीन चारागाह के लिए है और काश्त हो रही है सरकार उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं करती क्योंकि सरकार को उससे ६ गुना लगान मिलता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : लेकिन ऑब्जेक्शन करने का अधिकार वहां के लोकल लोगों को भी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किसको अधिकार है ? नम्बरदारों को है, पटवारियों को है या किसको है ?

Page No.4

श्री दामोदरलाल व्यास : चारागाह हमने पंचायतों को दे दिए हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब पंचायत चारागाह नियुक्त करती है तो जहां म्युनिसिपेलिटीज़ हैं वहां क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक डिमाकेटेंड करने का हक है, पंचायतों को चरागाहों का एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया है और उसका इन्तजाम वह करती है। म्युनिसिपेलिटियों को इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि चारागाह म्युनिसिपेलिटी एरिया के बाहर होते हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां पंचायतें भी नहीं हैं और म्युनिसिपेलिटियां हैं, जहां तहसील पंचायतें भी नहीं है, तहसीलदार भी नहीं हैं वहां क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से क्या मतलब है ? कोई एस० डी० ओ० है या क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तहसीलें हैं वहां तहसीलदार हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां तहसीलदार नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हर जगह तहसीलदार हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आवश्यक है। कोई ऐसा एरिया भी है जहां तहसील नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, ऐसा कोई एरिया नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : जो टीनेन्सी रूल्स बने हुए हैं क्या उनमें कोई संशोधन करने की सम्भावना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई सम्भावना नहीं है और न ऐसा सुझाव ही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार के नोटिस में लाया जाय कि जो चारागाह थे उसको लोगों ने काश्त कर लिया, तो उसको छुड़वाने के लिए कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, हां ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८८

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला ।

समाज कल्याण केन्द्र

१८६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समाज कल्याण बोर्ड की ओर से मोढाला में चलने वाले केन्द्र को वहां से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) समाज कल्याण बोर्ड से जयपुर की किन किन संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ? सहायता देने का आधार क्या है ? क्या सहायता प्राप्त सभी संस्थाएं बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करती हैं ?

(३) बोर्ड द्वारा खोले गये जयपुर के

Page No.5

(डॉ० चन्द्रकला)

महिला सदन में अब तक कितनी महिलाओं को आश्रय दिया गया ? जिलों में कहां कहां महिला सदन खोले जा चुके हैं ?

(४) बोर्ड द्वारा जयपुर में संचालित माचिस फैक्ट्री की क्या प्रगति है ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) हां, हटा दिया गया है। समाज कल्याण बोर्ड नगरपालिकाओं के क्षेत्र में समाज कल्याण केन्द्र नहीं चलाता और सोढाला जयपुर नगरपालिका के क्षेत्र में पड़ता है, अतः उक्त केन्द्र को सोढाला से स्थानान्तरित किया गया।

(२) राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जयपुर की निम्नलिखित संस्थाओं को सहायता दी गई है :

१. बाल मन्दिर।
२. राजस्थान बाल विकास समिति।
३. कायस्थ हितकारिणी सभा।
४. कन्या सदाचार पाठशाला।
५. महिला उद्योगशाला।
६. बाल निकेतन।
७. अरुण बाल निकेतन।
८. राजस्थान महिला समाज सेवा संघ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा एक पुस्तिका 'सहायता का कार्यक्रम' छापी गई है जिसमें पृष्ठ संख्या ६ से १४ तक संस्थाओं को अनुदान देने के आधारों व शर्तों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पुस्तिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हां, बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थायें, बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करती है।

(३) राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कोई महिला सदन नहीं खोला गया है। पर समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर में एक महिला सदन खोला गया है जिसमें अब तक ८६ महिलाओं को व बालिकाओं को आश्रय दिया गया है। अभी तक केवल जयपुर जिले में ही पुराने घाट में एक महिला सदन रैसेक्यू हाउस खोला गया है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए एक उत्तर रक्षा गृह (आफ्टर केयर हाउस) अजमेर में व तीन आश्रय गृह (शैल्टर हाउस) भरतपुर जिले में धौलपुर में, कोटा जिले में कोटा में व बीकानेर जिले में बीकानेर में खोले गये हैं।

बोर्ड द्वारा खुलने वाली माचिस फैक्ट्री खोलने की योजना के अन्तर्गत सर्वे आदि का कार्य लगभग समाप्त किया जा चुका है। पर अभी तक नगर विकास मंडल द्वारा भूमि की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। ज्योंही उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो जायेगा त्योंही इस कार्य को प्रारम्भ किया जा सकेगा।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सोढाला में जो केन्द्र प्रारम्भ किया गया था उस वक्त यह मालूम नहीं था कि सोढाला म्युनिसिपल एरिया के भीतर है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : संभवतः ऐसा ही हुआ होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब सरकार की, कहां २ खोलने की, योजना है ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जवाब में बताया है मैंने आपको कि अभी बीकानेर में दो केन्द्र खोल रहे हैं, और उनियारा ....

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि उस केन्द्र की सहायता के लिए गांव वालों ने चन्दा इकट्ठा किया था, किन्तु कुछ दिनों तक वह चला और बाद में बन्द कर दिया गया ? यदि यह सरकार की भूल थी कि यह म्युनिसिपल एरिया है तो क्या उस भूल का सुधार यह हो सकता था कि केन्द्र वहां से हटा दिया जाय ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भूल का सुधार तो यही हो सकता था कि वहां से वह केन्द्र हटा दिया जाय । चन्दा लिया गया यह जानकारी मेरे पास नहीं है । आप यह जानकारी दे दें तो जांच करवा कर पता लगाऊंगा ।

श्री मदनसिंह दांता : चन्दा दे दिया गया है तो भूल हुई है । साथ ही साथ चन्दा वापिस दिया जायगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जानकारी प्राप्त करने पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री मदनसिंह दांता : मगर क्या यह भूल का सुधार नहीं था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सोचने की बात है कि चन्दा दिया हुआ वापिस लेना लोग स्वीकार करेंगे या नहीं ?

प्रश्न संख्या १६०

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६१

श्री प्रभुलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

ग्रामीण पाठशालाओं में काम करने वाली अस्थायी चपरासिनें

१६२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर-सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कि कृपा करेंगे :

गांवों में पाठशालाओं में काम करने वाली अस्थाई चपरासिनों को क्या वेतन मिलता है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) इस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला २५–१–४० की है । यही वेतन श्रृंखला समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिल रही है । इसके अतिरिक्त केवल अंश कालिक रूप से कार्य करने वाली चपरासिनों को जो कि पाठशालाओं में पूरे समय के लिये नहीं रखी जातीं केवल कुछ समय दैनिक कार्य करने के लिए अंश कालिक रूप से रखी जाती हैं, उनको १० रु० मासिक अंश कालिक कार्य का भत्ता मिलता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वह १०) रुपये मासिक अंश कालिक कार्य का जो भत्ता मिलता है वह कितने समय के कार्य का है यानी कितने घन्टे काम करने का मिलता है । है । गांवों के अन्दर १० बजे से ५ बजे तक काम लेते हैं चपरासिनों से और १०) रु० माहवार उनको मिलता है, क्या यह बात सत्य है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह छोटा सा काम है; जैसे पानी पिला दिया या झाड़ू बुहारी का काम, उसके लिए १० से ५ बजे तक का काम हो, ऐसी बात नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या उनको कोई डियरनेस एलाउन्स भी मिलता है ?

Page No.7

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पार्ट टाइम को डियरनेस नहीं मिलता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि १० बजे से ५ बजे तक पूरा काम लिया जाता है, इस प्रकार की जो चपरासिने हैं उनको भी १०) रु० माहवार दिया जाता है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि १० बजे से ५ बजे तक काम किया और १०) रु० माहवार की तनख्वाह दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अगर ऐसी सूचना मिले तो क्या आप विचार करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जांच करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

राज्य पुनर्गठन एक्ट के अनुसार कर्मचारियों का एकीकरण

१६३. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) Whether the inter-laced seniority list of all the integrated staff has been published as required under the States Reorganisation Act.

(b) Since the appointed date of 1-11-1956 till date, how many Rajasthan Government Servants, both gazetted and non-gazetted have been confirmed before their inter-laced seniority lists were published and affected staff given an opportunity of appeal to the adhoc committee as required by the States Reorganisation Act ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (a) The States Reorganisation Act did not require the publication of inter-laced seniority lists. The inter-laced seniority lists of a number of Departments have been declared, but not for all Departments.

(b) No ban against confirmation was placed since the States Reorganisation Act did not contain any provision, prohibiting confirmations. The appointing authorities might have made confirmations in the normal course and this information is not readily available for all departments. Notice is required if detailed information is desired in respect of any particular service or Department. Information regarding Rajasthan Administrative Service, Rajasthan Secretariat Service and Ministerial Service is as follows :

R. A. S.	2
R. S. S.	2
Ministerial Service (Secretariat)	
Office Supdt.	Nil.
U. D. C. S.	Nil.
L. D. C. S.	Nil.
Assistant.	17

श्री पी० के० चौधरी : क्या इन्टरलेस सीनियोरिटी पब्लिश करने के लिए इन्टर-स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स में तय नहीं किया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया था कि स्टेट्स रिआॅर्गेनाइज़ेशन एक्ट के अनुसार यह आवश्यक नहीं है ।

श्री अर्जुनदास : (अश्रव्य)

श्री पी. के. चौधरी : स्टेट्स रिआॅर्गेनाइज़ेशन में यह प्रोवीज़न है कि सीनियोरिटी पब्लिश होने के बाद एडवाइज़री कमेटी के सामने उनको अपील करने का मौका दिया जायगा ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) उसके पहले कन्फर्मेशन नहीं किया जा सकता है, ऐसा रूल नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : कन्फर्मेशन करने के लिए कोई एम्बारगो रखा था ? Did the Central Government put any embargo, rather ban, on confirmaiions ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं ।

श्री पी० के० चौधरी : जो प्रिन्सिपल्स इन्टीग्रेशन के पब्लिश किये गये हैं उनमें यह था कि that there will be no confirmation.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमने जो रूल्स पब्लिश किये हैं उनमें क्या हमने बताया था कि कनफर्मेशन नही होना चाहिए ?

श्री पी० के० चौधरी : जी हां ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे याद नहीं आता ।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

१६४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्व विभाग में किन्हीं के स्थानान्तरण बड़े शीघ्र किये जाते हैं और किन्हीं के बड़े देर से ? यदि हां तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि कितने ही लेखकों व लेखपालों के स्थानान्तरण दस दस वर्षों से नहीं हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) लालसोट में ऐसे कितने लेखक और पटवारी हैं जिनके गत ३ साल से स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं ?

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) (क) स्थानान्तरण प्रशासनिक सुविधानुसार किये जाते हैं उससे किसी का शीघ्र स्थानान्तरण भी हो सकता है ।

(ख) स्थानान्तरण के लिए अवधि निर्धारण का कोई नियम नहीं है, केवल प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किये जाते हैं ।

(ग) लालसोट में २ कर्मचारी व २८ पटवारी हैं जो तीन साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं । सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री प्रभुलाल : कब उनका ट्रान्सफर किया जायगा ?

श्री सम्पतराम : ट्रांसफर के बारे में कोई निश्चित तारीख नहीं है कि उस तारीख को किया जायगा ।

अनुसूचित दलित वर्ग छात्र

१६५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स की किस किस जाति के

Page No.9

(श्री रामकरणसिंह)

कितने छात्र किस किस कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं ?

(ख) जयपुर जिले में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ? उनमें से कितनों को छात्रवृत्ति १९५७–५८ में दी जाने की स्वीकृति हुई है और कितनों को नहीं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़े इस विभाग में नहीं रखे जाते, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जयपुर जिले में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है, सन् १९५७–५८ की छात्रवृत्ति की स्वीकृतियां दी जा रही हैं ; अतः इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि कितनों को छात्रवृत्ति दी गई और कितनों को नहीं ।

श्री रामकरणसिंह : आपने फरमाया कि समाज कल्याण विभाग के अन्दर शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों की कितनी गिनती है, राजस्थान भर में पढ़ने वालों के आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं तो आपके यहां जितने भी होस्टल्स खुलते हैं उनमें किस आधार पर गिनती सही रूप में दी जाती है !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने तो कुल संख्या छात्रों की जाननी चाही है और यह नहीं जानना चाहा कि होस्टल्स में कितनी बढ़ रही है । राजस्थान में जो छात्र शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स की सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी यदि कहीं रखी जा सकती है तो वह शिक्षा विभाग है, यद्यपि वहां भी यह मुश्किल है क्योंकि सारे राजस्थान की संख्या मांगी गई है ।

श्री रामकरणसिंह : क्या समाज कल्याण विभाग में शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों की सर्वे नहीं कराई है और बिना जाने ही छात्रावास खोल दिये हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : संभवतः शायद इसकी कोई आवश्यकता नहीं हुई हो यह कोई आवश्यक नहीं है कि तमाम छात्रों का सर्वे किया जाय ।

श्री रामकरणसिंह : छात्रावास किस आधार पर खोले हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आधार तो पहले बताये जा चुके हैं । छात्रावास की जानकारी मिल सकती है ।

श्री रामचन्द्र : यदि समाज कल्याण विभाग में इस प्रकार के आंकड़े कि राजस्थान में किन किन स्कूलों में कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो समाज कल्याण विभाग को किस प्रकार से पता लग सकता है कि शिक्षा की प्रगति उनमें कैसी हो रही है और आगे क्या स्थिति है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसी कोई बात नहीं है कि आंकड़े प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामचंद्र : समाज कल्याण विभाग में एक पर्मानेन्ट रेकॉर्ड क्यों नहीं रखा जाता है ताकि समय समय पर उसको ज्ञान होता रहे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है । यह तो आवश्यक है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : छात्रवृत्ति देने की दृष्टि से वह आवश्यक नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : ५७-५८ में कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं, यह प्रश्न है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : छात्रवृति देना अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मंजूरी दी जा रही है। फर्वरी के आखिर में सब मन्जूरी हो जायगी तो फर्वरी के आखिर में यह जानकरी आपको दे दी जायगी।

श्री रामकरणसिंह : ५७-५८ की जो छात्रवृत्ति दी जायगी क्या वह मार्च के बाद में दी जायगी, जब कि मान लें कि १० वीं क्लास में पढ़नेवाले लड़के हैं किसी जगह तो वे और दूसरी जगह चले जायं और उसके बाद में छात्रवृत्ति स्कूलों में आ जाय तो वहां से वापिस लौटकर आ जांय और वह केन्सिल हो जांय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनको दो किश्तों में दी जाती है। कुछ पहले दी जाती हैं और कुछ बाद में दी जाती हैं। इससे आप जो दिक्कत बताते हैं वह नहीं होती है।

श्री रामकरणसिंह : क्या पहली किश्त दी जा चुकी है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है, लेकिन दी जा चुकी होगी।

श्री रामकरणसिंह : क्या आपको इस बारे में पूरी जानकारी है कि पहली किश्त दी जा चुकी है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस संबंध में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है कि दी जा चुकी है।

श्री रामकरणसिंह : आपने बताया कि दो किश्तें दी जाती हैं, तो किस आधार पर बताया ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी के आधार पर बताया है।

अध्यापकों की नियुक्ति

१६६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल की अनुपस्थिति में) : Will the Education Minister be pleased to state :-

(1) Whether the Rajasthan Public Service Commission has recently advertised Posts of Lecturers for Inter Classes in Degree and Post Graduate Colleges?

(2) What is the position of Lecturers already selected by the Rajsthan Public Service Commission for Inter Colleges vis-a-vis. Lecturers for Inter Classes in Degree and Post Graduate Colleges?

(3) Are these posts inter-transferable?

(4) Is the Government considering the advisability of promoting Lecturers selected by Rajasthan Public Service Commission for Inter Colleges to officiate in Degree and Post-Graduate Colleese instead of resorting to direct recruitment.

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (a) Yes Sir.

(2) The Lecturers selected for

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

Inter classes in Degree and post-Graduate Colleges by P. S. C. are to be retained in Degree and Post-Graduate Colleges only, whereas there is no such likelihood for lecturers of Intermediate Colleges. The latter may or may not be absorbed in Degree Colleges when all the Inter Colleges are either abolished or raised to Degree standard under 3 years Degree course. If these Lecturers are found to be surplus to the needs of Colleges, they may have to be absorbed in Higher Secondary Schools, with their pay, scale and status intact.

The Lecturers of Inter Colleges can also seek selection to these posts through P. S. C. and with their experience they may perhaps stand better chances of selection for these posts.

(3) The two types of posts are not inter-transferable. Lecturers selected for teaching Inter classes in Degree and Post Graduate Colleges shall of necessity haye to be kept in Degree aned post-Graduate Colleges only and they cannot be posted in Intermediate Colleges. On the other hand, Lecturers of Inter Colleges cannot, on right, claim posting in higher Colleges. They may be posted as such according to needs of these Colleges.

(4) As regards promotion for officiating arrangements, the Rajasthan Education Service Rules are being framed.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इन्टर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों में इन्टर क्लासेज़ को पढ़ाने के लिये जो लेक्चर्स नियुक्त किये जाते हैं क्या उनकी क्वालिफिकेशन्स सेम होती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तब डिग्री कॉलेज में जब प्रोमोशन का चान्स होता है तब उनको क्यों नहीं लिया जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (४) के उत्तर में कहा है :

"As regards promotson for officiating arrangements the Rajasthan Education Service Rules are being framed."

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा कि इन्टर कॉलेजेज़ को एबोलिश किया जायगा, either they will be raised to Degree colloges or they will be in Higher Secondary Schools; यह कब तक की स्कीम है

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Say six or seven years.

पुरुषार्थी सहकारी समितियां

१६७. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कितनी और कौन कौन सी रिफ्युजी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ?

(२) इन सोसाइटीज़ के लिए दिसम्बर

Page No.12

(डॉ० चन्द्रकला)

१९५७ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी रकम मन्जूर की गई हैं ?

(३) सरकार इस रकम को समय के भीतर ले लेने के लिए क्या कर रही है?

(४) क्या यह सच है कि यदि यह रकम निश्चित समय के भीतर नहीं ली जायेगी तो वह फिर न मिल सकेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) राजस्थान में निम्न प्रकार की रिफ्यूजीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं :

(अ) शहरी वाणिज्य एवं उद्योग संबंधी सहकारी समितियां।

(ब) खेती बाड़ी सम्बन्धी सहकारी समितियां।

(स) भवन निर्माण सम्बन्धी सहकारी समितियां।

क्रमानुसार समितियों की संख्या इस प्रकार है :

(अ) शहरी वाणिज्य एवं उद्योग सम्बन्धी सहकारी समितियां—४५ : जयपुर १, जोधपुर १३, भरतपुर ७, कोटा १, अजमेर २१।
(ब) खेती बाड़ी संबंधी सहकारी समितियाँ ५ : जयपुर १, सवाईमाधोपुर १, बूंदी १, कोटा २.
(स) भवन निर्माण संबंधी सहकारी समितियां ९: जयपुर ६, उदयपुर ३.

(२) प्रश्न में दिसम्बर सन् १९५८ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई धन राशि के आंकड़ों के बारे में पूछा गया है, शायद वर्ष १९५८ न होकर १९५७ है। दिसम्बर सन् १९५७ तक स्वीकृत की गई धन-राशियां इस प्रकार हैं : (अ) शहरी वाणिज्य एवं उद्योग संबंधी समितियां ६,७१६००
(ब) खेती बाड़ी सम्बन्धी समितियां १,९४७२४
(स) भवन निर्माण संबंधी समितियां ७०,९३,२००
योग ७९,५९,५२४

(३) जहां तक पहली और दूसरी श्रेणी की समितियों का सम्बन्ध है, स्वीकृति राशि इन समितियों को दी जा चुकी है। तीसरी श्रेणी की समितियों के लिये स्वीकृति राशि में से ५९—,—८८—, २५८ रुपये की धन-राशि दी जा चुकी है, बाकी ११,०४,९४२ रुपये धन-राशि को लेने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है और भारत सरकार से चालू वर्ष के लिये ४,००,००० और १९५८-५९ के लिये ७, ०४, ९४२ की मांग की है।

(४) भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार स्वीकृत रकम को सन् १९५८-५९ के भीतर-भीतर खर्च करना आवश्यक है। राज्य सरकार उसके अनुसार सारी रकम १९५८-५९ के भीतर—भीतर प्राप्त करने और समितियों को देने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

निर्माण कार्य (विकास)

१९८. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या मुख्य मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) धौलपुर जिले के निर्माण कार्यों के लिए सन् ५७—५८ के बजट में जो धनराशि स्वीकृत हुई थी उसमें से कितने कार्यों पर रुपया व्यय हो चुका है और कितने कार्य अभी अधूरे हैं ?

(ख) जिन कार्यों पर रुपया व्यय नहीं किया गया है उसके क्या कारण हैं ? उनकी सूची जो सदन की मेज पर रखें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): धौलपुर जिले के निर्माण कार्यों के लिये राजस्थान के ५७—५८ के बजट में जो धन राशि स्वीकृत हुई उसमें से किसी भी कार्य पर व्यय नहीं हुआ।

(ख) जिन कार्यों पर रुपया व्यय नहीं किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। रुपया व्यय न होने का कारण यह है कि ये कार्य वोलन्टेयरी ओर्गेनाइज़ेशन्स द्वारा कराये जाते हैं तथा इसमें देरी होने की भी संभावना रहती है:

List of local development works sanctioned during 1957-58 for Dholpur Sub-Division.

S. No.	Name of the work	Total cost of work	Govt. share	Public contribution
1.	Repairs to drinking water well at Ghani-Chitipura	624	312	312
2.	Repairs to drinking water well in village Pilua	600	300	300
3.	Latrines and Urinals in School Panchgano	544	272	272
4.	Pavements of Drains & Lanes	1200	500	700
5.	Extension of Primary School Building-Tehri	1600	800	800
6.	Extension of Primary School Building, Varehmorei	2000	500	1500
7.	Repairs to well at Shasatnagar	600	300	300
	Total	[illegible]	2,184	4,184

श्री सूबेदारसिंह: क्या यह सही है कि धौलपुर सब-डिविज़न के गांव मनियापुरा और परमेरी में पुलिस स्टेशन बनाने की स्कीम थी, लेकिन अभी तक नहीं बना?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: पुलिस स्टेशन बनाने का प्रश्न निर्माण विभाग से संबंधित है; यह डेवलपमेन्ट विभाग से ताल्लुक नहीं रखता। पुलिस स्टेशन तक तो बहुत से कार्य और हैं, क्या वे सब डेवलपमेन्ट में आने चाहिये?

श्री सूबेदारसिंह: प्रश्न यह है कि जितने भी निर्माण के कार्य हैं उन सब से संबंध डेवलपमेन्ट का है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यदि पी. डब्ल्यू. डी. से प्रश्न का संबंध है तो पी. डब्ल्यू. डी. विभाग से प्रश्न पूछते।

श्री सूबेदारसिंह: जब मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो बाकी रह क्या गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह प्रश्न पर डिपेन्ड करेगा।

नम्बरदारों का पिचोतरा

१९९. **श्री मोहरसिंह** (चूरू): क्या राजस्व

(श्री मोहरसिंह)

मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील (जिला चूरू) के डींगली, स्योपरा, बैरासर बड़ा बैरासर, मझला, ढानी मौजी, जैतपुरा आदि ग्रामों के नम्बरदारों का पिचोतरा रुका हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों और यह उन्हें कब तक दे दिया जावेगा ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) और (ख) राजगढ़ तहसील के ग्राम डींगली, स्योपरा, बैरासर बड़ा के चौधरियान को कोई पिचोतरा देना बाकी नहीं है। ढाणी मौजी के चौधरियान श्री धोलाराम व दिलसुखराम को तथा ग्राम जैतपुरा के गिरधारी व परमा को चौधरियान को एस० डी० ओ० की आज्ञा से बर्खास्त करने के कारण पिचोतरा नहीं दिया गया। बैरासर मंझला का पिचोतरा सम्वत् २०१२ का उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि इनके जिम्मे पिछली सालों की बकाया थी, अब सब बकाया जमा हो चुकी है इसलिए अब उनको पिचोतरा दे दिया जायगा।

श्री मोहरसिंह : कब तक पिचोतरा दे दिया जायगा ?

श्री सम्पतराम : १ महीने के अंदर अन्दर दे दिया जायगा।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह चौधरियान क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं

२००. **मुरलीधर व्यास** : (श्री भीमसेन की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

पिछले ५ वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किन-किन शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिये कितनी-कितनी धनराशि सहायता एवं ऋण के रूप में स्वीकृत की गई ? उसमें से कितनी धनराशि का राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया गया एवं कितनी शेष है ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसका स्टेटमेन्ट सदन की मेज़ पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

एक माननीय सदस्य : सूची पढ़ दीजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेन्ट है। बाद में देख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : सप्लीमेन्ट्री कैसे पूछें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

किसानों से लिया जाने वाला चन्दा-फुन्ड

२०१. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर डिविजन में रिफाए आम या चन्द्र कुन्ड के नाम से किसानों से लगान के साथ जो रकम जमा की जाती थी

(श्री मोहरसिंह)

वह किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी जमा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे ।

(ख) क्या यह सही है कि कुन्ड, कुओं व जोहड़ों के निर्माण में खर्च करने के लिए ग्रामीणों द्वारा बार-बार मांगे जाने पर भी वह रकम उन्हें लौटाने में देरी की जा रही है ?

उप राजस्व मंत्री (**श्री सम्पतराम**) :

(क) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(ख) अभी रकम वापिस किये जाने की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है । नियमानुसार जैसा उचित होगा वैसी कार्यवाही की जायगी ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मोहरसिंह : विचाराधीन कब से है ?

श्री संपतराम : जब से लोगों ने मांग शुरू की ।

श्री मोहरसिंह : कब से मांग होने लगी थी ?

श्री संपतराम : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर डिविजन में बहुत से गांव हैं लगभग सभी तहसीलों से चंदा इक्ट्ठा किया गया था । डिटेल में कब मांग की कब नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने में समय चाहिये ।

श्री मोहरसिंह : जब बीकानेर रियासत में पैसा लिया जाता था तब मांग करने पर फौरन मिल जाता था । लेकिन अभी ३-४ वर्ष से पैसे मिलने में देरी हो जाती है । ऐसा करने से क्या काम होने में देरी नहीं होती ?

श्री संपतराम : यह मैं नहीं मानता कि मांग करते हैं और नहीं मिलता है । यदि ऐसा होता है तो नोटिस में लाइये, विचार करेंगे ।

श्री मोहरसिंह : दो-तीन वर्ष से देरी हो जाती है ।

श्री मदनसिंह दांता : पहली मांग पर कब विचार किया गया ?

संस्कार-केन्द्र सिलाई-शिक्षा

२०२. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपुतली): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटपुतली में टेलरिंग कक्षा संस्कार-केन्द्र खुलवाने हेतु प्रार्थना-पत्र आये ?

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) सन् ५७ में निरीक्षक महोदय कोटपुतली कौन-कौनसी तारीखों को किस काम हेतु गये तथा क्या इनमें से कोई भी कार्य पूरा किया गया ?

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष नये टेलरिंग कक्षा व संस्कार-केन्द्र खोलने का तो प्रावधान नहीं है और छात्रावास का प्रावधान खत्म हो गया, अत: उसे अगले वर्ष के लिये स्थागित कर दिया गया ।

Page No.16

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(ग) सन् ५७ में निरीक्षक महोदय, कोट पुतली, दिनांक ३०–७–५७ को जांच करने गये। हां, जांच का कार्य पूरा किया गया।

(घ) जांच पूरी की जाकर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है।

श्री रामकरणसिंह : आपने फर्माया कि ता० ३०–८–५७ को निरीक्षक महोदय कोटपुतली में जांच करने गये और जांच का काम पूरा कर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। जांच पेश करने के बाद विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसमें यह पाया गया कि जो शिकायत थी उसका संबंध इलेक्शन से था, इसलिए उसके बारे में विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि ता० ३०–८–५७ को जो निरीक्षक महोदय कोटपुतली गये थे, वे किसी कॉन्फीडेंशियल काम के अलावा हरिजनों के मकान ढ़ह गये थे, उनकी लिस्ट तैयार करने गये थे ? वे वहां से लिस्ट तैयार करके भी लाये थे, उस लिस्ट पर क्या कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी नहीं है। जीवनसिंह चौहान की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था और उसमें जो प्रस्ताव पास हुए थे, उनकी जांच करने के लिए गये थे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अर्दली)

२०३. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य कर्मचारियों के निवास स्थान पर अर्दली रखने के बाबत सरकार की क्या नीति है ?

(२) एक राज्याधिकारी अपने निवास-स्थान पर अधिक से अधिक कितने अर्दली रखने का अधिकारी है ?

(३) क्या अर्दली की संख्या निश्चित करना किसी नियम पर आधारित है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) सरकार की राज्य कर्मचारियों के लिए अर्दली रखने की नीति आज्ञा संख्या १२ (इन्ट) ए। ५२ दिनांक २२. ३. ५२ पर निर्धारित है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। निवास-स्थान पर अर्दली रखने के कोई अलग आदेश नहीं हैं।

(ख) इसके सम्बन्ध में कोई अलग आदेश नहीं हैं। यह प्रत्येक राज्याधिकारी की इच्छा पर छोड़ा गया है।

(ग) अर्दली की संख्या उपरोक्त आज्ञा दिनांक २२. ३. ५२ के अनुसार निर्धारित है।

[(क) के उत्तर में उल्लिखित नीति आज्ञा प्रतिलिपि अनुपलब्ध]

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सत्य है कि जो अर्दली रखे जाते हैं उनसे घरेलू काम लिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा साहब, आप कृपया शांति रखिये। हर एक प्रश्न पर आप के द्वारा प्रश्न पूछना जरूरी नहीं है।

(हंसी)

श्री रामचन्द्र : अर्दली को रखा जाता है, वह क्या मकान की सफाई करने के लिए, बरतन धुलवाने के लिए और कपड़े धुलवाने के लिए रखा जाता है, या सरकारी कार्य के लिए रखा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऑफिस के, सरकारी काम के लिए रखा जाता है।

श्री रामचन्द्र : फिर उनसे घर के कपड़े-लत्ते क्यों धुलवाये जाते हैं, उनसे बरतन क्यों मंजवाये जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके लिए सख्त मुमानियत है।

श्री मूलचन्द डागा : राज्य सरकार की आज्ञा जारी होने के बाद उसको अमली रूप न देने पर क्या सरकार कोई कार्यवाही करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जांच की जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : किसके द्वारा जांच की जाती है ? आज तक कितने केसेज़ में जांच हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिसके खिलाफ शिकायत होती है, उसके ऊपर के अफसर के द्वारा जांच होती है।

एक माननीय सदस्य : आज तक कितने केसेज़ में जांच की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह आम शिकायत है, यह कोई अपवाद नहीं, क्या इसकी जांच की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसकी जांच नहीं की जा सकती है, जब तक कि कोई तथ्य सामने न हो। सिर्फ आम शिकायत कह देने से ही आम शिकायत नहीं हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री अनूपसिंह : श्री लक्ष्मीचन्द अनुपस्थित हैं। इस प्रश्न का उत्तर दिये जाने की प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० २०४।

नायब तहसीलदार

२०४. श्री अनूपसिंह (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नायब तहसीलदारों के परीक्षा-फल निकले करीब ३ माह हो चुके हैं मगर उनका पोस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उनका पोस्टिंग इसी कारण से नहीं हुआ कि कुछ डिपार्टमेन्टल व्यक्तियों को प्रमोशन देकर उनसे सीनियर करने का सरकार का इरादा है ?

(३) सरकार इनका पोस्टिंग करने का कब तक विचार रखती है व कितनों का ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां १८-१०-५७ को परीक्षा फल निकला था। सफल घोषित किये गये, ६७ नायब तहसीलदारों की नियमानुसार डॉक्टरी परीक्षा करने का आदेश दिया जा चुका है। मेडिकल का नतीजा आने पर उनकी नियुक्ति की जायगी।

Page No.18

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) जी नहीं ।

(३) इनका पोस्टिंग शीघ्र ही किया जायेगा । पोस्टिंग केवल ६७ नायब-तहसीलदारों की करनी है ।

श्री अनूपसिंह : एक प्रश्न रह गया है ।

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली ऊँची परीक्षाओं पर प्रतिबन्ध

२०५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) शिक्षा विभाग के सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त दूसरे सरकारी कर्मचारियों को ऊंची परीक्षायें देने के लिए सरकार की तरफ से रोक क्यों है ?

(२) क्या यह रोक हटाने की भी संभावना है ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) चूंकि इससे विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के परीक्षा की तैयारी में तल्लीन रहने के कारण राज्य कार्य में बाधा होना स्वाभाविक है अतएव ऐसा किया गया ।

(२) जी नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : यदि कोई व्यक्ति विकास करना चाहता है तो इस प्रकार की कार्यवाही कर उसके विकास को रोकना न होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सर्विस के रूल्स बनाने का अधिकार सरकार को है ।

डॉ. चन्द्रकला : परीक्षाओं के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की योग्यता बढ़ जायगी, वह क्या आगे जाकर सरकार के लिए सहायक न होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या अन्य प्रान्तों में भी इस प्रकार की इन्कारी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक मेरी जानकारी है, अन्य प्रान्तों में इस प्रकार की रोक है ।

श्री मूलचन्द डागा : शिक्षा विभाग के अध्यापक हैं, उनको परीक्षा के लिए स्वीकृति दी जाती है, क्या इससे काम में बाधा नहीं होती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यापकों के कई पीरियड खाली होते हैं और उनको इतना अवकाश मिलता है जितना कि सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता है ।

प्रश्न संख्या २०६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०७

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

Page No.19

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या २०८

श्री बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी ।

आर०ए०एस० में संकट कालीन भर्ती

२०८. श्री पी० के० चौधरी (फुलैरा): Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) How many candidates appeared for the last R. A. S. Emergency recruitment written examination, and how many of them qualified for the viva voce test ?

(b) How many of these candidates were recommended by the R. A. S. Emergency recruitment Board for appointment and how many of them have actually been selected by the Government for appointment ? (A copy of the panel recommended by the Board maybe placed on the Table of the House.)

(c) Whether the persons who have been selected for appointment have been taken from the panel recommended by the recruitment Board strictly in the order of merit ?

(d) Is it a fact that the Emergency Recuirtment Board allowed a candidate, who failed to qualify at the written test to appear for viva voce and the candidate has now been finally selected by the Government for appointment ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया):

(a) 1287.

(b) 555.

(c) 62 candidates were recommended by the Board including 3 persons previously in service of Ajmer Government who were made eligible for consideration. 42 candidates were selected including 2 from among the Ajmer personnel. (A copy of the panel of names recommended by the Recruitment Board is placed on the Table of the House).

(d) No exceptions were made according to the Rules to fill up the quota prescribed for Tehsildars and Scheduled Caste candidates.

(d) (i) Yes, in reply to the first part of the question, since the rules provided for interview of the Scheduled Caste candidate who did not secure qualifying marks.

(d) (ii) No, in reply to the second part of the question.

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कितना कोटा होता है इन ४२ में से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : This I would not be able to say exactly.

Page No.20

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट का जितना पर्सेन्टेज है उतना देना होता है ।

श्री पी० के० चौधरी : It is a valid supplementary question; when out of these 52 the Hon. Minister replies that they have been taken strictly in order of merit list, then who are those persons ? Either the persons who are taken must be scheduled caste or scheduled tribes.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I will just inform. For emergency 25% were reserved for candidates from tehsildars etc. and 75% seats were kept for candidates from open market. Within the later, 12½% were reserved for scheduled castes and scheduled tribes.

श्री पी० के० चौधरी : How many of these people are of scheduled castes; out of these 42 ?

श्री अध्यक्ष : It is a matter of calculation.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, whether the full quota of scheduled castes has been taken, that has not been clarified.

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : शिड्यूल्ड कास्ट में से कितने लिये गये थे, यह बताने की कृपा करें ।

(उत्तर नहीं दिया)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That would also again depend upon merit and it is not necessary that they do not qualify, they may be taken.

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : शिड्यूल्ड कास्ट में से कितने व्यक्ति लिये गये थे, उनके नाम बता दें ।

श्री सम्पतराम : एक आदमी को लिया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : उनकी जाति बताने की कृपा करें । ऐसे बहुत से आदमी हैं जो अपने को शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का बताते हैं ?

श्री सम्पतराम : सी. एल. कंवरिया ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : वह पहले से हैं, अजमेर स्टेट से आये थे ।

श्री अर्जुनदास : वह पहले से था । Sir, Shri C. L. Kanwaria was already in service.

श्री अध्यक्ष : But not in R. A. S.

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सत्य है कि वह पहले से गजेटेड ऑफिसर की लिस्ट में था अजमेर में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ढूंढ रहे हैं ।

श्री अर्जुनदास : पढ़ कर भी जवाब नहीं दिया गया है, it is the contempt of the House. How many presons from scheduled castes have been taken.

श्री अध्यक्ष : Supplementaries are very wide.

श्री अर्जुनदास : We want to know. It is the contempt of the House. How many have been taken ?

Page No.21

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : What he wants to know ?

श्री अध्यक्ष : How many presons from scheduled castes have been taken, one or two ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : One probably.

श्री पी. के. चौधरी : My question was whether the item No. 61 of the panel has been selected ? If selected, in which quota he comes ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I could not follow.

श्री पी. के. चौधरी : Item No. 61 of the panel recommended by the Board, whether he has been appointed by the Government and if appointed in which quota he comes: scheduled castes or Tehsildars ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I have already mentioned that we have selected only 42.

श्री पी. के. चौधरी : Out of these 42, about item No. 61-is item No. 61 is one of those 42 ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :We have selected only first 42.

श्री पी. के. चौधरी Then, no, you have not strictly taken according to merit. No. 42 has been appointed by the Government in R.A.S.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : You mean Shri Radhey Shyam ? I will just let you know. He has been appointed from the quota of tehsildars.

प्रश्न संख्या २१०

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

शिक्षण-संस्थायें

२११. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले में डिग्री और इन्टर कॉलेज व माध्यमिक तथा हाई स्कूल कहां कहां पर हैं तथा इनमें से कितनी संस्थायें कहां-कहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ?

(ख) क्या सरकार नीम का थाना तहसील में एक कॉलेज और प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(क) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) यहां पर मकान अभी हाई स्कूल के लिये ही पर्याप्त नहीं हैं इसलिये कालेज खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या २१२

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह ।

Page No.22

बिक्री कर के नियम

२१३. श्री अनूपसिंह (डूंगालोतरा) : Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state :

(a) Is it a fact that whereas the Sales Tax Act came into force on 1-4-55 the Rules under the same Act were enforced on 25-3-55. ?

(b) Can the Rules be enforced before the Act comes into force ?

उप मंत्री, कर व आबकारी (श्री संम्पतराम) : (a) No.

(b) No.

श्री अनूपसिंह : एक्ट फोर्स में नहीं आता उसके पहले ही एक्ट के रूल्स एन्फोर्स हो जाते हैं क्या ?

श्री सम्पतराम : इसका जवाब मैं दे चुका हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is It also a fact that writ petitions have been filed in High Court and whether they will be valid ?

श्री सम्पतराम : I do not know.

श्री अनूपसिंह : आपका जवाब मालूम नहीं पड़ा कि एक्ट के पहले रूल्स एन्फोर्स हो सकते हैं क्या ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा, "नहीं ।"

श्री अनूपसिंह : रूल्स फोर्स में आये हैं २५. ३. ५५. को ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, this is not in my knowledge. This was only by a mistake, as the rules could not come into force before the Actt itself. Perhaps the Hon. member wants to say that these rules were published earlier than the Act came into existence, these were ultra vires. I would like to draw attention to section...

श्री अध्यक्ष : From which date ? Were the rules enforced and not published ?

श्री सम्पतराम : २८ तारीख से (मार्च) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When did the Act came into force-three days later ?

श्री सम्पतराम : The Act came into force on 1-4-55.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rightly; rules were enforced three days prior ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पोजिशन को साफ कर दूं....

श्री अध्यक्ष : कर दीजिये ।

(हंसी)

श्री सम्पतराम : जिस तरह माननीय सदस्य ने पूछा है, उन्होंने तारीख के सम्बन्ध में गलती की है उसी तरह हमारे यहां से भी गलती हुई है । जिस तारीख से गजट में पब्लिश किया जाता है उसी तारीख से फोर्स में आना चाहिये परन्तु बिलकुल से एक्ट के एग्ज़िस्टेन्स में आने के पहले ही रूल्स को

(श्री सम्पतराम)

एन्फोर्स कर दिया। अल्ट्रावायरस का पूछा, तो मैंने बताया है कि अल्ट्रावायरस नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ज्ञानचन्द मोदी।

माध्यमिक पाठशाला

२१४. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का-थाना) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) छावनी सवाई रामगढ़, नीमकाथाना कन्या माध्यमिक स्कूल भवन का किराया कितने समय का बाकी है ?

(ख) क्या सरकार के पास मकान खाली कराने की कोई सूचना आई है ? यदि हां, तो कितने समय में खाली कराने का नोटिस है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जनवरी ५०

फरवरी ५०।

अक्टूबर ५० से जून ५१

अप्रेल ५३ से मई ५४ तक का किराया चुकाना बाकी है।

इसमें से जनवरी ५०, फरवरी ५०, अक्टूबर ५० से जून ५१ तथा अप्रेल ५३ से जुलाई ५३ तक का बिल बना कर सीकर ट्रेज़री भेजा जा रहा है। पास हो कर आते ही चुका दिया जावेगा। अगस्त ५३ से मई ५४ तक के किराये का बिल अगले वर्ष की ग्रान्ट में से बना कर भेजा जावेगा क्योंकि इस साल की ग्रान्ट में बचत नहीं है।

(ख) जी नहीं।

प्रश्न संख्या २१५

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न का उत्तर आ चुका है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

ऊन के कारखाने की स्थापना

२१६. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चूरू जिले से काफी मात्रा में ऊन बाहर भेजी जाती है ?

(२) क्या चूरू जिले में ऊन साफ करने का कोई कारखाना खोले जाने की संभावना है ?

(३) यदि हां, तो क्या उक्त कारखाना सरकार तारानगर में खोलने का विचार रखती है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) नहीं, केवल लगभग १००० मन ऊन प्रतिवर्ष निर्यात की जाती है।

(२) नहीं, ऊन उत्पादन व निर्यात के आंकड़ों को देखते हुए ऐसा कारखाना खोलना लाभप्रद नहीं होगा।

(३) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

हरिजनों को कुए बनाने हेतु दी गई सहायता

२१७. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा कुए बनाने हेतु जिला जयपुर के किस किस गांव

Page No.24

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

में तथा किस किस हरिजन को अप्रेल, १९५६ से दिसम्बर, १९५७ तक कितना कितना रुपया सहायतार्थ दिया गया ?

(ख) उपरोक्त गत २ वर्षों में राजस्थान के प्रत्येक जिले में कुए बनाने हेतु कितनी कितनी रकम दी गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(क) जिला जयपुर में अप्रेल, १९५६ से दिसम्बर, १९५८ तक पीने के कुए बनाने हेतु हरिजनों को दी गई सहायता की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) राजस्थान में गत दो वर्षों में कुए बनाने हेतु दी गई सहायता के जिलेवार व्यौरे की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मुझे इसकी कापी अभी तक नहीं मिली है। अध्यक्ष, महोदय, कॉपी हमें मिलती नहीं हैं और कह दिया जाता है कि कापी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : आपने नोटिस ऑफिस में पूछा ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : उत्तर तो यहां दिया जाता है, यहां देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप और प्रश्न पूछिये ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जयपुर जिले को इतनी कम सहायता देने का क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जैसी जैसी मांग आती है उसी पर विचार करके निर्णय किया जाता है । हो सकता है, जयपुर से कम मांग आई हो और कम रुपया दिया गया हो ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि बहुत सी एप्लीकेशन्स जयपुर जिले से भेजी गई थीं पर उन पर विचार नहीं किया गया, इस कारण से लोगों को ठीक समय पर रुपया नहीं मिल सका और रुपया लैप्स हो गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लैप्स हो गया हो ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि जयपुर जिले का बहुत सारा रुपया लैप्स हो गया ?

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी नहीं है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जानकारी नहीं है, इसके उपरान्त यह सवाल अलग है। यह सवाल अलग से पूछें, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

श्री अनूपसिंह ; माननीय अध्यक्ष, श्री तनसिंहजी उपस्थित नहीं हैं, मुझे उन्होंने यह प्रश्न पूछने के लिये कहा है अगर आज्ञा हो तो मैं यह प्रश्न पूछूं ।

(मौन सम्मति)

उद्योग विभाग के कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी

२१८. **श्री अनूपसिंह** (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या मंत्री उद्योग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री अनूपसिंह)

उद्योग विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें गत ६ माह या उससे अधिक अवधि से वेतन नहीं दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) कोई नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनूपसिंह : क्या ६ महीनों से किसी की तनख्वाह बाकी नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

चारागाह की व्यवस्था

२१६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान सरकार ने भेड़ बकरी व ऊंटों के लिये चराने की क्या व्यवस्था की है ?

(२) क्या यह बात सही है कि खातेदार उनको अपने खेतों में धान काटने के बाद भी नहीं चरने देते हैं ?

(३) क्या यह भी बात सही है कि भेड़ बकरी व ऊंट रखने वालों को चराई की अभी पूरी तकलीफ है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) भेड़, बकरी व ऊंट के लिये कोई अलग चारागाह की व्यवस्था नहीं है । यह जानवर भी ग्राम के शामिल के चारागाह में ही चरते हैं ।

(२) अंशतः यह बात सही है । आम-तौर पर तो फसल कटने के बाद प्रत्येक मवेशी खेतों में चर सकता है किन्तु यदि कोई खातेदार नहीं चरने देवे तो उसको सरकार कानूनी तरीके पर पाबन्द नहीं कर सकती ।

(३) जिला जोधपुर के अलावा अन्य किसी जिले में ऐसी तकलीफात के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार जो आम रिवाज हैं, उसको पालन कराने में असमर्थ है ?

श्री सम्पतराम : सरकार का तो कोई रिवाज नहीं है, सरकार ने तो बहुत पुराने पुराने रिवाज बदल दिए हैं ।

श्री अनूपसिंह : बहुत से रिवाज बदल दिए हैं तो, जैसा कि मन्त्री महोदय ने फरमाया तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि उन रिवाजों को बदलने से क्या तकलीफात होती हैं, वह आपको मालूम हुई हैं ?

श्री सम्पतराम : रिवाज से मेरा मतलब दूसरे से था, इससे नहीं ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या कोई, पैसे उनसे वसूल नहीं होते, होते हैं तो किस हिसाब से होते हैं ?

श्री सम्पतराम : सवाल चरागाह का है, पंचायतें लेती होंगी तो हमें पता नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री वेनाराम गहलौत ।

जिला विकास समिति व ब्लोक एडवाइज़री कमेटी की बैठकों में जाने वाले सदस्यों को टी० ए० व डी० ए०

२२०. **श्री वेनाराम गहलोत** (खारची): क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.26

(श्री बेनाराम)

(क) क्या यह सही है कि, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और ब्लोक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जाने वाले सदस्यों को टी० ए० व डी० ए० नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मीटिंग में जाने वाले सरकारी अधिकारियों को भी टी० ए० व डी० ए० नहीं दिया जाता ? यदि दिया जाता है, तो फिर सदस्यों को क्यों नहीं दिया जाता ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) सरकारी कर्मचारी सदस्यों को छोड़ कर अन्य किसी भी सदस्य को टी. ए. तथा डी. ए. नहीं मिलता ।

(ख) सरकारी सदस्यों को मिलता है परन्तु गैरसरकारी सदस्यों को नहीं मिलता है । अधिकतर गैरसरकारी सदस्य भिन्न भिन्न संस्थाओं के सदस्य होने के नाते उन संस्थाओं से टी. ए. तथा डी. ए. लेने के अधिकारी हैं । बाकी दो तीन सदस्य जो बच रहते हैं व सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें सरकार से टी. ए. व डी. ए. नहीं दिया जा सकता ।

प्रश्न संख्या २२१

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (वित्त उप मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय इसका जवाब नहीं आ सका है ।

श्री अध्यक्ष : Next week......

श्री बेनाराम ।

मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८ का स्थगित प्रश्न

टिड्डियों द्वारा पहुँचाई गई हानि

१०. **श्री बेनाराम** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(द) सन् १९५३–५४ में टिड्डी (लोकस्ट) से सोजत सब–डिवीजन और देसूरी तहसील में कितना २·नुकसान हुआ ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सोजत सब-डिवीजन और देसूरी तहसील में टिड्डी को मारने की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो उस पर कितना खर्चा हुआ ?

(ग) क्या सरकार ने उस वर्ष के लिए रेन्ट में रेमिशन दिया है ? यदि हां, तो सोजत में कितना और देसूरी में कितना ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैंने पहले दिया था वही है, तब्दीली की आवश्यकता नहीं । पिछली वक्त मोहलत ली गई थी, इसकी वजह यह थी कि माननीय सदस्य ने वह रेमिशन ५४–५५ के लिए बतला कर मुगालता पैदा कर दिया था, वह ५३–५४ का ही उत्तर था, मैंने जवाब दिया वह बिलकुल सही है ।

११. ५० म. पू.

श्री अध्यक्ष : The Question hour is over.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न–

(श्री अध्यक्ष)

लिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उससमय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

श्री मंगलसिंह, वि० सं० ६३—दिनांक १८—२—५८ से २८—२—५८ तक

श्री लक्ष्मीचन्द, डि० नं० ८३—दिनांक १८—२—५८ से २८—२—५८ तक

श्री देवनाथ, दिनांक १०—२—५८ से २५—२—५८ तक

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री हरिभाऊ।

अजमेर राज्य का विनियोजन लेखा (१९५५-५६)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर राज्य का नियोजन लेखा १९५५-५६ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५७ सदन की मेज पर रखता हूं।

११. ५१ म. पू.

विधेयकों का पुरःस्थापन

(क) राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरः स्थापित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(ख) इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरः स्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(ग) अजमेर वक्फ बोर्ड (विघटन) विधेयक, १६५८ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर वक्फ बोर्ड (विघटन) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर : स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ५६ पर वाद विवाद चल रहा था ।

(श्री गृह मंत्री से) आप उसका उत्तर देंगे ।

११. ५३. म० पू०

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मत-दान

मांग संख्या ५६—विद्युत योजनाओं से प्राप्तियां

श्री रामकिशोर व्यास (विद्युत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में बिजली की मांग के सिलसिले में जो वाद-विवाद हुआ उसमें पॉवर हाउस में जो बिजली की कमी के बारे में कहा गया और यह बतलाया गया कि बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है और बिजली कई दफे बुझ जाती है। इससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है और उसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ आदि जगहों का जिक्र किया गया। एक बात मैं शुरू में ही निवेदन करना पसन्द करूंगा कि हम इस बात से सहमत हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहां बिजली की कमी है और इसकी वजह से दिक्कत भी है, लेकिन इसको ठीक करने के लिये जो कुछ भी हमसे किया जा सकता है हमने बराबर किया है और किया जा रहा है। खर्चा ज्यादा इस वजह से है कि जब राजस्थान बना उस समय अलग अलग रियासतों से पॉवर हाउस, अलग अलग थे, लिये उस वक्त पॉवर हाउस जो थे उनमें दर असल प्लान्ट बहुत पुराने थे उसमें एक दो जगह को छोड कर सभी जगह पुराने प्लान्ट थे और यह एक टेकनिकल दिक्कत थी। राजस्थान बनां उस वक्त १३ पॉवर हाउस टेक ओवर किये गये थे। अब गवर्नमेंट के पास २० पॉवर हाउस हैं और २२ प्राइवेट ओन्ड हैं । मगर मैं यह कहूंगा कि उस वक्त प्रथम पंच वर्षीय योजना के शुरू में जहां १५ हजार किलोवाट बिजली मिलती थी उसके स्थान पर अब राजस्थान में ३२ हजार किलोवाट है । प्रथम पंच वर्षीय योजना में जो पॉवर मिलता था उससे करीब करीब दुगुना और दुगुने से भी ज्यादा पॉवर बढ़ा है। मगर फिर भी मैं मानता हूं कि यह काफी नहीं है और इससे भी ज्यादा पॉवर बढ़ना चाहिये और बढ़ाया जा रहा है। इस पॉवर के न मिलने से बड़ी दिक्कत होती है और इसी लिये पंच वर्षीय योजना में इसके लिये काफी प्रबन्ध रखा गया है और अलग अलग जगह पर कहीं नये स्टेशन खोलने की बात है तो कहीं कुछ पॉवर बढ़ाने की बात है। इसकी डिटेल आप फाइव इयर प्लान में देख सकते है, उसमें दिया हुआ है। जोधपुर का जिक्र किया कि वहां की पॉवर हाउस की हालत खराब है मगर उसकी स्थिति काफी ठीक है। लेकिन इसका सबब यह है कि वहां

(श्री रामकिशोर व्यास)

पॉवर प्लान्ट काफी पुराना है और पंच वर्षीय योजना में दो सैट तीन हजार किलोवाट के प्रोवाइड किये हैं। उसके लिये ऑर्डर प्लेस किये हैं। इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि वहां पर सैट लगाये गये मगर सर्कल इस तरह का रहा कि वहां के जो प्लान्ट थे वे बिल्कुल खराब हो गये। जब नये प्लान्ट आए तो दूसरे पुराने बिल्कुल खराब हो गये। जब नये डिज़िल सैट मंगा कर लगाए गये तो नये बेकार हो जाने से वही बात हो गई। कहने का मतलब यह कि पुराने प्लान्ट इतने बीत गये और काफी काम में आये हुए हैं इसलिये ज्यदा काम नहीं दे सकते। नये लगाये गये उससे काम चल रहा है। हम उनको ठीक कराते हैं और वे फिर बिगड़ जाते हैं,यह एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं समझता हूं कि पहले के मुकाबले में काफी प्रगति की है और डिज़िल इंजिन लाए हैं और लगाये हैं फिर भी डिमान्ड ज्यादा है और जितनी डिमान्ड है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है नये प्लान्ट आने पर। इसी तरह से बीकानेर के बारे में कहा गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां के पॉवर हाउस कि स्थिति वास्तव में बहुत गड़बड़ हो चुकी है। इसका खास कारण यह है कि वहां के प्लान्ट ३२ या ३६ थे २ हजार किलोवाट के २०, २५ साल पुराने और इससे भी ज्यादा पुराने हैं और उनकी युटिलिटी काफी एग्ज़ॉस्ट हो गई है, उनको ठीक करके काम चलाया जा रहा है। मगर डिमान्ड ज्यादा पॉवर की होने से गड़बड हो जाता है। तीन करोड़ से ज्यादा लोड जाता है। इस वजय से दिक्कत है। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि एक आध प्लान्ट ऐसा है जिसको पालाना कोल ज्यादा मुफीद पड़ता है और बीकानेर पॉवर हाउस में तीन हज़ार टन कोयले का खर्च है। १०० टन रोजाना खर्चा होता है और उसमें से सालाना से २५०० टन महीने के हिसाब से मिलता है। बाकी जो कोयला खर्च होता है वह बंगाल कोल खर्च होता है लेकिन बीच में लेबर की डिफिकल्टी होने से १२०० टन का कन्जम्पशन हो गया। लेकिन वे दिक्कतें अब मिट गई हैं, मैं समझता हूं बहुत कुछ।

श्री चन्दनमल वैद : लेबर के अलावा क्या और कोई डिफिकल्टी नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोडक्शन वगैर की थी, मैं उसी पर आ रहा था।

श्री चन्दनमल वैद : क्या माइन्स मेनेजर के कारण दिक्कत नहीं आयी थी?

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों बातें आयी थीं। कहा गया कि बड़े बड़े अफसर बदल गये लेकिन पालाना कोलरी माइन्स के लिए मैनेजर की नियुक्ति नहीं हुई। अफसर ज्यादा टेक्निकल आदमी नहीं होते। इस जगह के लिए पी. एस. सी. को लिखा गया लेकिन उन्होंने वापिस लिखा कि आदमी नहीं मिला। दुबारा फिर इस विषय में लिखा पढ़ी हुई और फिर नये मैनेजर को वहां लगाया गया। टेक्निकल पर्सोनल नहीं मिलते हैं इस कारण से यह हुआ। अब नियुक्ति हो गई है और मैं समझता हूं कि पहले से अधिक प्रोडक्शन भी हुआ है, करीब ४००० हजार टन के बड़ा है। अतः पहले के मुकाबले में काफी हल्कापन आया है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है वह तो वहीं रहती है, मैं इसको मानता हूं। पुराना टर्बाइन है वह एग्ज़ॉस्ट हो चुका है, रिपेयर करके उसको

(श्री रामकिशोर व्यास)

चला रहे हैं और पूरा रिलीफ तो भाखरा से बिजली आने पर ही मिलेगा।

किशनगढ़ के बारे में भी बात कही गई। वहां नया टर्बाइन लगा दिया है और फिक्स अप भी हो गया है। जिस कम्पनी के द्वारा वह फिट किया गया वह उसका टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो दिक्कतें है वे हल हो जायंगी।

इसी तरह धौलपुर वाली बात कही गई थी। धौलपुर में भी पुराना प्लान्ट है और उसके स्पेयर पार्ट्स का ऑर्डर कर रखा है। अभी आये नहीं हैं। नयी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डिज़िल सेट का प्रोविजन किया है। वह आने पर वहां लगा दिया जायगा। ये बाहर से आने वाली चीजें हैं इस वजह से दिक्कतें हैं। प्रोविजन तो मौजूद है।

निवाई और टोंक के बारे में एक बात बड़ी जोरों से कही गई है कि पॉवर हाउस जो निवाई में है उसको टोंक ले जाया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट का काफी अपव्यय होगा, काफी नुकसान होगा, मौजूदा जो मकान है वह टोंक को पॉवर हाउस ले जाने से जाया हो जायगा, इसको वहां (निवाई) ही क्यों न रखा जाय, इस प्रकार कई बातें कही गई। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की दृष्टि में कोई अन्तर नहीं है कि चाहे वह टोंक में रहे और चाहे निवाई में रहे। पहले इसको निवाई में ही लगाने की बात थी लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से कुछ एक्सपर्ट आये, फाइव इयर प्लान में जो काम होते हैं वे उनकी सलाह मशिवरा से होते हैं और इस दृष्टि से उन्होंने सारे राजस्थान का दौरा किया, जहां जहां नये नये प्लान्ट लगाने हैं, जो हैं उनमें जो कुछ इम्प्रूवमेन्टस करने हैं, तो उन्होंने इन सारी बातों को सारे राजस्थान में घूम कर देखा, वे निवाई भी गये और टोंक भी गये और वहां पर घूमने के बाद यह सलाह दी कि बजाय निवाई के टोंक लगाना अच्छा रहेगा। जो उन्होंने राय दी है उसमें वजन भी है। टोंक के बारे में जो उन्होंने राय दी है वह मैंने सुनी है और देखी भी है और निवाई के बारे में भी जो राय दी है वह भी देखी है। यह कहा गया यहां कि निवाई में जो मकान बन रहा है वह यहां रखने से जाया जायगा, कोयला जो आवेगा चूंकि निवाई रेलवे स्टेशन है इस लिए खर्चा कम पड़ेगा, और टोंक में जायगा तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा। ये बातें कही गई हैं लेकिन इनके अलावा और भी कई बातें हैं जो इन दो बातों को ओवर रूल करती हैं। इस वक्त निवाई में टोटल कन्जम्शन है वह करीब ४२ किलोवाट के है। यदि ज्यादा जोर लगायें तो पांच सात साल में मेक्सिमम १०० हो जाय। मौजूदा में ४२–४३ किलोवाट है तो वहां की हालात को देखते हुए नेक्स्ट फाइव इयर प्लान में १०० तक जा सकता है। जो गलत फहमी हो रही है कि वहां से पॉवर हाउस को हटाया जा रहा है वह दर असल गलत फहमी ही है। पहले जो पॉवर प्लान्ट जो लगा हुआ है उसको नहीं हटाया जा रहा है। जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको रिमूव नहीं किया जायगा। नया जो प्लान्ट लगाना है वह बजाय निवाई के टोंक में लगाया जायगा। पुराने को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, नये को शिफ्ट करने की राय एक्सपर्ट्स ने दी है। उसका कारण एक यह भी है कि टोंक में वर्कशोप है ऑफिस बिल्डिंग्स भी हैं। जो बड़ी बात बताई है उन्होंने वह यह बतायी है कि टोंक में करीब १७० किलोवाट इनर्जी का कन्जम्पशन है और

(श्री रामकिशोर व्यास)

३०० किलोवाट करीब और हो जावेगी । ट्रान्समिशन ऑफ लाइन्स में लोसेज़ होता है वह १० पर्सेन्ट हो जाता है । निवाई से टोंक ले जाते हैं तो ३% इससे लोस होने वाला है और टोंक ले जाते हैं तो १% ही रहता है । लोसेज़ ओफर वेस्ट ऑफ इनर्जी और बिल्डिंग के लिहाज से टोंक बड़ी जगह है, वहां पर कन्ज़म्पशन ज्यादा है, पोपुलेशन ज्यादा है । निवाई के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी इनर्जी वे चाहेंगे उनको मिलेगी । मौजूदा प्लान्ट है उसको हटाया नहीं जा रहा है । मौजूदा जो बिल्डिंग है यह जाया नहीं होने वाली है, जब चम्बल से बिजली आयेगी तो उसको काम में ले लिया जावेगा, वेस्ट नहीं है । एक्सपर्ट की राय है इसलिए यह बात है, यह नये प्लान्ट की ही बात है । टोंक में इसीलिए लगाया जा रहा है कि ज्यादा आबादी है, पोपुलेशन ज्यादा वहां कन्जम्पशन ज्यादा है और आगे भी बढ़ेगा । आपने कहा था कि एक्सपर्टस की बातें नहीं मानी जाती हैं । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि एक्सपर्ट्स की राय मानी जाती है, टेक्निकल मामलों में माननी पड़ती है । मुझे उन्होंने रीज़न्स दिए हैं वे माकूल दिए जान पड़ते हैं । उनकी जो बातें थीं वे बेजा बातें नहीं थीं । इसलिए नया प्लान्ट ही टोंक में लगाया जावेगा । निवाई में जो प्लान्ट पहले से है वह वहीं रहेगा, उसको हटाया नहीं जावेगा । उसका जो ४२ के करीब कन्जम्पशन है वह काफी है और आगे बढ़ भी सकता है । टोंक और निवाई में लाइन डाल चुके हैं, इसलिए चाहे टोंक से बिजली मिले या निवाई से मिले इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ।

सीकर और झुंझुनू के लिए भी कहा गया । सीकर में पहले वहां पर प्राइवेट पॉवर हाउस था, जो काफी अर्से से बन्द था, चल नहीं रहा था, इससे पब्लिक को काफी शिकायतें थीं कि बन्द होने से काफी दिक्कतें हैं, गवर्नमेन्ट ही इसको क्यों न ले ले, आखिर गवर्नमेन्ट ने उसको लेना तय किया और ले लिया । उसको ओवर–हॉल किया और उसमें काफी गवर्नमेन्ट ने खर्चा किया । अब वह चल रहा है, ठीक काम कर रहा है । कहीं कहीं गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि आखिर में वह पुराना प्लान्ट है । रेट्स के बारे में भी कहा गया, कई भाइयों ने भी इस सम्बन्ध में कहा कि अलग अलग रेट्स हैं राजस्थान में, सीकर में पहले ६ आना युनिट रेट थी और वही अब रखी है, उसको कन्टीन्यू किया है । किशनगढ़ से जो भाई आये हैं उन्होंने भी रेट के बारे में कहा, मैं निवेदन करूंगा कि रेट्स सारे राजस्थान में एक अभी नहीं हो सकते हैं; अलग अलग पॉवर हाउसेज़ में अलग अलग इन्जिन्स हैं और उनका कोस्ट ओफ प्रोडक्शन भी अलग अलग है । रेट्स जो फिक्स अप की गई थीं वे अलग अलग परिस्थितियों के कारण थीं । युनिफोर्मल रेट्स सारे राजस्थान के लिए तो अभी नहीं कर सकते हैं । यह तो जब ही कम कर सकते हैं कि जब कोस्ट ओफ प्रोडक्शन कम जायगा । आज की परिस्थिति में तो नहीं कर सकते हैं ।

झुंझुनू के बारे में भी कुछ कहा गया है वैसे झुंझुनू में गवर्नमेंट का पॉवर हाउस नहीं है वह किसी प्राइवेट कन्सर्न का है, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता । फिर भी झुंझुनू के विकास सम्बन्धी जो योजनायें हैं उस योजना के अन्तर्गत बिजली वहां दी जायगी, ऐसी सरकार की योजना है ।

एक माननीन सदस्य द्वारा यह भी कहा

(श्री रामकिशोर व्यास)

गया कि फ्लोर मिल्स को पॉवर नहीं दी जानी चाहिये। मेरे ख्याल से यह बात मुनासिब नहीं है। अगर फ्लोर मिल्स को पॉवर नहीं देंगे तो लोगों को बड़ी दिक्कतें पेश आयेंगी।

डा० चन्द्रकला : ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन्होंने ऐसा कहा था।

श्री रामकिशोर व्यास : यह संभव मालूम नहीं होता और जो लोग हाथका पिसा आटा खाना चाहते हैं उनके लिये किसी प्रकार की इससे दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं कि वे मिल का आटा ही खावें।

श्री जगदीप्रसाद माथुर : जयपुर पॉवर हाउस के सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं फरमाया, यहां से जो सामान लिया गया बकाया की वसूली आदि के सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं फरमाया।

श्री रामकिशोर व्यास : बकाया जो है वह वसूल की जायगी और जो सामान है वह भी वसूल किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन महानुभावों ने कट मोशन रखे हैं वे वापिस लेंगे।

एक माननीय सदस्य : जिन जगहों पर पॉवर हाउसेज़ नहीं लगे हैं उन जगहों पर कब पॉवर हाउस बनाये जायेंगे?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार ने पंच वर्षीय योजना में जहां जहां पॉवर हाउसेज़ नहीं हैं वहां पर लगाने की योजना बनाई है। जहां जहां पॉवर हाउसेज़ पंच वर्षीय योजना में बनाये जायेंगे वह फाइव इयर प्लान में दी हुई है।

श्री आबिदअली : कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर तो पॉवर हाउस होना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां रिवाइज़्ड प्लान लगाने की बात है, उसमें किशनगढ़, टोंक, झालावाड़, धौलपुर, जैसलमेर, सगवाड़ा, डूंगरपुर, हिन्डौन आदि हैं।

जहां स्टीम टरबाइन लगाये जायेंगे वे ये हैं; धौलपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, डीग इत्यादि।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन की जहां स्कीम है वह इन गांवों में लगाई जायगी; तारानगर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जयपुर से रिंगस टोडा, भीम, नागौर, बिलाड़ा, जालोर, डीडवाना, सुमरेपुर, राजसमन्द आदि।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : चौमू की तरफ तो केवल खमे ही खड़े किये हुए हैं, वहां पर तो अभी तक बिजली नहीं दी गई।

श्री रामकिशोर व्यास : जयपुर से जो रिंगस लाइन जायगी उससे कनेक्ट करने का ऑर्डर दे रखा है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह कब तक हो जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : प्लान्ट आने पर यह होगा।

श्री आबिदअली : सवाई माधोपुर को बिजली देने का कई बार आश्वासन दिया गया, किन्तु अभी तक वहां बिजली नहीं दी गई?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं माननीय सदस्यों के लिए एक बात और निवेदन कर

Page No.33

(श्री रामकिशोर व्यास)

दूँ । हमारे यहां ऑर्डर देने के बाद भी तीन साल उसमें लग जाते हैं । १८ से २१ महीने तो केवल प्लान्ट डिलीवरी में लग जाते हैं । उसके बाद उस प्लान्ट लगाने, उसके लिये बिल्डिंग आदि बनाने में और समय लग जाता है । इस तरह से करीब एक प्लान्ट के बनने में तीन साल लग जाते हैं । यह मत समझिये कि जिस दिन स्कीम में शामिल कर लिया गया उसके दूसरे रोज ही बिजली चालू हो जायगी ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : चौमू की तरफ तो खंभे लगे हुए तीन साल हो गये ।

(श्री आबिदअली के बोलने को खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आपके कहने के बाद इनको सवाई माधोपुर का बहुत ख्याल है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर देने का प्रयास किया है वह उत्तर बिल्कुल ही सन्तोषजनक नहीं है । जहां तक पलाना के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया वह बिल्कुल ही तर्क संगत नहीं है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री चन्दनमल जी वैद ने कहा था कि सन् ५३–५४ में कमिटी ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी थी, पॉवर हाउसेज़ में पलाना का कोल काम न आने से सालाना ६ लाख रुपये का घाटा राज्य सरकार को होता है । अभी राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि फर्स्ट क्लास मेनेजर के अपोइन्ट करने से उसके प्रोडक्शन में काफी सुधार हुआ है । मेरा यह निवेदन है कि चार साल तक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति क्यों नहीं की गई और इसके विकास का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया । इसके बारे में यह उत्तर दिया गया कि हम पब्लिक सरविस कमीशन को ए क्लास मैनेजर के सिलेक्शन के लिए लिख चुके थे, उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया; यह उत्तर कोई तर्क संगत उत्तर नहीं कहा जा सकता । राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कमिटी ने जब इस प्रकार की रिपोर्ट दी थी कि ए क्लास मैनेजर के न होने से ६ लाख रुपया वार्षिक का घाटा होता है, इस तरह से चार साल में ३६ लाख रुपये के करीब का घाटा हुआ है । उस घाटे के लिये उत्तरदायी कौन है, या तो हमारे माननीय मंत्री महोदय हो सकते हैं या उनका विभाग हो सकता है । किस व्यक्ति की जिम्मेवारी है, क्या इस सम्बन्ध में जांच कराई गई ? यह हमारी मांग है कि आप इस बारे में जांच करायें और जो घोटाले हुए हैं उनके लिये जांच कमीशन नियुक्त करें जो यह पता लगाये कि किस कारण से इस पलाना कोलियरी का विकास नहीं हो सका । कौन अधिकारी ऐसा है जिसके कारण राज्य सरकार को सालाना ६ लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा । केवल पब्लिक सरविस कमीशन को लिख देना कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है ।

जयपुर पॉवर हाउस के सम्बन्ध में केवल यह कह देना कि कुछ अधिकारी थे जो अब नहीं रहे उनके समय में कितना सामान गया वह वापिस नहीं आ सका । कुछ के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं और सामान भी वापिस लाने की कोशिश की जा रही है; यह उत्तर तर्क संगत नहीं है । चाहे कोई आदमी रहे हों या न रहे हों ऑफिस में फाइलें और रेकार्ड तो मौजूद हैं ही । हजारों रुपयों का सामान व्यक्तिगत उपयोग के लिये दिया गया, जिनका किराया नहीं देते हैं और न सामान ही वापिस किया जाता है और मुकदमें भी चलाये गये तो केवल

Page No.34

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कुछेक व्यक्तियों पर। मुकदमों के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह भी सन्तोषजनक स्थिति नहीं है। केवल एक-दो इन्जीनियरों के खिलाफ मुकदमें-करने से पॉवर हाउस के गबन के मामले दब नहीं जायेंगे। जयपुर पॉवर हाउस के वर्किंग में, और सामान के हिसाब किताब में कितनी ही आपत्तियाँ इस सदन में हुई, हर अधिवेशन में इस बारे में प्रकाश डाला जाता रहा है। उस बारे में यह कह देना कि दो का तो चालान कर दिया गया और एक भूतपूर्व इन्जीनियर महोदय मर गये और बाकी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, इतना कहने से वे अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। जिनके बारे में आरोप लगाये गये थे उनके बारे में जानकारी करवा कर जो व्यक्ति दोषी हैं उन सब व्यक्तियों को जब तक न्यायालय में खड़ा नहीं कर सकते तब तक यह उत्तर सन्तोषजनक उत्तर नहीं कहा जा सकता।

आज जितने भी पॉवर हाउसेज वर्तमान में हैं उन पॉवर हाउसेज की अवस्था में बहुत गड़बड़ है। एक तरफ तो आप बाकी स्थानों पर पॉवर हाउसेज खड़ा करने की बातें सोच रहे हैं और दूसरी तरफ जो पॉवर हाउसेज़ ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी हालत बहुत खराब है, उसका खास कारण यह है कि उनके विकास की कोई ठोस योजना सरकार के समक्ष नहीं है।

जहां तक राज्य सरकार की बकाया का प्रश्न है उसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि पहले की जो बकाया है वह राज्य सरकार वसूल करके बोर्ड को देगी। मेरा इस संबंध में यह निवेदन है कि जब यह कोमर्शियल कन्सर्न है तो जो बकाया पहले की है उसकी वसूली का अधिकार भी बोर्ड को दे देना चाहिए ताकि वह मजबूत कदम उठा सके। जिनमें पिछली बकाया रहती है तो वे उसके कनेक्शन को काट सकते हैं सरकार द्वारा यह जिम्मेदारी लेने से इस प्रश्न का हल हो नहीं सकता। गाँवों की जनता से जो टेक्स लिया जाता है उसी के अन्दर शहर वालों को बिजली दी जाती है और टेक्स का रुपया सभी देते हैं, गांवों की जनता का भी इसमें पैसा लगता है उसका उपयोग एक ही प्रकार से होता है; यह किसी प्रकार भी न्याय नहीं कहा जा सकता।

इसलिए मैं दोनों कटौती के प्रस्तावों को सदन की मजूरी के लिए रखता हूं।

(डॉ० चन्द्रकला के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : कुछ कहना है आपको ?

डॉ० चन्द्रकला : मुझे लेना है वापिस।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो उत्तर में कहा गया है मेरा ख्याल है यह गलतफहमी मुझे ही नहीं है बल्कि वहां की जनता को भी है। निवाई का पूरा पॉवर हाउस वहां से उठाकर टोंक ले जाया जावेगा। यही उन्होंने समझा है। जब वहां के लोगों की मन्त्री महोदय से बातें हुई थीं तो मैं भी वहां उपस्थित थी। लोगों ने कहा कि इसके जाने से बड़ा अपव्यय होगा, पर उस समय भी उस समाचार का खण्डन नहीं किया गया। फिर वे लोग जब मुख्य मन्त्री महोदय से बात करने गये तो उन्होंने भी यही कहा कि विशेषज्ञों की राय है, इस आधार पर यह परिवर्तन होगा। इन दोनों अवसरों पर यदि यही उत्तर दे दिया गया होता कि सिंचाई का पॉवर हाउस ऐसा ही काम करता रहेगा और बिजली बदस्तूर उस

(डॉ० चन्द्रकला)

क्षेत्र को मिलती रहेगी तो मेरा ख्याल है उसी वक्त यह गलतफहमी दूर कर दी गई होती और जनता को या मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। अब यह गलतफहमी दूर हो गई, अतः मैं अपना यह कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने पेश किया है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ४१, विद्युत योजनाओं से प्राप्तियों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,६६,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(१२. २५ म. प.)

मांग संख्या ४८ सामान्य प्रशासन

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, ५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,५०,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, दोनों पेश कर दूं साहब ?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इसके सम्बन्ध में मेरी दो मांगे हैं। पहला है;

"That the supplementary demand No. XLVIII, Major Head 25-General Administration be reduced by Rs. 1/- (to discuss the creation of a cadre of Stenographer's grade)"

दूसरा है;

"That the Supplementary demand No. XLVIII, Major Head 25-General Administration, Item No. 7 (1) be reduced by Rs. 1- (to discuss the working of the office of the Departmental Enquiries and increase of staff there in)"

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जहां तक पहली मांग का सम्बन्ध है अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने चूंकि देश में हिन्दी राजभाषा घोषित हो चुकी है और इसके पश्चात् इसके विकास की दृष्टि से किस प्रकार से प्रयास किया जावे इसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने थोड़ा प्रयास किया और हिन्दी के स्टेनो को बढ़ाने की कोशिश की, पर आज सरकार उस तरफ से आंखें मूंदे पड़ी है। राज्य सरकार ने पहले लगभग १५३ कार्यकर्त्ताओं को हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और इस पर उन्होंने टेस्ट पास किया पर आज उनका कहीं पर भी पोस्टिंग नहीं किया जा रहा है। सरकार निष्क्रिय बनी पड़ी है। स्थिति यह हो गई है कि उनको अब कोई प्रोत्साहन देने के बजाय अंग्रेजी जानने वालों को ही कहा जा रहा है कि वे ही हिन्दी सीख लें, उन्हें ही उस स्थान पर ले लिया जावेगा। वे हिन्दी पास स्टेनो आज सरप्लस में पड़े हैं।

साथ ही उनका ग्रेड भी एक नहीं है। एक कलेक्टर का पी. ए. है, दूसरा किसी सेक्रेटेरियेट में है, काम सबका एक सा है: पर ग्रेड उनका एक नहीं है।

यह एक इस प्रकार की टैक्नीकल पोस्ट है कि अगर सबको हम समान रूप से नहीं लेंगे और उनका अधिकार उनको नहीं देंगे और हिन्दी के लिए उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन नहीं देंगे तो उन लोगों में व्याप्त असन्तोष अधिक बढ़ेगा और आगे से लोगों का हिन्दी की ओर से रुझान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस ओर सरकार की निष्क्रियता को देखकर यह कटौती का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है।

इसके बाद डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के सम्बन्ध में मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है। इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करने की योजना में रुकावटें डाली जाएं, उसे सफल न होने दिया जाय; इस दृष्टि से यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का रोड़ा लगाया गया है। यह इन्क्वायरी ऐसे लोगों के हाथों में होगी जिनका स्वार्थ एक है और जो हमेशा यही प्रयत्न करेंगे कि किसी तरह से यह केस समाप्त हो जाय। आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक स्पेशल आई. जी. पी. नियुक्त किया है, स्पेशल पुलिस फोर्स तैनात की है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे मामले तुरन्त उनको क्यों नहीं सौंप दिये जाते हैं? उनके काम के बीच में यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का रोड़ा क्यों लगाया जाता है? इससे भ्रष्टाचार के मामले में तुरन्त कार्यवाही होगी। जैसे ही ऐसे केस आई. जी. पी. के पास पहुंचे कि वह इन्क्वायरी शुरू कर देगा और अगर दोषी होगा तो तुरन्त उसे कोर्ट में पेश कर दिया जावेगा और अगर निर्दोष है तो उसे तुरन्त काम पर बदस्तूर लगा दिया जावेगा। जब कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सालों तक समाप्त नहीं होती और कई बेकुसूर लोग भी इसके द्वारा नाहक में सालों तक हैरान होते रहते हैं, एक तरफ तो यह कहा जाता है कि विशेष आई. जी. पी. व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और दूसरी ओर सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार को सीधा उनके हाथों में नहीं जाने देते। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का अड़ंगा लगाकर उसे लम्बा किया जाता है और लम्बा करके किसी तरह दबाने की कोशिश होती है। इससे नाहक दो-दो विभागों का खर्चा भी बढ़ता है और एफीशियेन्सी भी नहीं आती। आज इन विभाग वालों को यह डर है कि

Page No.37

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अगर मामले सीधे पुलिस को दे दिये गये तो वे निर्दयतापूर्वक काम करेंगे और डिपार्ट-मेन्टल में यदि जांच होगी तो वहां हमदर्दी से काम होगा। इसलिये यह करवाया गया है। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि इस जांच की कोई उपयोगिता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इस विभाग में वर्षों तक कागज पड़े रहते है, अधिकारी भी अभी अभी बढ़ाये गये हैं। इससे तो केवल नौकरशाही का जाल अधिक फैलने का डर है। हमारा जो भ्रष्टाचार उन्मूलन का उद्देश्य है उसके विपरीत काम हो रहा है। वे जानते हैं कि विभाग में मामला ऐसे ही चलता रहेगा और अगर पुलिस में जावेगा तो वहां तुरन्त केस रजिस्टर होगा। फिर इस डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी के बहाने एक शक्ति इन नौकर-शाही के पुर्जों के हाथ में रहती है, विभाग में जिससे कुछ नाराज़गी हो उसको परेशान करने के लिये एक साधन उनके हाथ में रहता है। बेकुसूर भी वे किसी को सता सकते हैं और लगातार उसके पीछे पड़ सकते हैं।

अन्त में इस सम्बन्ध में जो कट मोशन है वे दोनों कि विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ :

"That the demand No. XLVIII, Major Head 25- General Administration, Item No. 12 be reduced by Rs. 1/ (to discuss the abolition of Divisional Commissioners' posts),

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में डिविजनल कमिश्नरों की आवश्यकता है या नहीं, इस सम्बन्ध में इस सदन में कई बार विचार हुआ है। इस सदन के अलावा सरकारी स्तर पर भी इस विषय को गम्भीर विषय मानकर विचार करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन अभी तक वे पोस्टें बनी हुई हैं। बल्कि एक सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के द्वारा उनकी तन-ख्वाहों में जो बढ़ोतरी हुई है उस बढ़ोतरी पर भी सदन से स्वीकृति से प्राप्त करने की चेष्टा की गई है।

अध्यक्ष महोदय, हम उनकी तनख्वाह बढ़ावें और बढ़ी हुई तनख्वाह का पेमेन्ट करें इसके पूर्व हमें यह विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान में आज इन कमिश्नरों की आव-श्यकता है या नहीं।

आज से तीन वर्ष पूर्व राजस्थान विधान सभा द्वारा नियुक्त एस्टीमेट कमेटी ने इस सदन रिपोर्ट की थी और उस कमेटी के सदस्य आज के राजस्वमन्त्री भी थे। एस्टीमेन्ट कमेटी में एक मत से राय ज़ाहिर की थी कि राजस्थान में इन कमिश्नरों की आवश्यकता नहीं है और इस पद को समाप्त कर दिया जावे। लेकिन उस समय राजस्वमन्त्री महोदय ने बताया कि जब मैं एस्टीमेन्ट कमेटी का सदस्य था तो शासन का अनुभव नहीं था और अनुभव न होने के कारण एस्टीमेंट कमेटी के निर्णय को डिटो किया था।

परन्तु ज्यों ही वे राजस्वमन्त्री बने, उनको शासन का अनुभव हुआ तो उन्हें इस बात का ज्ञान होने लगा कि वास्तव में राजस्थान में डिविज़नल कमिश्नर्स की आवश्यकता है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी दलीलों के पक्ष में जो बातें बतलाई थीं उनमें कोई तथ्य नहीं था। केवल एक बात विशेष रूप

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

से बताई गई थी कि नये डिस्ट्रिक्ट्स खुले हैं, नये ऑफिसर्स आये हैं, कई नये आई० ए० एस० ऑफिसर्स भी नियुक्त हुए हैं इसलिए आवश्यक है कि दूसरे डिपार्टमेंटों में कुछ को-ऑर्डिनेशन का काम होता रहे और यह कार्यवाही डिविज़नल कमिश्नर्स करेंगे । उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि एक जिलाधीश के समक्ष केवल रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का ही काम नहीं है बल्कि डेवलपमेन्ट के भी कई काम हैं । डेवलपमेन्ट के काम के साथ साथ और भी कई प्रशासनिक बातें हैं जिनको कलेक्टर को पूरा करना होता है, उसे कई डिपार्टमेंटों के काम करने होते हैं । इसलिए आवश्यक है कि कलेक्टर्स के अन्दर को-ऑर्डिनेशन हो और दूसरे डिपार्टमेंट्स के कामों में भी को-ऑर्डिनेशन हो और उस को-ऑर्डिनेशन की फीलिंग को देखकर यह आवश्यक समझा गया था कि हमें कमिश्नर्स की पोस्ट को रखना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं बताना चाहता कि राजस्थान सरकार की ओर से एक कमेटी नियुक्त की गई है जो यह निश्चय करेगी कि आज सारे राजस्थान में कितने जिलों की आवश्यकता है, कौन कौन से जिले तोड़े जायेंगे, किस जिले को नया बनाया जायेगा, इन सब के बारे में वह कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में इस सदन में भी कई दफा चर्चायें हुई हैं, बाहर भी होती हैं कि अमुक जिला टूटेगा और अमुक जिला अमुक जिले के साथ शामिल किया जायेगा और इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को इस बात का कई बार स्पष्टीकरण करना पड़ा है कि हमारी राज्य सरकार के समक्ष जिला आदि तोड़ने जैसी कोई चर्चा नहीं है । परन्तु चर्चायें चलती हैं, सभी दलों में चलती हैं, सरकारी कागजों में भी चलती हैं, विधान सभा के क्षेत्र में भी चलती है और सरकारी क्षेत्रों में भी चलती हैं; उस सारी स्थिति के कारण आज सारे राजस्थान के अन्दर चाहे कोई जिला छोटा हो या कोई जिला बड़ा हो, चाहे कोई कमिश्नरी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन सारी जनता के हृदय में एक संशय सा पैदा हो रहा है कि हमारा जिला रहेगा या नहीं रहेगा, डिविज़नल कमिश्नर्स की पोस्ट रहेगी या नहीं रहेगी, अजमेर डिविज़न उसी प्रकार का बना रहेगा या नहीं ? इस प्रकार का संशयात्मक दृष्टिकोण हमारी सरकार को आज तक दूर कर देना चाहिए था लेकिन न मालूम क्यों जिस कमेटी की रिपोर्ट की बातचीत हम १॥ वर्ष पूर्व करते थे कि उस कमेटी की रिपोर्ट जल्दी ही सामने आयेगी उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक हमारे सामने नहीं आ रही है । हो सकता है कि उस कमेटी ने कुछ जिलों के तोड़ने के बारे में सिफारिश की हो और हमारी राज्य सरकार कुछ राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण, कुछ घरेलू समस्याओं के कारण जिला स्तर के ऊपर विचार करने में अपनी असमर्थता प्रगट करती हो लेकिन प्रश्न यह है कि जनता में जो संशय पैदा हो गया है उसको दूर करने की चेष्टा करनी पड़ेगी । जो हमने कमेटी अपोइन्ट की है उसके बारे में एक चीज हो सकती है कि या तो उस कमेटी की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई हो, या फिर उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी हो मगर सरकार ने उसको रखने के आदेश नहीं दिये हों । तो अगर कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा है । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हर सूरत में यह नहीं होगा कि चूरू में

(श्री भैरोंसिंह)

जाकर भाषण दे दिया और सीकर में भी जा कर कह दिया कि सीकर का जिला नहीं टूटेगा। इस तरह से अलग अलग जगह जाकर भाषण दे देने से और कह देने से कि तुम्हारा जिला नहीं टूटेगा, जनता का संशय दूर नहीं होगा बल्कि सरकार को इस मामले में अपनी कोई न कोई एक स्पष्ट नीति घोषित करनी पड़ेगी। जिन बातों के द्वारा हम प्रशासन में सुधार ला सकते हैं और खर्च में कमी कर सकते हैं, वे बातें आज हमारी सरकार नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इन बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि इनका सीधा संबंध हमारे राज्य के अर्थ से है, राजस्थान के लेखे–जोखे से है। तो एक तरफ जब हम डिस्ट्रिक्ट्स को तोड़ कर खर्चे में कमी की बातें सदन के सामने रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स तोड़ने के बारे में अपनी राय बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को कम करने का एटमोस्फियर करते हैं तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा यह देखना होगा कि कमिश्नर्स की पोस्ट जो है उसको रखना आवश्यक है या नहीं। मैं यह नहीं कह सकता कि के एक उच्च अधिकारी ने एक सुझाव प्रस्तुत किया है और उसमें यह संकेत किया है कि इस समय कमिश्नर्स की पोस्ट की बिलकुल आवश्यकता नहीं है। हो सकता है सरकार उसके सुझाव को माने या नहीं माने और इस सुझाव को सरकार किस समय अमल में लायेगी, कब उसको कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा करेगी, यह तो सरकार का ही प्रश्न है। लेकिन जहां तक हमारा प्रश्न है हम चाहेंगे कि तीन साल पहले के को-ऑर्डिनेशन को लेकर कमिश्नर की पोस्ट को रखने का था और इस पोस्ट को रखना चाहते हैं तो उसी को-ऑर्डिनेशन के नाम को लेकर इस पोस्ट को और भी बीस साल तक चालू रख सकते हैं। अब आगे हमारी पंचवर्षीय योजना आ रही है उसमें कई डिपार्टमेन्टों का काम कलेक्टर को करना पड़ता है, वे जिले के सबसे उच्च अधिकारी भी समझे जाते हैं और दूसरे विभागों का काम जब कलेक्टर को करना पड़ता है तो कलेक्टर और दूसरे सारे कलेक्टरों के सारे काम के कॉऑर्डिनेशन को रखने के लिए कमिश्नर की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं भी समझता हूं कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिला अधिकारीगण अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी भी मसले को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन यह होता नहीं है। कलेक्टर को भी अगर कोई केस निपटाना हो तो वह सीधा अजमेर टेलीफोन करेगा, फिर वह सचिवालय के सेक्रेटरी से और हो सका तो मिनिस्टर के कानों में बात डालने का प्रयत्न करेगा। तो इसके लिए मैं साफ कहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय और इसमें बुरा मानने की बात नहीं है कि हम जिस सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं उसका धीरे धीरे केन्द्रीयकरण होता जा रहा है। आज हमारा सचिवालय हर एक चीज के लिए एक प्रमुख भाग बन गया है। अगर कलेक्टर अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता है, सब को आज सचिवालय की ओर देखना पड़ता है। मैं इससे आगे और कहूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारे सचिवालय में आज रैड–टैपिज़्म राज्य है ....

श्री अध्यक्ष : Please confine yourself to the subject matter of the cut motion. Do not take to Commissioner's job please.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

रहा था कि आज की ऐसी परिस्थिति में कमिश्नर्स पोस्ट की आवश्यकता है या नहीं, इसको सोचना पड़ेगा। यदि आज हम को-ऑर्डिनेशन के वर्क को महत्व देते हैं और पंच-वर्षीय योजना में जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है उनको करने के लिए को-ऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है और यह को-ऑर्डिनेशन अगर सचिवालय में बैठे हुए मंत्री या सचिव या डिप्टी सचिव कर सकते हैं या सहायक सचिव कर सकते हैं तो उस को-ऑर्डिनेशन के वर्क के रिपीटीशन की आवश्यकता कमिश्नर्स से कराने की आवश्यकता नहीं है। कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर की कमिश्नरी टूटेगी और आज यह दृष्टिकोण रखना कि हम शहरों को बनाये रखने के लिए ही कमिश्नरी रखना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहूंगा कि हमारे शहरों से अगर कमिश्नरी हटेगी तो यह सोचना कि कमिश्नरी हटने के कारण से कोई शहरों का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट नहीं हो सकता है, शहरों का विकास नहीं हो सकता, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि विकास तो विकास के ही ढंग से होता है, बल्कि कमिश्नरी के ऑफिस में जितना खर्च होता है यदि वही खर्च शहरों के विकास में लगायें तो ज्यादा डेवलपमेन्ट होगा। आज की परिस्थिति में कमिश्नर की पोस्ट को रखने की आवश्यकता नहीं है और कमिश्नर्स की तनख्वाह बढ़ाने के लिए जो आज यहां मांग रखी गई है उसके लिए मुझे आशा है कि सारा सदन ही उसका बहिष्कार करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

(मुख्य मंत्री की ओर संकेत करते हुए) अब आप उत्तर दे दीजिए।

१२. ४०. म० प०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन पर कुछ कट मोशन्स अभी रखे हैं, उसमें डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के कमिश्नर को रखने का ध्येय यह बतलाया गया है कि भ्रष्टाचार और घोटाले को दबाने के लिए यह पोस्ट और डिपार्टमेन्ट कायम किया गया है। मैं सदन में कई बहसों को सुनता हूं तो आश्चर्य होता है, इस तरह का जो स्टेप लिया जाय वह इस ख्याल से कि इस बात को और ठीक किया जा सकता है। उसको यही पेन्ट करने का प्रयत्न किया जा सकता है कि जैसे और कोई परिणाम निकलने की बात हो। मैं निवेदन करूं साफ साफ कि आज इस डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरीज़ के ऊपर जिन अधिकारियों को रखा है वह एक बहुत ही सीनियर और जो राजस्थान में नहीं रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनको डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी का कमिश्नर बनाया गया था, जिनके बारे में, मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को इतनी आसानी से नहीं कह देना चाहिए कि भ्रष्टाचार और घोटाले को दबाने के लिए वहां पर रख गया हैं। अगर हमारे यहां हर प्रकार से हर व्यक्ति स्वयं बोलने वाले के सिवाय भृष्टाचारी समझ कर चलेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा असर ये चीजें केरी नहीं करती हैं। आख़िर जिन्होंने कहा उनसे मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है कि यहां पर आज आप किसी चीज़ का अर्थ क्या निकालते हैं और उस बात को भली प्रकार समझते हैं।

डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है वह इसलिए किया गया है कि बहुत सी एन्क्वायरीज़ अपने विभाग की हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट को करना आवश्यक होता है, लेकिन बहुत सी बार हमारे सामने शिकायत आती हैं कि जब बहुत

Page No.41

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स को एन्क्वायरी सोंपी जाती है तो चूंकि वे ऑफिसर्स उस हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के माहतत होते हैं इसलिए एन्क्वायरीज़ का कोई परिणाम नहीं निकलता है । इसलिए बजाय इसके कि डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी करवाई जाय, डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी के लिए ऊंचे से ऊंचा आफीसर को कायम कर, और उस उद्देश्य को जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर सीनियर मेम्बर थे और जो जुडिशियल सरविस में बहुत लम्बे अरसे से रहे हैं, सीनियोरिटी में जिनका स्टेटस है उनको लिया है । एडिशनल कमिश्नर भी राजस्थान की किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नहीं हैं, वे जुडीशियल सर्विस के सेशन्स जज की स्टेटस के व्यक्ति हैं उनको एडिशनल कमिश्नर बनाया गया है । बजाय इसके इनका एप्रिसियेशन होता कि इसमें इस प्रकार के अधिकारी लिये गये है और इस दृष्टि से कि एक व्यक्ति के जरिये जो कि उस डिपार्टमेंट का होता है और उसी डिपार्टमेंट के हैड के जरिये एन्क्वायरी कराई जाय, उसके बजाय एक स्पेशल ब्रान्च इस परपज़ के लिए कायम की जाय, तो यह कहना कि इसलिए कायम की गई कि घोटालों को दबाया जाय, मैं समझता हूं, कतई अनुपयुक्त सा है । न इस प्रकार की बात उठनी चाहिए और न इस प्रकार का भ्रम रहना चाहिए ।

दूसरी बात हिन्दी के स्टेनोज़ के बारे में कही गई । हम स्वयं कुछ सतर्क हैं । अपनी तरफ से जितना संभव हो सकता है वह करना चाहते हैं और माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में हिन्दी स्टेनोज़ के बारे में ऐसी बात नहीं है कि उनकी स्थिति के अन्दर ध्यान नहीं देना चाहते । इसलिए इस कट मोशन के द्वारा उनकी जो भावना थी वह व्यक्त कर दी, लेकिन इसमें कोई उनके साथ में भेद—भाव या ज्यादती करने की बात आती है, उस प्रकार की कल्पना कोई हमारी नहीं है ।

कमिश्नरों के सम्बन्ध में कट मोशन आया और उसके दौरान में यह कहा गया कि कमिश्नर की आवश्यकता राजस्थान में नहीं है । अब यह बहस तलब सवाल है और उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, हम स्वयं भी विचार कर रहे हैं । वह माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इधर या उधर कुछ निश्चित रूप से कह सकूं, क्योंकि उसके कई पहलू हैं, और उन सारे पहलुओं को एग्ज़ामिन कर रहे हैं, और एग्ज़ामिन करने के बाद, मैं समझता हूं, जितना जल्दी संभव होगा आखिरी निर्णय आयेगा, उससे भी इस सदन को अवगत करूंगा । अभी इतना ही कहना मैं समझता हूं उपयुक्त होगा । उससे ज्यादा कहना एग्ज़ामिनेशन के पहले कि कमिश्नर रखे जायें कि नहीं, उपयुक्त नहीं होगा ।

कलेक्ट्री के बारे में भी प्रश्न उठाया गया । डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में जो कमेटी सेट अप कीगई है तो हमारी क्या नीति है डिस्ट्रिक्ट के सम्बन्ध में इस बारे में माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नीति जहां तक कि इस रिऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी को सेट अप किया गया, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी रिपोर्ट आये तो उसके आधार पर रिपोर्ट के अन्दर हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के मामलों में कोई सुझाव जल्दी से जल्दी दें,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस प्रकार की बात नहीं है, और अभी इस डिस्ट्रिक्ट्स रिऑर्गेनाइज़ेशन में सिवाय इसके कि यह सम्भावना हो सकती है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इधर या उधर एडजस्टमेंट करें, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर की एक या दो तहसीलों को कम करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में मिलाया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम यह कहें कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट को मान लें कि सीकर हो या बूंदी हो या और कोई ज़िला हो उसको तोड़ देने की बात आती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सामने उसको तोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिए, और इससे ज्यादा इस मामले में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जो कट-मोशन रखा गया है वह वापिस ले लिया जायगा, और जो यह मांग है उसको कम से कम एक मत से पास कर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह अध्यक्ष महोदय....

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : आज से अधिक संतोषजनक जवाब आपको कभी नहीं मिला होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष मोहदय, इस तरह का संतोषजनक जवाब जो मिला है, और माननीय मंत्रीजी ने जो स्पष्ट किया है कमिश्नर्स को हटाये जाने के संबंध में कि सरकार विचार कर रही है, तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति को देखकर मुझे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन अनुमति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसके संबंध में प्रश्न यह है कि उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४८ जो इस प्रकार है, "कि अनुपूरक, अनुदान की मांग संख्या, ४८ मुख्य शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,५०,००० रु. तक की और राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

१२. ४८ म० पं०

मांग संख्या ६२—विविध

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि

Page No.43

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५७–विविध के संबंध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५,०६,०००) रू. तक की राशि और प्रदान की जाय ।"

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I beg to meve that the Demand No. LXII, Major Head 57-Miscell-aneous be reduced by Rs. 1/- (to discuss the slip-shod manner in which the work of resettlement of the displaced persons from East Pakistan is carried on)."

अध्यक्ष महोदय, मेरे कट मोशन को मूव करने का इरादा सिर्फ इतना ही है कि सरकार के ध्यान को मैं इस तरफ खींचूं कि वहां पर जो कोटा डिस्ट्रिक्ट में जो रिसेटलमेंट का काम चल रहा है वह बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि उस काम में और अधिक रफ्तार लाई जाय और उसको जल्दी से जल्दी किया जाय मेरी जहां तक जानकारी है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : You mean East Bengal refugees ?

श्री चोधरी : Ye, Bengal refugees. जहां तक मेरा ख्याल है कि पहले यह ख्याल था कि आज से डेढ़ साल पहले वहां पर कोलोनी को पूरा कर लें और लोगों को वहां पर रिसेटिल कर दें । लेकिन अफ़सोस है कि टारगेट डेढ़ से भी ज्यादा साल, डेढ़ साल बीत गया है । शायद दो–तीन महीने पहले कुछ फेमिलीज़ को वहां लाया गया है । लेकिन उनके लिए जो मकान वगैरह बनाये गये हैं वे भी संतोषजनक नहीं हैं, यानी वे हट्स जैसे हैं; कोई पक्के मकान भी नहीं हैं । घास पत्ते के मकान बनाकर उनको रिसेटिल किया जा रहा है । पूरी एमिनिटीज़ उनके लिए नहीं है । तो मेरे कट मोशन का मकसद यह था कि मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाय । मैं समझता हूं, जो लोग इसके इन्चार्ज हैं या जो भी डिपार्टमेन्टल हैड या ऑफिसर इन्चार्ज हैं, मैं समझता हूं वे अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं और इस काम की अर्जेन्सी का उनको ख्याल नहीं है । यदि उनको इस काम की अर्जेन्सी का ख्याल होता तो कम से कम जो रिहेबिलिटेशन का काम साल भर पहले पूरा होना चाहिये था वह काम साल भर पीछे भी सेन्ट परसेन्ट पूरा नहीं हुआ है, ३० परसेन्ट या ४० परसेन्ट काम हुआ है । मैं चाहता हूं कि या तो मुख्य मंत्रीजी खुद इसमें दिलचस्पी लें या उन ऑफिसर्स से पूछा जाय कि साल, सवा साल की देरी क्यों की गई ? इसमें कौनसी बातों की दिक्कत थी ? पैसा नहीं मिला था, जमीन नहीं मिली थी, लेबरर्स नहीं थे ? किस वजह से देरी हुई ? जिस काम को साल भर पहले करना चाहिये था वही काम साल, सवा साल बाद भी पूरा नहीं हुआ । अगर पूरा हुआ भी तो मकान वगैरह स्टेन्डर्ड के मुताबिक क्यों नहीं बने ? बस इतना ही मेरे कट मोशन रखने का मकसद था ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस कटौती प्रस्ताव में बंगाली रिफ्युजीज़ के बारे में माननीय सदस्य ने उनको बसाने में देरी होना बताया और इस ओर ध्यान आकर्षित किया । इस कट-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मोशन के द्वारा उसके लिये सदन के सामने कुछ वाकयात रख दूं जिससे मालूम हो जावे कि सरकार की ओर से देरी नहीं हुई है बल्कि ईस्ट बंगाल के रिफ्युजीज़ यहां आये हैं और यहां आकर बसे हैं और उनको पूरा संतोष है। उनके लिये पूरा इन्तज़ाम होना चाहिये था वैसा है और मकान वगैरह की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुल १३००० बीघा जमीन कोटा डिविजन में तहसील किशनगंज, घाटी पुर्नियां में उनके लिये रखी गई है। वहां पर ६०० शरणार्थी परिवारों को बसाने की योजना थी, ६०० काश्तकार और ६० नॉन काश्तकारों को बसाने का तय हुआ था। पहला इन्स्टॉलमेंट घाटी में बसाने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने तय किया और उन्होंने ३३ लाख रुपयों का खर्चा पास किया। उसमें से ३२ लाख रुपया राजस्थान सरकार को बतौर लोन के देना मंजूर हुआ। अगस्त सन् ५७ में यह लोन मंजूर हुआ और उसी महीने में इस बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही कर दी गई। वह जमीन जंगल की जमीन थी इसलिये उसको साफ करवाना व सर्वे कराना जरूरी था। इस काम को शुरू किया गया। लेकिन शरणार्थियों के आने में देरी हुई। पहला लोट जो प्रोग्राम के मुताबिक दिसम्बर के फर्स्ट वीक में आना चाहिये था वह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आया। वह ४८ फेमिलीज़ का लोट आया। उसको घाटी गांव में बसाया गया। आपका कहना है कि उनके लिये मकानों का इन्तजाम नहीं किया गया। उसके लिये बात यह है कि मकानों के संबंध में यह तय किया गया था कि बाद में रिफ्युजी खुद यहां आने के बाद अपनी सहूलियत के माफिक मकान बनावें तो अच्छा रहेगा। इसलिये पहले उनको ३०० टेम्पोरेरी शेल्टर्स में बसा दिया जायगा। उनका यह कहना गलत है कि उनके रहने का इन्तजाम नहीं किया गया। शायद उनको सूचना नहीं है इसलिये उन्होंने कह दिया कि वे वगैर मकान हैं। जैसा पहले तय था उसके मुताबिक टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर्स बनाये गये, जिनमें वे लोग अभी रह रहे हैं। बाद में वे अपने प्लान के मुताबिक खुद मकान बनवालेंगे जिसके लिये उनको रुपये दे दिये गये हैं, जमीन भी अलोट कर दी गई है। सुपरवाइज़री कंट्रोल के लिये कलेक्टर और कमिश्नर हैं। एक स्पेशल ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बंगाली को नियुक्त किया गया है कि वे भाषा वगैरह नहीं जानते इसलिये उनके रात दिन की समस्या को समझने के लिये बंगाली को नियुक्त किया गया है। उनको हर तरह की मदद देते हैं, माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो मैं उनको बतला दूंगा। जो ४८ परिवार वहां से यहां आये हैं उनको बहुत संतोष है। उनको बसाने की जो जरूरी कार्यवाही चल रही है उससे उनको पूरा संतोष है। फिर भी यदि माननीय सदस्य असुविधा को ध्यान में लावेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी असुविधा को दूर करने का प्रयत्न किया जायगा और यदि कोई गलती होगी तो उसे दूर करने की हर तरह कोशिश करेंगे।

श्री पी. के. चोधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ बताया उसके बाद मैं अपने कट मोशन को प्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि वे लोग वहां पर खुश हैं। जहां से आये हैं वहां उनके रहने के लिये तम्बुओं में भी जगह नहीं थी और यहां उनको कुछ सुविधाएं मिलेंगी, तो इससे

(श्री पी० के० चौधरी)

वे जरूर खुश हैं। उनकी खुशी इस किस्म की है, न कि मकान वगैरह की पूरी सुविधा मिल गई इसकी। लेकिन फिर भी जैसा कि आश्वासन दिया है उसके बारे में अवश्य ध्यान देंगे और जो बातें हम सामने लायेंगे उनकी ओर तवज्जोह देंगे। इस ख्याल से कट मोशन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : Sir, I withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ६२ जो इस प्रकार है, स्वीकार की जाय "कि अनुपूरक अनुदान की माँग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५७–विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ३५,०६,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।"

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें और जो विपक्ष में है वे ना कहें।

(स्वीकृत)

हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई।

(१२.५८ म० प०)

मांग संख्या ४३—भू-राजस्व

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुपूरक अनुदान की माँग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ४१,७७,००० रु. की राशि और प्रदान की जावे।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उपरोक्त माँग सख्या ४३ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४४–राजकीय आबकारी कर

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुपूरक अनुदान की माँग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ८–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ४,००,००० रु. की राशि और प्रदान की जावे।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४४ के सम्बन्ध में मैं अपना कटोती प्रस्ताव जो इस प्रकार है प्रस्तुत करता हूं :

"कि मांग संख्या ४४. मुख्य शीर्षक ८–राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (शराब की खपत में बढोती पर वाद–विवाद करने हेतु)"

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अध्यक्ष महोदय, आज इस सम्बन्ध में सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट मंजूर करने को बाध्य होना पड़ रहा है, इसका हमें दुःख है। इससे भी अधिक इस माँग के सम्बन्ध में दुःख इस बात का है कि यह मांग उन मंत्रीजी के द्वारा आ रही हैं जिनकी विधान सभा के सदस्य के नाते ही नहीं बल्कि इसके बाहर हम उन्हें राजस्थान के एक पुराने गाँधीवादी नेता के नाम से अधिक जानते हैं। महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों को मानने की बार बार हर क्षेत्र में दुहाई दी जाती है; केवल दुहाई ही नहीं दी जाती है बल्कि राजस्थान के अलावा अन्य अन्य भाग हैं वहां पर मद्यनिषेध की योजना चल रही है और हमारे यहां के गांधीवादी मंत्री के द्वारा शराब की खपत बढ़ रही है इसलिये बाहर से शराब मंगाई जा रही है; उसके लिये अधिक धन देने की मांग प्रस्तुत की जा रही है। इससे ज्यादा हमारा क्या दुर्भाग्य हो सकता है?

१ म० प०

जहां तक शराब के लिए इस मांग का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश के अन्दर इस प्रकार का एक आन्दोलन चला था, नमक कर के सम्बन्ध में, उस समय हमारे देश में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि इस मांग को लेकर हमें अंग्रेजों से लड़ाई करनी है। इसी प्रकार से शराब बन्दी के सम्बन्ध में भी एक समय देश के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था। महात्मा गांधी ने शराब-बन्दी की नीति को इसलिए नहीं रखा था कि शराब की खपत बढ़ती है लेकिन इसका कारण था कि समाज में इससे दुर्गुण फैलते हैं, समाज के अन्दर जितनी बुराइयां फैलती हैं वे शराब के कारण फैलती हैं। इस सम्बन्ध में हम सब, सदन के समस्त सदस्य और माननीय मंत्री जी जानते हैं कि जितनी शराब की खपत बढ़ेगी, उतना पतन होता है। आजकल जहां भी भाषण दिये जाते हैं उन भाषणों में हर जगह इस बात की दुहाई दी जाती है कि देश के अन्दर शराब के प्रयोग से जनता का नैतिक चरित्र गिरता जा रहा है। हमारे समाज के अन्दर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, हरिजनों का वर्ग है उनकी शराब की बढ़ती हुई खपत के कारण दुर्दशा हो रही है, यह चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके साथ ही साथ शहरों के अन्दर भी ऐसी स्थिति दिखाई देती हैं, आप मिर्जा इस्माइल रोड पर चले जाइये, चौड़े रास्ते पर चले जाइये, वहां नई-नई शराब की दुकानें खुलती हुई दिखाई देती हैं। यह क्या है, यह क्या गांधीजी का देश है? क्या हम आज दुनियां के अन्दर यह आदर्श उपस्थित कर रहे हैं कि गांधाजी के अनुयायियों द्वारा चलाये जाने वाले शासन के अन्दर शराब की खपत बढ़ाई जा रही है और उसके लिए सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड की मांग की जा रही है, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं तो और क्या है? अच्छा तो यह होता कि हमारे इन्हीं मंत्रीजी के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष आता कि हम अपने प्रान्त के लिए मद्य निषेध कानून बना रहे हैं, यदि पूरे राजस्थान में मद्य निषेध कानून न बनाते, तो कम से कम कुछ स्थानों को ड्राई स्थान घोषित किया जाता और उन बस्तियों में, जहां हरिजन रहते हैं, शराब के ठेके नहीं रखे जाते। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है; मैं आपको सीकर की बात कहूंगा, वहाँ पर हरिजनों के मोहल्ले के पास ही शराब का ठेका लगाया गया है। हम इस प्रकार की कार्यवाही

Page No.47

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

देख कर सरकार के सम्बन्ध में क्या कल्पना करें ? राज्य सरकार के द्वारा समाज के समक्ष क्या आदर्श उपस्थित किया जा रहा है, शराब की खपत किस प्रकार हमारी राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है ! मैंने अग्रसर पोस्टर देखा है कि शराब पीने से किस प्रकार के दुर्गुण आते हैं, किस प्रकार से शराब पीने वालों का पतन होता है, किस प्रकार शराब पीने वालों का गृहस्थ नष्ट होता है, किस प्रकार शराब पीने वालों का सत्यानाश होता है ? इस प्रकार के पोस्टरों द्वारा हमारी राज्य सरकार एक तरफ प्रचार करती है और दूसरी तरफ विधान सभा के समक्ष अनुपूरक मांग रखी जाती है। मैं निवेदन करता हूं कि शराब बन्दी की नीति से यदि हमें घाटा भी सहना पड़ेगा, तो भी हमें घाटे को सहने के लिए तैयार होना चाहिए, हम घाटे को सहने के लिए तैयार हैं। तो शराब बन्दी से दुर्गुणों को रोकने के लिए समाज में जो दुर्दशा होती है, उसको रोकने के लिए मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है, उसको वापिस लेने के लिए हमारे माननीय मंत्रीजी किसी प्रकार से भी इस सदन में प्रेस नहीं करेंगे या सैद्धान्तिक रूप से मुझे सन्तोष दिलायेंगे कि यह चीज सही है; ऐसी मैं आशा करता हूं। इस प्रश्न पर विचार व्यक्त किए जायेंगे, इस आशा से मैं इस कटौती प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कट मोशन रखा है, और उसके सम्बन्ध में जो कुछ बातचीत की, तो ईमानदारी की बात तो यह है कि कम से कम शराब के लिए कांग्रेस की तरफ से और जो कांग्रेस के सबसे पुराने नेता हैं, उनकी तरफ से ऐसी मांग रखा जाना कहाँ तक सही हो सकता है और इसकी तरफदारी करना कहां तक सही हो सकता है ? दुनिया जानती है कि सबसे पुराने गांधीजी के साथी हमारे माननीय मन्त्री हैं, जिन्होंने इसकी मांग की है कि शराब के लिए कुछ रुपये और बढ़ाये जांय, मेरे मित्र श्री जगदीशजी ने शराब बन्दी की आदर्श की बात कही। वे आदर्श की बात इस कांग्रेस ने एक्सपेक्ट न करें। जिनके शासन की शुरुआत ही आदर्श से नहीं हुई, तो इस सम्बन्ध में आदर्श कैसे हो सकता है ? यह काम, जब कोई आदर्शवादी राज्य होगा, तब होगा। लेकिन कम से कम शराबबाजी ज्यादा हो रही है, और हमारी आँखों के देखते हुए, इससे समाज में जो गड़बड़ी होती है, उस सम्बन्ध में सोचना चाहिए। समाज कल्याण विभाग के नाम पर कल जो बातें हुईं, वे सब जानते हैं। इस विभाग के द्वारा जो पैसा तकाबी के नाम पर दिया जाता है, वह शराब के ठेकों पर खर्च कर दिया जाता है। इस प्रकार की चीजों को देखते हुए जो आदर्श की बात है, उसका कहीं नाम और निशान नहीं है। आदर्श का नाम तो, जब हमें आजादी मिली तब ही खत्म हो गया। यह चीज आप छोड़ो। चिकने घड़ों पर ठहरेगी नहीं आदर्श की चीज। मेरा निवेदन है कि कम से कम सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि किस प्रकार गरीब आदमियों में दुर्गुण आते हैं, मजदूर दिन भर मजदूरी करता है तथा जो पैसा पाता है, उसको ठेके पर खर्च कर देता है, योजना को सफल बनाये जाने के लिए जो पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है, उसको शराब पर खर्च कर दिया जाता है। वैसे आज आप मेजोरिटी में हैं, जो चाहे कर सकते हैं लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आज हम कांग्रेस की नीति देखना चाहते हैं कि कितने मेम्बर कांग्रेस के, जो खद्दरधारी हैं, जो पूरे सफेद हो रहे हैं,

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

शराब बन्दी के पक्ष में बोलते हैं। आज उनका टेस्ट हैं, उनका इम्तहान हैं। आज दुनियां देखेगी और अखबारों के जरिये आवाज उठेगी कि सदन के द्वारा शराब की खपत के लिए अधिक रुपये की इजाजत दी जाती है। आज हम ना और हां देखेंगे, आज आपकी शराब बन्दी की नीति की कसौटी देखनी है, आज तक जिस आदर्श की बात होती है, उस आदर्श के नमूने को हम देखना चाहते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और इस पर अधिक बहस नहीं करना चाहता हूं। अंत में एक और बात कह देना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारी इस चीज़ को तो मान लो। हमने उनकी लाख बातें मानी है, आप हमारी एक बात मान लीजिये और इस मांग को वापिस ले लीजिये।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या ४४ में अपना कट मोशन सदन सामने रखता हूं। इसका कारण यह हैं कि हमारे मंत्री जी ने जो मांग की है वह इसलिए की है कि शराब की अधिक खपत होने के कारण उनको इतनी रकम और मिलनी चाहिए। हमें यह मालूम है कि काफी समय से जब एक पार्टी का शासन चल रहा है, तब दारू बन्दी की आवाज़ हमने फैलाई थी। हम जानते हैं कि जब एक–तंत्री और विदेशी शासन यहां देश में था उस वक्त दारू चल रही थी, उस समय कहा जाता था कि हमारा राज्य कायम हो जाने के बाद हम दारू को खतम कर देंगे। पर आज मुझे मालूम हुआ है कि विदेशी शासन और एक तंत्र शासन के मुताबिक हमारी सरकार के लोग भी जनता का खून बेचकर, जहर बैच कर विदेशों और देश की यात्रा करना चाहते हैं। खून बेचने की जो बात कही है, वह कैसे होती है, उसे आपके सामने रखूंगा। खून का मतलब यह है कि आज हजारों आदमी दारू पीकर मरते हैं, दारू के नशे के कारण हज़ारों का कत्ल होते हैं। उनके कत्ल होने के कारण पुलिस और पेरोकार के साथ रिश्वत का व्यवहार करना पड़ता है। ऐसी हालत में हम यदि दारू का व्यापार करें, जहर का व्यापार फैलाया करें, तो हमारा जिन्दा रहना कहां तक उचित माना जा सकता है? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दारू बन्दी की जाय और इस पैसे से कम्पनी खोल कर देश को ऊंचा उठाने की कोशिश करें और उससे धन–राशि पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन जहर बेच कर, आदमी को भ्रष्टाचारी बनाकर, उन्हें रिश्वतखोर बनाना कहां तक उचित माना जायगा? इसका कारण यह है कि आज लोग दारू पीकर मरते हैं और मारते हैं और मरने वालों के छोरे परेशान होते हैं, उनके छोरा-छोरी बे घर बार हो जाते हैं। (करतल ध्वनि) इन मरने व मारने वालों से पुलिस, मजिस्ट्रेट और पेरोकार रिश्वत लेते हैं और इस तरह भ्रष्टाचार फैलता है क्योंकि आखिर बचने के लिए आदमी अपनी कोशिश करता ही है, इसलिए वह पुलिस को, पेरोकार को रिश्वत देने की कोशिश करेगा, दूसरी पार्टी भी अपनी कोशिश करेगी ही। एक पार्टी मजिस्ट्रेट की शिकायत करेगी तो दूसरी पुलिस वालों की शिकायत करेगी। उस वक्त उनके छोरा-छोरी को रोटी से दूर होने का मोका आयेगा। इस तरह देश में भ्रष्टाचार फैलाना, लोगों का खून बेच कर जिन्दा रहना कहां तक उचित है! इसे सदन के सदस्य स्वीकार करेंगे। मेरा निवेदन है कि खून के व्यापार को खत्म करेंगे और दूसरी स्कीमें शुरू करें ताकि देश में पैदावार करके गांवों को ऊंचा उठायें, या फिर आप

(श्री हीराभाई)

दुनिया को कहना छोड दें, हां दारू से अन्याय होता है, दारू से भ्रष्टाचार फैलाते हैं। दारू पीने से लोग मरते हैं, हर एक आदमी में जो पुरानी खीस होती है, उसको मिटाने के लिए वह मारना शुरू कर दे। दारू पीने से यह हालत होती है। सरकार को यह देखना चाहिए कि दारु से कितने लोगों की भलाई होगी और कितने लोगों की बुराई होगी। आज के जमाने में अगर लोगों की बुराई नहीं करनी है, उनकी भलाई करनी है तो दारू के व्यापार को छोड़ दें, वरना फिर लोगों के दिल से अच्छाई का व्यवहार टूट जायगा और बेईमानी करेंगे और शान्ति के साथ रहने वाले नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि जो सरकार ने शराब के लिए रुपये की मांग की है, इसे सदन स्वीकार न करे और दारू के व्यापार को खतम करने की कोशिश करे। मुझे इतना ही कहना था।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): अध्यक्ष मोहदय, मेरा निवेदन है कि जो हृदय से उठे हुए भावों में हमारे हीरा भाई ने हमारे सामने बातें रखी हैं, वे गौर करने लायक और मानने के लायक हैं। दूसरे जिन लोगों के लिये कहा जाता है कि राजपूत शराब ज्यादा पीने वाले हैं, हमारी तरफ से यह सवाल उठता है कि शराब को बिलकुल बन्द कर दिया जाय, और हमारे मन्त्री महोदय जिनका नाम इस बारे में बहुत बढ़ा हुआ है, वे हमारे इस विकट प्रश्न के लिये हमारे साथ शराब बन्दी का अनुमोदन करेंगे और इस बारे में सप्लीमेंटरी में इस प्रकार का प्रश्न है, जो कटौती मोशन रखा है, उसको स्वीकार किया जाय, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम): Mr. Speaker, on this point we had an admission from the Hon. Minister-in-charge that the consumption of country liquor in this State has increased. On one side we get information from the Government that they are trying to see that the consumption of liquor goes down as much as possible, but on the other hand we also get an admission from them that the consumption of liquor is ever on the increase. These are two contradictory things which really need an explanation. Unfortunately for us, we have not been given any explanation so far by the Hon. Minister-in-charge. Why has he not been able to give an explanation to that ? He owes an explanation and am sure, evasive as he is, he will try to avoid the issue rather than face the issue. Let him come forward and tell us why consumption of liquor has not gone down. If he does not know it, I can tell him at least, because I have been in the opposition and I am not afraid of saying that we do take liquor. I know there are many Congressmen here who also take liquor, but unfortunately they are not bold enough to admit it. So for as liquor is concerned, I may tell you that the consumption has gone up. Unfortunately, our colleagues did not tell us. I will tell you at least, the reascn is one because the staff here, I believe most of the staff in Excise Department, is dishonest to the core. When the Government lays down that liquor

(श्री अर्जुनदास)

cannot be sold openly or nobody shall be permitted to take liquor at Thekas, it is just on the paper only.

If the Hon. Minister-in-charge were to take a little trouble or, as I should put it, if he were to perform his duties correctly to himself, at least, if not to us, if he were to take a little round of these Thekas, he will be able to see that this rule which has been laid down by the Government is not being observed at all. At every Theka you will find scores of people drinking freely and openly. If the Government really has laid down that people should be prohibited from drinking at public places, why not enforce it ? By merely laying down this rule, the result has been not the one which the Government desire to achieve, but the result has been the other way about. It has gone to fill the pockets of the officers of Excise Department.

The other thing I would like to bring to your notice, of course to the notice of the Hon. Minister-in-charge, would be to say that the bottles which are said to be pilfer proof,they are not really pilfer-proof. It is impossible today if you can get any bottle of country lipuor un-adulterated. I give you a challenge, in any town or any place at any Theka, you cannot possibly get un-adultlerated liquor. Why so ? At jaipur also, only with a view to be able to say so with confidence, because we seldom say things until and unless we are so sure about it, I tried at two Thekas. Personally I went over there. I can tell you, one is near the Jaipur Railway Station. Sir, when I went over to him, he said, "sorry, I have not got any sealed bottle, you can buy this open liquor if you care to. The fact remains that I did pay money and bought it and found it 25% adulterated. It is an open challenge to the Government, if they have any sincerity about it, to test my statement, to test the veracity of my statement. I will tell you all to take a round if you can buy an unadulterated bottle of liquor in whole of Jaipur.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Is it based on personal knowledge ?

श्री अर्जुनदास : I thought everybody is trying to hear with open ears. I had used the words 'personally' not only on my personal information, but personal experience too.

Then, Sir, at another Theka I tried it. I am going to name the Theka even; the Theka at Ajmeri Gate. The man was blunt enough and said, "If you want to have unadulterated bottle, you will have to pay-/7/- more on 'Adha',' and that fellow of course did give me un-adulterated, but I had to pay--/7/- more. What is all this ? Corr-

(श्री अर्जुनदास)

uption ! I say all these things only because the Government, when it says that its policy is to reduce drinking in this state, is trying to be fool itself only; the Government should be assured that nobody takes them at their word when they make these statments. Everybody know that this is only for their own record and not for the general masses. I would, therefore, suggest that until and unless the Government is able to take very strong steps, they cannot possibly ever stop it. So far as today's question is concerned, I believe the income of any Excise officer may be much more than that of an Hon'. Minister himself even, Sir, I can also give them instances. The Government supplies lipuor to the dealers at a particular rate and they are supposed to sell it at a particular rate, Please see what they can possibly earn. By simple arithmatic, a bit of arithmetic, every dealer in lipuor must lose and lose heavily per year, yet when it comes to public auction the rates go up and up. Why so ? The only irresistible inference is that they are being given a free hand to do whatever they like and why they are being given free hand is only because the Hon. Minister says he cannot visit Thekas; and he says "मैं तो गांधीवादी हूं, शराब के ठेके की शक्ल भी नहीं देखना चाहता ।" We are not satisfied with all these things. Excuse is no solution. We want to achieve results and not excuses. If the Hon. Minister were to tell us that he does not drink and he feels ashamed in visiting Thekas, then my challenge to him would be that he should leave this portfolio rather than talk all this. If you want to continue on this portfolio you will have to perform this onerous duty of visting these Thekas. Do it as your duty and do it only too well. There should be no lame excuses because we will not be satisfied with lame excuses.

I support this cut motion ond I only expect that the Hon. Minister-in-charge will give an explicit reply rather than an evasive reply as I ordinarily expect of him.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : on a point of information, Sir. There is a mention of P.P. bottling system. Atleast I am not clear about it.

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पी.पी. बोटलिंग सिस्टम से क्या मतलब है ?

श्री अर्जुनदास : I can inform the House instead of the Hon. Miniser because I feel...

श्री अध्यक्ष : You seem to know everything about it,

श्री अर्जुनदास : Exactly, Sir, because every body amongst us and not only me, Sir.........

Page No.52

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग के सम्बन्ध में जो कट मोशन....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: I wanted information and not a reply to the cutmotion.

श्री अध्यक्ष : वे भी जवाब देंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई और बोलने वाले हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपके पास बैठने वाले मेरे माननीय सदस्य ने आपकी सहायता कर दी होगी। उन्होंने आपको बता दिया होगा कि पी.पी. बोटलिंग का क्या मतलब है, वे अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर मिल गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलूंगा।

श्री नाथूराम निर्धा : अभी बजट आ रहा है, आप उस पर बोल सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी. पी. बोटलिंग से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : Pilfer proof...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी तक जो सिस्टम शराब में मिलावट को चैक करने के लिए निकला है उसमें सबसे अच्छा पी. पी. बोटलिंग का है। यह शराब में मिलावट को रोकने के लिए है।

श्री अध्यक्ष : और कुछ पूछना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: "Purchase of liquor from outside," यहां पर आउटसाइड से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस कट मोशन में दो-तीन बातें कही गई हैं। एक तो माननीय सदस्य ने गांधीवादी होने के नाते मुझे याद किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यह प्रश्न मेरे व्यक्तिगत या गांधीवाद का इतना नहीं है जितना राज्य की नीति का है और वे अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य की नीति शराब और नशे बन्दी को रोकने की है।

श्री अर्जनदास : I do not believe in that, Sir.........

श्री अध्यक्ष : Order please! He had the patience to listen to you, now you should have some patience.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप मानें या न मानें, यह आपके मानने या न मानने का प्रश्न नहीं है लेकिन सरकार की जो नीति है वह है और, उसके अनुसार सरकार ने पंच वर्षीय योजना में रफ्ते रफ्ते बन्द करने का कार्य-क्रम बनाया है और उसके साथ सरकार दृढ़ता से आगे कदम बढ़ा रही है, इसलिए जो भी मन्त्री यहां होगा उसका काम नशा बन्दी को रोकने का होगा और मैं भी वही कर रहा हूं और मेरा महकमा भी यही कर रहा है। अब रहा सवाल यह कि जो बातें अभी बताई गईं, इससे मालूम होता है कि शराब की बिक्री बढ़ गई है। इसके दो कारण हैं; एक तो यह कि सन् ५६–५७ में अजमेर राज्य मिला और उसके साथ उसके

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

फिगर्स भी इसमें मिले हैं, इसलिये फिगर्स बढ़े हैं। दूसरा कारण यह है कि ५६–५७ से ही इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया कि नाजायज शराब जो बनती है उसको रोका जावे और उसके लिए काफी कार्य किया। इसमें कई व्यक्तियों के चालान हुए हैं और चालान की संख्या मैं आपको बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा :

१६५४–५५ में	२४७०·
१६५५–५६ में	६४५४
१६५६–५७ में	३०५२

एक माननीय सदस्य : जो लोग पहले छुप कर पीते थे अब खुल कर पीने लगे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो जो लोग नाजायज शराब बनाते थे और लुक–छुप कर पीते थे वे लोग अब खुल्लम खुल्ला पीते होंगे। जो लोग लुक–छिप कर पीते थे उसके आंकड़े हमारे पास नहीं है। राजस्थान सरकार की यह निश्चित् नीति है कि शराब को बन्द किया जाए और जहां कहीं मैं गया हूं और जब कहीं ऐसे फिगर्स मेरे सामने आए तब मैंने उनसे प्रश्न किया कि ये फिगर्स शराब पीनेवालों की संख्या बढ़ने से हैं या शराब की कीमत बढ़ जाने से हैं, तो उन्होंने बराबर बताया और मेरी समझ में आ गया कि यह आंकड़े इस लिये नहीं बढ़े हैं कि सरकारी कर्मचारी शराब बढ़ाने की नीति चलाते हैं। यह दूसरी बात है कि जो ठेकों के सिलसिले में मिलावट करते हैं या वे कर्मचारी जो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते यदि उनके लिए कोई जानकारी मिले तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मदनसिंह दांता : इसको बन्द ही कर दिया जावे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: दूसरी बात यह है कि यह सप्लीमेंट्री बजट है। इसमें सरकार को पिछले साल की बकाया रकम देनी है जो हर सरकार को देनी होती है, महीने दो महीने बाद।

श्री मदनसिंह दांता : मिनिस्टर की पे में से दे दी जाए। It should be from the pay of the Minister.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर मिनिस्टर की पे में से ४ लाख रुपया चुकता हो जाता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : आपको चार वर्ष की गारन्टी कर देंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मिनिस्टर की पे में से आप पैसा दिलाना चाहते हैं। मगर सरकार की इसको देने की जिम्मेदारी है....

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of order, Sir, the Hon. Mamber is not interrupting. It seems as if he has taken the chair of Speaker, he is rather regulating.

श्री अर्जुनदास : Is it a point of order ? This is an aspersion the Chair.

श्री अध्यक्ष : वे तो सिर्फ आश्वासन चाहते हैं कि उनको शुद्ध शराब मिलती रहे।

श्री मदनसिंह दांता : यहीं तक नहीं, अगर कम हो जावेगी तो भी इसका विरोध ही करेंगे।

Page No.54

श्री अध्यक्ष : आपने विरोध किया, आपको मौका मिला।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: चूंकि यह रकम सरकार को देनी है इसलिये यह रकम देनी पड़ेगी। जो खर्चा हो चुका है उसको तो आपको देना ही होगा।

१.२८ म. प,

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप इस बात का आग्रह करें तो आपकी मर्जी है, मगर जो रकम देनी है वह देनी ही होगी।

श्री मदनसिंह दांता : खर्चा...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। यह पिछली बकाया है और अगर यह पिछली बकाया नहीं होती तो मैं भी इसका समर्थन नहीं करता। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदनसिंह, दांता : आगे विरोध करते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आगे बजट आवेगा।

श्री अर्जुनदास : Sir, the Hon. Minister did not promise that he would be visiting Thekas personally of and on.

श्री उपाध्यक्ष : You must feel satisfied with whatever he has stated.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: आपने जो सुझाव चोरी के और पानी मिलाने केलिये दिये हैं उनको रोकने की कोशिश करूंगा और यह कोशिश करूंगा कि कानून के मुताबिक काम हो और आपकी जो शिकायत है उसको दूर किया जाएगा। मैं खुद भी जाऊंगा, यह मेरा भी फर्ज है। इसके अलावा और भी शिकायतें हैं उसके लिये पर्टिक्युलर केस आप बतावें तो जरूर कार्यवाही करूंगा। इससे ज्यादा इस समय मैं कहने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। ऐसे तो माननीय सदस्य को अख्तयार है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता और यह उत्तर दिया जाता तो मेरे लिये यह संतोषजनक होता। इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो बहस का उत्तर दिया उसके सम्बन्ध में उन्होंने जो मुख्य दलील दी है वह यह है कि यह तो बकाया की रकम है जो चुकानी है। पी ली और पीने के बाद तो बकाया की रकम कम ही चुकती है। यदि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार भविष्य के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण करती, यदि संकेत भी देते कि भविष्य में इस प्रकार से सरकार की नीति है तो बात होती। इसलिए अभी तो राज्य सरकार की नीति में और गांधीवादी नीति में और दोनों में फर्क है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राज्य की नीति भी इसको बन्द करने की है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : राज्य की नीति से इसको बन्द करने का संकेत नहीं मिलता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो कॉंस्टिट्युशन में भी प्रोवाइड किया हुआ है।

Page No.55

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

कॉन्स्टिट्युशन के डिरेक्टिव में है, प्रिएम्बल में कहा गया। राज्य सरकार की तो इसको बन्द करने की घोषित नीति है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कॉन्स्टिट्युशन में घोषित नीति हो सकती है लेकिन जो इससे रिजल्ट मिल रहा है, यहां जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट आयी है इससे भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शराब की खपत ज्यादा बढ़ी है और जब इसकी खपत बढ़ रही है तो राज्य सरकार की जो घोषित नीति है उस पर अमल करने की कार्यवाही नहीं रहती है। नाजायज शराब के केसेज़ होते हैं। नाजायज शराब के केसेज़ होते हैं वे इस प्रकार के नहीं हैं कि हृदय में कोई शंका उत्पन्न नहीं करते हों, लेकिन शराब बन रही है, नाजायज शराब के केसेज़ अधिक पकड़े जा रहे हैं; तो इस हिसाब से नाजायज शराब अधिक बनती जा रही है, पुलिस कोई ज्यादा कार्यवाही कर रही है तो यह भी कयास ले सकते है कि नाजायज शराब अधिक बन रही है, दूसरी शराब भी बाहर से अधिक मंगाई जा रही है; इसलिए यह शंका हो रही है कि जो राज्य सरकार की घोषित नीति है उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार अमल नहीं कर रही हैं। इसीलिए कट मोशन लाना आवश्यक है और इस सम्बन्ध में मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मत दे।

श्री उपाध्यक्ष : Not going to withdraw?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : No, Sir, I have left it for voting.

श्री उपाध्यक्ष : Then I put it to vote.

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Ayes have it, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास : Noes have it, Sir

श्री उपाध्यक्ष : Want a division ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Yes, I want the division, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Very important issue, Sir.

(मत विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

एक माननीय सदस्य : मालूम तो हुआ कि कितनी शराब-बंदी है यहां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री हीराजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

Page No.56

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग जो निम्न प्रकार है उसके स्वीकार किया जाय :

"कि अनुपुरक अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ८—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,००,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा।

(विराम)

(१.४५.म.प.)

मांग संख्या ४५. वन

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुपूरक मांग संख्या ४५. मुख्य शीर्षक १०—वन के सम्बन्ध में सन् १९५७–५८ के खत्म होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय कौ १ हजार रुपये की राशि और प्रदान की जाय।"

विशेष जानकारी हेतु मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह मांग फोरेस्ट के जो बजट प्रोविज़न्स हैं उसके कुछ हेड्स में खर्चा ज्यादा है और कुछ में कम है, इसलिए उसमें रिएप्रोप्रियेशन करना पड़ेगा और उसी सिलसिले में १ हजार तक की टोकन ग्रान्ट इस मांग द्वारा चाही गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन इस प्रकार है ?

"That the damand No. XLV, Major Head 10-Forest be reduced by Rs. 1- (to discuss the settlement operations in forests)."

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के भिन्न २ भागों में जंगलात का सेट्लमेन्ट हो रहा है और इस सेटलमेन्ट के अन्दर हमारे सामने इस प्रकार की दिक्कतें आयी हैं कि जो सेटलमेन्ट के अधिकारी जाते हैं तो यदि कोई गांव पहाड़ों के बीच में है तो पहाड़ों के बीच में होते हुए भी यदि उसको फोरेस्ट एरिया में ले लिया जाता है तो फोरेस्ट विभाग की ओर से उस गांव को सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन यदि फोरेस्ट के बाहर निकाल दिया जाता है तो उस गांव की कोई जिम्मेदारी फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट पर नहीं रहती है। इसलिए फोरेस्ट का जो सेटलमेन्ट हो रहा है उससे यह देखने को मिला है कि सेटलमेन्ट के अधिकारी जाते हैं और सेटलमेन्ट करते समय यदि इस प्रकार से गांव वहां बसे हों, फोरेस्ट के नाके पर हों तो जान-बूझ कर निकाल देते हैं। जो सुविधाएं उन लोगों को वहां से प्राप्त होती थीं; जैसे लकड़ी, हरी घास, पत्तियाँ और पशुओं को चराने के लिए सुविधा, वे सब सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और उन गांवों का सेटलमेन्ट होता है जो सीमा बन्दी से निकाल दिया जाता है और इसके फलस्वरूप जो गांव पहाड़ों के नाकों पर बसे हुए है, वहां के निवासियों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। जब पिछली बार सदन में फोरेस्ट के सम्बन्ध में विचार किया गया था तो उस वक्त भी निवेदन किया था, इस प्रकार की शिकायतें की गई थीं कि ग्रामीणों को जंगलात विभाग से काफी तकलीफात दी जा रही हैं और इस प्रकार

Page No.57

श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दिक्कतों को दूर नहीं किया गया है । तो मंत्रीजी ने डाइरेक्शन दी कि कोई गांव ढाणी जंगल के अन्दर था और उसको सेटलमेन्ट के समय सीमा बन्दी से अलग किया गया । फोरेस्ट के डेवलप्मेन्ट की दृष्टि से उस गांव ढाणी के निवासियों को, जो वनवासी थे उनको बनवासी न बना कर बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए जो सुविधाएं पहले प्राप्त थीं उसी प्रकार की सुविधाएं भविष्य में भी मिलती रहें । इस प्रकार का आश्वासन माननीय मंत्री द्वारा मिलना चाहिए । इसी सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है ।

श्री हीरा भाई: (कुशलगढ़) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग जो बन्दोबस्त के बारे में रखी गई है उस पर मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है । यह मेरा सुझाव है कि फोरेस्ट बन्दोबस्त का जो एरिया बन रहा है उसमें हजारों रुपयों की धनराशि हम खर्च कर रहे हैं इसका कारण यह है कि पहले जो इलाके रेवेन्यु के थे उसी के साथ साथ फोरेस्ट के भी इलाके बन रहे हैं, उसके साथ में हमारी सीमा बन रही है और इसी कारण वन विभाग में रिश्वतखोरी चल रही है । एक किसान के खेत में पांच-पच्चीस किसान इकट्ठे हो जाते हैं और गांव में हल्ला करते हैं, फिर रेन्जर साहब को लाकर पच्चीस-पचास रुपये रेन्जर साहब को दे देते हैं । इस सम्बन्धी शिकायत मैंने दस-पन्द्रह रोज पहले वन विभाग को दी है उसका कोई पता नहीं । कागज सड़ जायेंगे लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जायगा ।

हम पहाड़ के निवासी हैं, वहां दो-चार झाड़ लगा दिये जाते हैं और कह दिया जाता है कि वन कूप द्वारा लगाये गये हैं । यह किसानों की शिकायत है, उसमें हमारे किसान रेन्जर साहब को देख लिया करते हैं और फिर रेन्जर साहब कह देते हैं कि इस खेत में जितनी आमदनी होती है उससे कितनी ही ज्यादा जंगल से आमदनी हो सकती है । हम जंगल से सम्पत्ति पैदा करना चाहते हैं जहां खेत के जरिये चार छः आना लगान का मिलता है वहां हमारी हजारों रुपये की पैदावार जंगलों से है । इस तरह से हजारों किसानों के खेत बरबाद होते जा रहे हैं और खेत जंगल विभाग के कब्जे में लिये जा रहे हैं । यह ठीक है कि जहां प्रकृति के जंगल पैदा किये हुए हैं वहां तो आमदनी उतनी होगी ही, हमारे खजाने में जो पैसा आ रहा है वह है प्रकृति द्वारा पैदा की हुई जंगलों की ही आमदनी हमारे वन विभाग द्वारा जो जंगल पैदा किये जाते हैं उनकी आमदनी तो बिल्कुल नहीं है । उसी प्रकृति द्वारा पैदा किये हुए जंगलों का ठेका दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि ठेकेदार और रेन्जर मिल कर उसका ठेका पास कर देते हैं । पचास एकड़ का एक जंगल एक ठेकेदार को दिया गया । इसमें होता क्या है कि जंगलात के कर्मचारी मिलकर ठेका पास करवा देते हैं । मैंने इसकी शिकायत भी आपके डिपार्टमेंट से की थी किंतु अभी तक उस कागज का कोई जवाब नहीं मिला । पचास एकड़ का एक जंगल इब्राहीम ठेकेदार को दिया गया था उसने हजारों गाड़ियां माल भर कर भमरकोट को भेजा जिसमें हजारों मन माल निकला, उसमें दस प्रति गाड़ी रामनारायण को दिया गया । इस सम्बन्ध में हमने शिकायत भी की थी लेकिन अफसोस है कि आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई । इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । इससे

(श्री हीरा भाई)

बेचारा किसान अलग परेशान होता है और दूसरे जो जंगलात के कर्मचारी हैं वे भी रिश्वतखोर बन रहे हैं। किसानों के खेत बरबाद होते जा रहे हैं और दूसरी ओर हमारे ठेकेदार कर्मचारियों को रिश्वतखोर बना रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी अपने डिपार्टमेंट में बैठे रहते है और जंगलात में जो नीचे के कर्मचारी होते हैं उनके भरोसे छोड़ दिया जाता है। इससे मेरा यह निवेदन है कि जंगल कभी ऊपर उठने वाला नहीं है। इसमें होता क्या है कि दस—पन्द्रह दिन बाद रेन्जर साहब जंगल में जाते हैं और अच्छे अच्छे पौधे कटवा कर बेच देते हैं और जो उसके पैसे होते हैं वे अपनी जेब में रख लेते हैं; उनकी तो जेब में पैसे आने चाहिये।

कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है, इस लिये अगर जंगलों से होने वाली आमदनी वे अपनी जेब में रख सकते हैं, ऐसा अगर कोई नियम हो तो सरकार को चाहिये कि उस से सारी जनता को मालूम करावे ताकि रिश्वतखोरी तो न बढ़े; नहीं तो ठेका दिया जाता है हजारों एकड़ जमीन का, रेन्जर और ठेकेदार मिल जाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। इस तरह से लोगों को पालने का ही सरकार का इरादा हो तो यह बहुत अच्छा है। अगर आप जंगलों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप रेन्जर के भरोसे मत छोड़िये। मेरा इस बारे में यह सुझाव है कि जो बन्दोबस्त किया गया है उसमें असफल रहे हैं इसलिए पुराने रीति-रिवाजों के अनुसार हमारे जो गावों की सीमा बन्धी हुई है उसी के आधार पर गावों के मुखियाओं को पंचायतों के जो वार्ड्स हैं उनको जंगल सौंप दिए जांय तभी जंगल पनप सकते हैं। इसमें सरकार को विश्वास का संबंध गांव वालों के साथ जोड़ना चाहिए ताकि जंगल बढ़ सकते हैं नहीं तो जंगल बढ़ने वाले नहीं हैं।

आज गावों में रिलीफ देने के लिए काम खोले जाते हैं, वहां पर सड़कों का काम होता है जब वह काम खत्म हो जाता है तो दूसरा काम नहीं मिलता। वैसी हालत में यदि ठेका जंगलों का नहीं दिया जाय तो वहां डिपो बना दिया जाय ताकि उससे जो पैसा प्राप्त हो वह सरकार के खजाने में जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : यह ठेके का मसला नहीं चल रहा है, सेटलमेन्ट का मसला चल रहा है।

श्री हीरा भाई : (जारी रखते हुए) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बन्दोबस्त का सवाल है उसका कारण ही फौरेस्ट है, जो बन्दोबस्त आप करने जा रहे हैं उससे तो जंगल बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप वास्तव में जंगलों की रक्षा करना चाहते हैं तो गांव की जो सीमा बनी हुई है उसी के अनुसार गांव वालों से उसकी रक्षा कराई जाय। आज ठेकेदारों को जंगल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि ठेकेदार मनमानी रकम लेकर उसको बेच देता है। इससे राज्य सरकार को तो लाभ नहीं और जंगलात डिपार्टमेन्ट भी सन्तुष्ट नहीं रहता और जंगल भी बर्बाद होता है। मेरा तो यह कहना है कि गांव वालों के साथ सम्बन्ध कायम करके इसका बन्दोबस्त गांव के मुखियाओं के पास या ग्राम पंचायतों के पास दे दिया जाय तो सही मायने में जंगलों की बढ़ोतरी होगी और जंगल से जो आमदनी होगी वह राज्य सरकार के खज़ाने में आयगी और इन्हीं बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिये मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है। आशा है माननीय मंत्री महोदय उसको स्वीकार करेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो कटौती का प्रस्ताव माथुर साहब ने रक्खा है उसका समर्थन करते हुए मैं मन्त्रीजी से पहले यह पूछना चाहता हूं कि जो सेटलमेंट की मांग रक्खी है उनके रूल्स क्या हैं और उन रूल्स के मुताबिक फोरेस्ट डिपार्टमेंट के सेंटलमेंट में किस किस तरह से किसानों को रियायत दी जावेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, सेटलमेन्ट करने के बाद डी०एफ० ओ० उसकी अपील कर सकता है। उसका फैसला बड़ी देर से होता है। कम से कम बैराठ तहसील का मुझे पता है कि जिन जागीरदारों और राजाओं के गांव जंगलात के अन्डर में दिये उनका अभी तक पूरी तरह से सेटलमेन्ट नहीं हुआ और जब सेटलमेन्ट अफसर के पास काश्तकारों की दरख्वास्तें हमने पेश कराईं उनका अभी तक भी तीन तीन, चार-चार साल होने आये, पर कोई फैसला नहीं किया जा रहा है; तो ऐसी हालत में या तो इस सैटलमेन्ट को बन्द कर दिया जावे या कराया जावे तो उसके बारे में जो दरख्वास्तें हों उनका फैसला जल्दी से जल्दी कराया जावे।

इसके अलावा जब कि आज राजस्थान सरकार पंचायतों को पूरे अधिकार देने जा रही है और उन्हें फौज़दारी के अधिकार भी दे रही है तो इस सेटलमेन्ट का अधिकार भी उन्हीं को दे दिया जाना चाहिये। इससे जल्दी होगी और किसानों के अहित में नहीं होगा।

आज राजस्थान सरकार जितना खर्चा इस विभाग पर करती है, मवेशियों को चरने की सहूलियत देने के बारे में और नये-नये दरख्त लगाने के बारे में, उसका पूरी तरह से उपयोग आज नहीं हो रहा है।

एक अर्जी एक किसान की आज तक पड़ी है, फैसला नहीं हो रहा है; वह किसान आज बड़ा परेशान है। उसकी जमीन राजस्थान सरकार ने अपने अन्डर में ले ली यानि जंगलात में ले ली। इसके खिलाफ उसकी दरख्वास्त है। एक पिटीशन के अन्दर करीब बीस तीस हजार रुपया खर्च हो गया होगा, पर पचास दरख्वास्तों के अभी तक फैसले नहीं हुये। मैंने खुद ने वे अर्जियां दी थीं। इसमें इस तरह से राजस्थान सरकार का रुपया खर्च हो रहा है। पहले चाहिये तो यह था कि सारे राजस्थान का सर्वे कराया जाता पूरी तरह से और फिर उसका सेटलमेन्ट कराते।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस कट मोशन पर बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल : यह जो सेटलमेन्ट फोरेस्ट के बारे में रक्खा है।

श्री उपाध्यक्ष : दो माननीय सदस्यों ने रक्खे हैं, आप किस पर बोल रहे हैं; दोनों पर या एक एक पर ?

श्री मुक्तिलाल : मैं तो जगदीशप्रशाद जी वाले पर बोल रहा हूं; शुरू शुरू में ही मैंने तो बता दिया था।

(हंसी)

तो माननीय उपाध्यक्ष जी, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि सारे राजस्थान के फोरेस्ट का पहले सर्वे कराए, फिर जिस एरिया को पंचायतों को गोचर भूमि के नाम से दिया है उसको छोड़कर, काश्तकारों की ढाणियों को छोड़कर, खुद काश्त की जमीन को छोड़कर और दूसरी कुछ आसपास की गांवों की जमीन को छोड़कर, फिर बाकी का सैटलमेन्ट कराया जावे तो राजस्थान सरकार को इसमें फायदा होगा। जनता की भी परेशानियां इससे दूर होंगी और सरकार को भी।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

आज यह कट मोशन इसीलिये लाया जा रहा है। आपका मद इसलिये हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि आज जनता का पैसा इस काम में बुरी तरह से बरबाद किया जा रहा है और उसका पूरा २ उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये अगर राजस्थान सरकार एक एक पैसा का भी इसी तरह से दुरुपयोग करेगी तो हम इसका विरोध करेंगे।

(हंसी)

श्री मोघजी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ थोड़ा सा मुझे भी बोलना है। कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती प्रस्ताव रक्खा है उसके बारे में बोलना है। यह जंगलात का बन्दोबस्त ऐसा हो रहा है कि इसमें कुछ गांवों के किसानों के खेत भी आ जाते हैं। इस प्रकार किसानों का नुकसान हो रहा है और इससे अशान्ति फैल रही है।

सैटलमेन्ट ऐसा होना चाहिये कि जंगलों को बढ़ाने में या पेड़–पौधे लगाने में आम जनता को और गांव पंचायतों को मोह पैदा हो सके। जंगल हमारे हैं यह भावना सरकार को लोगों में पैदा करनी चाहिये। पर आज जो सैटलमेन्ट हो रहा है वह इस तरह का नहीं है। होना ऐसा चाहिये कि लोगों को इसमें मोह पैदा हो, काफी लोगों में सन्तोष पैदा हो, लोगों को नये नये पेड़-पौधे लगाने की लगन पैदा हो। आज हम देख रहे हैं कि रेवेन्यु विभाग का जंगल के विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं। इससे जनता में भी असन्तोष फैलता है।

इसके साथ ही हमारे मवेशियों का किस प्रकार से गुजारा हो, उनको चरने के लिये जमीन हो इसका भी खयाल रक्खा जाना चाहिये, जो आज नहीं रक्खा जा रहा है और इससे लोगों में असन्तोष फैल रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से कि वे गांव की पंचायतों के सरपंच और पंचों को इस काम में साथ लें। इससे जनता को इस काम में मोह होगा। वे इस तरह से जंगलों की पूरी तरह से रक्षा करेंगे और नये जंगल लगाने के लिये कोशिश करेंगे। इससे पंचायतों में भी आमदनी बढ़ेगी और इस प्रकार जो सार्वजनिक आमदनी होगी उस पर भी सरकार का और जनता का पूरा हिस्सा रहेगा। इस प्रकार का दृष्टिकोण रख-कर आगे के लिये सोचें तो अच्छा होगा, यह मैं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister.

श्री फूलाभाई (सलूम्बर, सुरक्षित) : मैं भी कुछ बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिए।

श्री फूलाभाई (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बांसवाड़ा से आने वाले हीराभाई ने बताया है सैटलमेन्ट के बारे में उसके लिए हमारे जंगलात में दो तरह की बातें हैं। हमारी जमीन काश्त करने की जमीन है। जिस क्षेत्र से वह आये हैं ऐसे दक्षिणी क्षेत्र से मैं भी आया हूं। मैंने तो ऐसी हालत नहीं देखी जैसी कि अभी हीराभाई ने बताया....

श्री मदनसिंह दांता : आपको तो लिया ही इसलिए है कि 'हां' करो।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order pleese !! Do not disturb him.

श्री फूलाभाई : मैं समझता हूं कि वहां ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। जैसे

(श्री फूलाभाई)

हमारे मवेशी चर रहे हैं वैसे ही चर रहे हैं और मवेशियों के लिए जो सैटलमेन्ट और बंदोबस्त आयेगा उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, और जंगलों को अपन को रखना ही पड़ेगा। हमारा जंगल नहीं होगा तो हमारी सम्पत्ति कैसे बढ़ेगी ? जंगल हमारे देश की सम्पत्ति है और हमारे राजस्थान की सम्पत्ति है। जो जंगल बढ़ रहा है वैसे ही हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है और हमारा कांकड़ जो है वह रेगिस्तान बनता जा रहा है। अब, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है तो हमारे बाल बच्चों की क्या हालत होगी ? जहां जंगल थे वहां रेगिस्तान हो गया है। आज अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो कल हमारे लिए क्या होगा ? आज हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और इधर सम्पत्ति घट रही है। इसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। मगर ऐसा होना चाहिए कि हमको भी तकलीफ नहीं हो और जंगल भी न घटें। हमें जंगलों से देखो लकड़ी मिलती है, फलफूल मिलते हैं और घास मिलती है; तो जंगल हमारा नहीं बढ़ेगा और जंगल का बंदोबस्त नहीं होगा, जंगल की देखरेख नहीं रहेगी तो हमारे जंगल दिन-व-दिन घट जायेंगे क्योंकि जो कुछ भी है वह जंगल से ही है। जंगलों से ही सब कुछ है। आज जंगल हमारे किसानों के लिए ही नहीं हैं, हर एक काम के लिए हमारे जंगल ही हैं। मान लो अकाल हो रहा है और हमारे जंगल अच्छे होंगे तो उस समय कोई भी जंगल में जायेगा तो वह भूखा वापिस नहीं आ सकता, इसी से निर्वाह होता है। आप जानते हैं कि जंगल में बहुत से लोग रहते हैं और जिनके लिए दस-बीस घर कांकड़ में बने हुए हैं वहां कोई भी नहीं जाता, वहां वे किस तरह से निर्वाह करते हैं किसी को पता नहीं। तो बन्दोबस्त होना चाहिए, सैटलमेन्ट होना चाहिए, हमारे जंगलात नहीं होंगे तो हमारे यहां वर्षा की कमी होगी, खाद भी नहीं मिलेगा, लकड़ी भी नहीं मिलेगी, यानी बहुत मुश्किल होगी। आज सरकार ने क्या किया कि किसानों को अलग अलग सुविधा दी है, लकड़ी लेने के लिए भी किसानों को आज्ञा मिल जाती है। ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं मिल रही है ? आज मैं कहता हूं कि जो हमारे बांसवाड़े से आने वाले हीराभाई ने बताया कि हमारे यहां आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है; मगर ऐसी बात हमारे ध्यान में तो नहीं आई। अगर हो रहा है तो आप मिलिये, कोर्ट में जाइये इसके लिए कोर्ट में कार्यवाही नहीं हो तो फिर बाद में आप मिलिये....

(करतल-ध्वनि एवं अट्टहास)

श्री उपाध्यक्ष ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री फूलाभाई : सब के सब माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र से आये हुए हैं। इसके लिए मैं कहता हूं कि जो कुछ हीराभाई ने कहा है वह तो मैं कहता हूं कि गलत है।

(करतल-ध्वनि)

२. ८ म० प०

श्री धन्नालाल हरित (छाबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैटलमेन्ट ऑपरेशन के बारे में जो कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनका मैं विरोध करता हूं। उनका मैं विरोध इसलिए करता हूं कि जंगल देश की निधि हैं उनका सैटलमेन्ट होना चाहिए और जो जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उनको बढ़ाना चाहिए। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि सैटलमेन्ट जंगलों का ही होना

(श्री धन्नालाल हरित)

चाहिए न कि खेतों का होना चाहिए, या जो गांव के किनारे जमीनें पड़ी हुई हैं जहां लोग मवेशी चराते हैं, जहां बावड़ी है और उनके मवेशी वहां बैठते हैं उनका सैटलमेन्ट होना चाहिए। मैं आपको इसके सिलसिले में एक उदाहरण किशनगंज तहसील के सिगरी गांव का देता हूं। वह गांव चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। वहां लोग मवेशी चराते हैं और इसीलिए उन्होंने वहां पर कोई दस-पन्द्रह घर की झोंपड़ियां डाल रखी हैं। पहले तो उस गांव के आसपास मवेशी चरते थे और बड़ा आराम था। लेकिन जब से सैटलमेन्ट उस गांव में पहुंचा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या अर्ज करूं कि वे लोग बहुत परेशान हैं। उन लोगों के गांव के करीब एक बहुत पुरानी बावड़ी थी, उस इलाके में पानी की कमी है और वे लोग बावड़ी के आसपास अपने मवेशियों को बिठाया करते थे और इस प्रकार उनके मवेशी वहां आराम से बैठते थे, लेकिन सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने क्या किया है कि उस बावड़ी को जंगल में ले लिया है और वे जो मवेशी हैं वे तो वहां बैठेंगे ही, पेड़ के पत्ते भी खायेंगे इसका नतीजा क्या होता है कि रोजाना पचास मवेशी, सौ मवेशी काइन हाउस में रख देते हैं और बीस-पच्चीस रुपया रोजाना तो वहां के अधिकारियों के लिए तैयार ही हैं और बहुत बड़ी परेशानी है उस जगह पर। अब मानमीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी अर्ज मैं यह करूं कि सैटलमेन्ट किया है उसको एक तरह से सर्वे कहते हैं और उसके अधिकारी पूर्णतः ईमानदार होने चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसे कि माननीय सदस्यगण यहां विधान सभा में हर डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों के बारे में तरह तरह की बातें कहा करते हैं उसी सिलसिले में अपनी एक कड़ी इस सैटलमेन्ट के बारे में जोड़ देता हूं। एक असिस्टेंट सैटलमेन्ट अधिकारी जो बारां के इलाके में सैटलमेन्ट करने के लिए नियुक्त हैं उनका चरित्र ....

श्री उपाध्यक्ष : चरित्र का यहां कहां प्रश्न है ? यहां तो सैटलमेन्ट ऑपरेशन की बात है।

श्री धन्नालाल हरित : जैसा मैंने अर्ज किया कि सैटलमेन्ट करने वाले अधिकारी के बारे में तो कह ही रहा हूं। जैसा कि पहले कहा जा रहा है सैटलमेन्ट के लिए कि जो कुए और बावड़ियों और खेतों को जो जंगल विभाग में ले लिया है उसी के बारे में मैं अर्ज करता हूं कि अगर सैटलमेन्ट के अधिकारी अपने चरित्र से जरा भी इधर उधर न हों और वे सही काम करें तो अभी जो इस हाउस में क्रिटिसिज़्म हो रहा है वह शायद नहीं होता। उसका एक उदाहरण मैं आपसे अर्ज करूं कि असिस्टेंट सैटलमेन्ट अधिकारी श्रीमान् माणकलाल जी कक्कड़ हैं। वे न जाने कहां से पधारे हैं और वे सैटलमेंट तो जैसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन सैटिलमेंट के साथ साथ नीचे के अधिकारियों के साथ भी बहुत ही रूखा व्यवहार करते हैं और जहां तक उनके चरित्र का सम्बन्ध है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो ऑफिसर हैं नहीं इस सदन के अन्दर उनके चरित्र की तरफ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री धन्नालाल हरित : उपाध्यक्ष महोदय, जागृति नाम का एक पत्र है जिसमें उसके बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह जो कट मोशन का आधार है वह आपने देखा है कि पत्र और चरित्र से सम्बन्ध नहीं रखता है। सेटिलमेंट ऑपरेशन के सम्बन्ध में यह कट मोशन है, उसके सम्बन्ध में आप फरमावें।

श्री धन्नालाल हरित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट ऑपरेशन के संबंध में मैं स्वयं अर्ज कर रहा हूं। सेटलमेंट ऑपरेशन किसी भी क्रिटिसिज्म से दूर हो सकते हैं जब कि सेटलमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारीगण पूर्णतया चरित्रवान हों, और उनमें किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं हों, तो बगैर दुख दिये हुए जंगल का सेटिलमेंट हो सकता है। आज जो यह आवाज आ रही हैं कि जहाँ आज तक गांव वालों के मवेशी चर रहे थे वहां का सैटिलमेंट होता है; उसके बारे में उदाहरण स्वरूप अर्ज कर रहा था, वर्ना जैसी आज्ञा हो वैसा करूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है कि उस प्रश्न पर आप न जायं; ध्यान रखें।

श्री धन्नालाल हरित : तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे अर्ज करूं कि माननीय मंत्री महोदय ने इस सेटिलमेंट में जो कि अभी अधिकारी हैं उनसे अधिक अधिकारी बढ़ाने के लिए अनुपूरक मांग रखी है वह जल्दी से जल्दी मन्जूर कर ली जाय। (हंसी) तथा और अधिकारी और अधिक बढ़ा दिये जांय ताकि उन लोगों की जो मुश्किलें हैं जो कि धीरे धीरे आ रही है वे एकदम आ जांय और आकर पूरी हो जांय। इस वास्ते इन अधिकारियों को और बढ़ा दिया जाय ताकि जो कुछ हो रहा है वह एकदम हो जाय, और इस प्रकार से यह जो सेटिलमेंट की मुश्किलें जनता पर आ गई हैं ये जल्दी पूरी हो जायें, ताकि जनता उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आपको फिट कर ले। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : I think the demand is pertaining to Rs 5,000/-.

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मंत्री) : It is for 5,000/- and not 1,000/-.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मैंने वनों के सिलसिले में जो मांग का प्रस्ताव ५ हजार के लिए प्रस्तुत किया है उस सिलसिले में माननीय सदस्यों ने कुछ बहस की, कुछ उस ओर के और कुछ इस ओर के। एक माननीय सदस्य ने जो हमारे इस ओर बैठे हैं वे करीब २ उसी क्षेत्र से आये हैं जिस क्षेत्र से आने वाले २ माननीय सदस्यों ने जंगलात के सेटिलमेंन्ट के बारे में कुछ चर्चा की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो जंगलात का सेटिलमेंन्ट चल रहा है उसके बारे में यह है कि आज तक वनों का हमारे राजस्थान में काफी महत्व रहा है और हमारे सारे देश में वनों की जो इतनी महत्ता है, वह इस सदन के सारे माननीय सदस्यों को मालूम है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जाय, किस तरह से वनों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से रखें और ज्यादा वनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यह हमारी सारी योजना के आधार

Page No.64

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भूत शिला है और उस सिलसिले में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं उसमें जंगल का सेटलमेंन्ट जो बहुत ही जरूरी काम है जंगलात को सुरक्षित रखने के लिए । अगर हमें यह पता नहीं चले कि जंगल की हद कहां तक है और न लोगों को पता रहेगा कि कहां से हम जंगल में चले गये, या हमारे अधिकारियों को भी पता नहीं चलेगा कि जंगल कहां से शुरू होता है, इसलिए डिमार्केशन करना जरूरी है।

अब उसमें कुछ दिक्कतों के बारे में जिक्र किया है कि कहीं हद किसी गांव के नजदीक आ गई है, कहीं पर गांव की बाउन्ड्री आ गई है, किसी गांव में कुछ है; इनके बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ कहा जाता है उनमें कोई तथ्य नहीं है । हो सकता है कि बाउन्ड्री के डिमार्केशन में कहीं कहीं गड़बड़ी रह गई हो तो लोगों को शिकायत हो सकती है । लेकिन उसके लिए व्यवस्था है । यह सेटिलमेंन्ट के नियमों में क्लियरली दिया हुआ है और उन नियमों के अन्दर असिस्टेन्ट सेटिलमेंन्ट अफसर बाउन्ड्री का डिमार्केशन करते हैं । वहां के रहने वाले लोगों का हक हकूक जो हैं उनको वे एक किताब में लिखते हैं । उसके बारे में वहां के लोगों को शिकायतें हैं तो वे उसकी अपील के रूप में सेटिलमेन्ट ऑफीसर के पास में जा सकते हैं, और इस प्रकार जांच पड़ताल की जा सकती है और मामला अपील के रूप में तय हो सकता है । उसके बाद भी वास्तव में वहां का कोई मामला सोल्युशन में नहीं आता है तो जोसी भी. एफ. है, या जो सेटिलमेंट के इन्चार्ज सी. एफ. हैं वे उस मामले की जांच करके मामले का निबटारा कर सकते हैं और नियम जितना था उनको साफ करने के लिए और कुछ संशोधन किया जा सकता है और फारेस्ट मेन्युअल जो तैयार की जा रही है उसमें पूरा एक चेप्टर इसके बारे में दिया गया है उसमें रेवेन्यु के अधिकारी का भी ताल्लुक रखा है । रेवेन्यु और सेटिलमेंन्ट के अधिकारी को देखना पड़ता है । दोनों अधिकारी मिलकर और गांव वालों की बात सुनकर मामले को निबटा सकें ऐसी व्यवस्था मेन्युअल के नियमों में रखी जाती है ।

ये दिक्कतें, नया नया काम जब शुरू होता है तब आती हैं । दो माननीय सदस्यों से जो खास तौर से विरोधी पक्ष में हैं और जो कि उस बांसवाड़े के इलाके से आते हैं जहां कि जंगल काफी ज्यादा तादाद में है, और वे एक पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कि सोशलिस्ट पार्टी है, यह अपील करता हूं और सदन के करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि जब हम नया काम करते हैं, नये प्रकार के नियम लागू करते हैं तो लोगों के अन्दर हलचल आ ही जाती है, और उसके लिए हमें अपना ऑब्जेक्ट साफ रखना चाहिए । उसको पोलिटिकल प्वाइन्ट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए । वनों की सुरक्षा करना है और उन्हें ज्यादा बढ़ाना है, इसमें दो राय नहीं हो सकती । सदन के सारे सदस्य इस बात को चाहते हैं । उस चीज़ को लागू करवाने के लिए यदि राइट्स में कमी आ जाय, उनके राइट्स को रेग्युलेट किया जाय जिससे कि वनों की ज्यादा सुरक्षा होगी, और इसके लिए पहले के रिवाजों में या बातों में कमी आती है और उससे लोगों में हल चल होती है तो उस हलचल को बर्दाश्त करने के लिए सदन के माननीय सदस्यों को लाना होगा, और उसमें जो कुछ दिक्कतें आती हैं उनको महसूस करना पड़ेगा । लेकिन सस्ती पॉपुलेरिटी उन्हीं बातों से मिलती है कि जो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लोग कहें उन्हीं की हां में हां कहते रहें, और जो नई नीति और नई स्कीमें रखी हैं वे नहीं रखें, ऐसा रुख अख्त्यार नहीं करना चाहिए। केवल पार्टी के प्वाइन्ट ऑफ व्यू में समाजवाद केवल जंगल के सैटिलमेंट को रुकवाने में हो, ज्यादा फैसिलिटी दिलवाने में है जो लोगों के और गावों के हक हैं, फीस नहीं दिलाने के हक में हैं, ऐसे सस्ते आन्दोलन निकाले जा सकते हैं । कई लोगों ने निकाल भी रखे हैं, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह अपील करना चाहूंगा कि जंगल का प्रिज़र्वेशन राष्ट्रीय सवाल है, प्रान्त का महत्वपूर्ण सवाल है, उसमें बिना किसी आन्दोलन का रूप दिये हुए सब लोगों को जंगल के बारे में जो नीति है उस पर साफ तौर से चलना चाहिए।

बहस करते वक्त उस सिलसिले में यह भी कहा गया कि उन इलाकों में जहां पर कि ख़ास तौर से आदिवासी लोग रहते हैं उन जंगलों में एक तरह से यह प्रथा चल रही, एग्रीकलचर की, खेतीबाड़ी जो वे करते थे वह शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे । एक साल के बाद में वे नये नये जंगल काट लेते थे और उसकी ज़मीन को निकाल लेते थे और उसके अन्दर खेती करने लग जाते थे। उसके अन्दर जंगलों का बड़ा भारी ह्रास होता था । इस तरीके से रोकने की कोशिश की है । मैं उन माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस बारे में इस प्रकार से ख़राब जो प्रथा है जंगल को बरबाद करने की उसको रोकने में सरकार का सहयोग देंगे।

इसके अलावा जो जंगल में काम काज मिलने की व्यवस्था का सवाल है, ठेकेदारी प्रथा के बारे में कहना चाहता हूं कि उन लोगों को काम मिलना चाहिए जो कि इसके अन्दर काम करने वाले मजदूर और आदिवासी लोग हैं। उससे उनको मजदूरी भी मिल जायगी और सरकार का काम भी हो जायगा।

इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, इस साल व्यवस्था थी कि कुछ इस तरह के लोग जंगल में काम करने वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाय। उनके बाई लॉज़ बनाकर लोगों के सामने रख दिये हैं। इस तरह का धंधा करने वाले जो लोग हैं वे सोसाइटी बनायेंगे तो उससे काम देने की व्यवस्था है। लेकिन बिल्कुल ही ठेकेदारी को बंद कर देना संभव नहीं है । जैसा कि मैंने निवेदन किया राज्य सरकार के सामने पंच वर्षीय योजना चल रही है, उसके लिये रुपयों की आवश्यकता हैं और फोरेस्ट भी एक इम्पोर्टेन्ट आमदनी का जरिया है इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि बिल्कुल बन्द करने की स्टेज इस समय संभव नहीं है। इस संबंध में खासकर आदिवासी क्षेत्र से आनेवाले जो साथी हैं उन्होंने जो बातें कहीं, नियम के बारे में जानकारी दी, नीति का प्रतिपादन किया उससे मुझे खुशी हुई यह जान कर कि वे इतनी जानकारी रखते हैं और नियमों का पालन करने के लिये लोगों को कहते हैं और काम करते हैं । तो जैसा मैंने कहा और जो कुछ मुद्दे उठाये उनका जवाब दिया है। मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखते हुए कटोती प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्षजी, जो माननीय मंत्रीजी ने बताया उससे मुझे संतोष नहीं हुआ, कारण कि मैंने सैटलमेन्ट को बंद कर दिया जाय, यह कहा नहीं था।

(श्री हीराभाई)

मैं बोला हूं उसमें गलती होगी, जहां तक सुनने में भी गड़बड़ रही। मैंने कहा था सेटिलमेन्ट बन रहा है, बन्दोबस्त जैसा बनता जा रहा है उसमें इतना भ्रष्टाचार फैला है; पहली बात यह बताई कि भ्रष्टाचार बढ़ाता है उसकी शिकायत आती है उसकी तरफ मंत्रीजी ध्यान नहीं देते ....

श्री नाथूराम मिर्धा : मंत्रीजी के पास शिकायत आने का सवाल नहीं है। कानून बना हुआ है उसके अनुसार मंत्रीजी के पास नहीं आना चाहिये ....

श्री हीराभाई : इस बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने साफ कहा कि सैटलमेन्ट के रूल्स बने हुए हैं उसमें अपील का प्रोविजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कोई चीज़ आती है ·····

श्री चंदनमल वैद : भ्रष्टाचार की अपील भी आप नहीं सुनेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

श्री हीराभाई : भ्रष्टाचार की शिकायत आपके पास आती है। पहले एक तालाब आ गया था। जागीर के एरिया में बनाया था, वहां पर खेती करनेवाले लोग हमारे पास आये, वन विभाग वालों की शिकायत की ....

श्री नाथूराम मिर्धा : नये नये पोइन्ट उठाकर कहते जायेंगे तो उनका जवाब हम कैसे दे सकेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नये तथ्य न उठावें।

श्री हीराभाई : सैटलमेन्ट की बात आई थी।

श्री उपाध्यक्ष : नयी दास्तान आप न रखेंगे।

श्री हीराभाई : जो शिकायत आई उसका तथ्य आपके सामने रख दूं। हमारी सरकार क्या क्या रहा करती है? शिकायत दें उसकी जांच करने के लिए आप डिपार्टमेन्ट में भेजते हैं। दरअसल में क्या होता है, मैं गुनाह करता हूं और मुझे ही कहें कि जांच करो तो क्या हाल होगा? आपके पास शिकायत नहीं भेजें तो किसके पास भेजें, बता दीजिये? क्या दिल्ली भेजें? असंतोष की बातें आपकी तरफ से आ रही है। जहां तक भ्रष्टाचार की बातें आई इस बारे में सैटलमेन्ट होते समय कई बातें सामने आई, उनकी शिकायतें हुई लेकिन वहां पर किसी ने नहीं सुना। तब आपके पास शिकायतें भेजीं। इस बारे में मंत्रीजी की ओर से जवाब नहीं मिला इसलिये कहना है कि यहां भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। जहां सैटलमेन्ट हो रहा है वहां सांठ-गांठ में मिनिस्टर से लगाकर नीचे वाले डिपार्टमेन्ट वाले तक साथ हैं (करतल-ध्वनि) इसलिये मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने उत्तर दिया वह ठीक है, लेकिन हमें एक बात अपने सामने रखनी है कि हम जंगल लगाने या उसको प्रोटेक्शन देने का जहां तक तालुक है उसके विरोध में नहीं हैं; इस नीति के भी विरोध में नहीं हैं।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जंगल का जो प्रोटेक्शन है वह समाज के भले के लिये है। लेकिन इसमें यह देखा जाता है कि जंगल के प्रोटेक्शन के नाम से बाकी लोगों को जिन्हें सुविधा मिला करती है उनको अड़चन में डालते जा रहे हैं। जान बुझकर उनको कठिनाई में डालने जा रहे हैं। उनके जो हक और अधिकार थे उनसे उनको वंचित रखा जाना उचित नहीं है, जंगल को नष्ट होने देने से रोकने की दुहाई देकर उन लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जो जंगल से लकड़ी काट कर अपना पेट पालते थे या मवेशियों को चरा कर पेट पालते हैं। इन छोटे छोटे जंगलों से लाखों रुपयों की आमदनी होती है, ऐसी बात नहीं है। मवेशी चराने या लकड़ी काटने जैसे जो साधारण अधिकार उन लोगों के थे उनसे उनको वंचित किया गया है। जंगल में रहने वाले लोगों की आजीविका का साधन जंगल होता है क्योंकि खेती की जमीन उनके पास नहीं होती, पशु-पालन ही उनका मुख्य धंधा है। यदि इसका भी अधिकार उनको नहीं दिया जाता है तो वे लोग उखड़ जायेंगे। उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं रहेगा। अतः मैं अपने कटौती प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Not withdrawing?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : No, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : That means no withdrawals to my credit?

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : You are not to canvass on my behalf. I am here to canvass.

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री हीराभाई ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४५ जो इस प्रकार है, स्वीकार की जाय :

"कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४५ स्वीकार की जाती है।

२. २८ म० प०।

मांग संख्या ४६-अन्य कर तथा महसूल

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर तथा महसूल के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६५,००० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मंत्रीजी कुछ प्रकाश

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

डालें तो अच्छा रहेगा। डिक्रियों के संबंध में रुपया लिया जा रहा है। डिक्रियां क्यों हो रही हैं, इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर दें तो अच्छा हो। इस पर कटौती प्रस्ताव भी नहीं है केवल इतना ही लिखा है, "To satisfy the decree." Due to what reason this decree was passed and due to whose failure?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी कुछ क्लेरिफिकेशन देंगे क्या?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, डिक्रिज़ हैं उनका जिक्र कर देता हूं। इसके दो भाग हैं। ६ लाख ६५ हजार की राशि चाही गई है। बंसीधर प्रेमसुख की डिक्री हुई है ८६४१३ रु० की जो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज, भीलवाड़ा से हुई है और दूसरी है ४१,६६७ रु० की जो मोहनलाल हरिभाई की है। इन डिक्रिज़ के रुपये देने पड़े हैं, हालांकि हाई कोर्ट में अपील है लेकिन रुपये पहले जमा कराने पड़ते हैं इसलिये जमा करा दिये गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्यों हुई है!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: कस्टम ड्युटी के रिफन्ड की है। और दूसरी रकम बढ़ी है, वह कुछ स्टाफ की बढ़ोत्तरी के कारण, कस्टम ड्युटी के कारण बढ़ी है। डिक्री की दो ही चीजें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरकअनुदान मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक-१३ के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

२. ३१ म. प.

मांग संख्या-४७-साधारण राजस्व से अर्थ प्रबन्धी राजस्व व्यय

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७ मुख्य शीर्षक १८-साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबंधित राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६ लाख तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(विराम)

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ४७ मुख्य शीर्षक १८-साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबंधित अन्य राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६ लाख रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई।

मांग संख्य ४९—न्याय प्रशासन

श्री रामकिशोर व्यासः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४९ मुख्य शीर्षक २०, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री रामकिशोर व्यास)

जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६० हजार रु० तक की धन राशि और प्रदान की जाय।''

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है ''कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक २० न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमान् राज्यपाल महोदय को ६० हजार रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।''

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

२. ३४. म. प.

मांग संख्या ५०-पुलिस

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ''कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक २६ पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १२ लाख ६८-हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।''

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर): I move cut motion, "That the Demand No. L, Major Head 29-Police be reduced to Rs. 100/- (to discuss the failure of the Anti-corruption department in carrying out its duties.')

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हमारे सदन का सर्वप्रथम सत्र प्रारम्भ हुआ था तब राज्य के विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे, उन आरोपों से संतुष्ट होकर राज्य सरकार ने निश्चय किया था कि हम इस भ्रष्टाचार रूपी भूत को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। उस निश्चय के पश्चात् उस अधिकारी की नियुक्ति की गई और अधिकारी को स्टाफ भी दिया गया। उस अधिकारी ने काम करना प्रारम्भ भी कर दिया लेकिन इस विभाग के कार्य करने के पश्चात् भी आज हम देखते हैं कि इस विभाग के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जो कार्य साधारण पुलिस विभाग न कर सका हो, या इस नये विभाग ने कुछ विशेष रूप से काम किया हो। यह जरूर है कि इस विभाग में जो केसेज़ दर्ज हुए हैं, उनका रिकॉर्ड मांगा जाय तो ज्ञात होगा कि हजारों की संख्या में केसेज़ दर्ज हुए हैं, कितने केसेज चालान किये गये हैं और कितने केसेज़ फैसल हुए हैं। उनके उत्तर में यह कहा भी गया कि इतने केसेज़ दर्ज हुए, इतने केसेज़ चालान हुए और इतने केसेज़ के फैसले हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। तो वास्तव में ऐसी स्थिति है कि इस सम्बन्ध में यह विभाग किसी प्रकार भी कामयाब नहीं हुआ है। इसके बजाय ओरिजिनल पुलिस विभाग का एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट, जो एन्टी-करप्शन का काम कर रहा था, वही करता रहता तो जो अनावश्यक खर्च बढ़ाया गया है और एक प्रकार से समाज में जो वातावरण फैलाने का प्रयत्न किया गया है कि राज्य में से भ्रष्टाचार मिट गया है, जिस विशेष अधिकारी की नियुक्ति हुई, उससे एक प्रकार का वातावरण पैदा हुआ कि भ्रष्टाचार दूर कर दिया गया है, यह केवल भ्रष्टाचार से बचने

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के लिए राज्य सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया; वह इसलिए किया गया कि हमारी सरकार इस प्रकार का वातावरण बना कर जो आरोप उस पर लगाये गये थे उन आरोपों से बचना चाहती थी। कुछ दिनों पहले समाचार-पत्रों से समाचार मिला था कि दो सिपाहियों, दो पटवारियों को इस प्रकार के छोटे लोगों को इस विभाग द्वारा दंडित किया गया है। मैं समझता हूं कि छोटे कर्मचारियों को दंडित करने से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। जब तक भ्रष्टाचार उन्मूलन का काम ऊपर से शुरू न करें, जिन बड़े बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाये थे, उनसे शुरू न करें तब तक भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। जयपुर पॉवर हाउस का जो कांड था, उस सम्बन्ध में जो चालान हुए हैं, उन चालानों को विशेष अधिकारी ने नहीं किया है। इसके साथ ही जो जिला बोर्ड का केस था, वह भी विशेष अधिकारी ने नहीं किया, वह केस पुराने पुलिस विभाग द्वारा किया गया था। इन नये आई. जी. पी. के आने के बाद कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है, जिससे कि समाज में एक प्रकार के भय का वातावरण फैला है। जयपुर पॉवर हाउस और जिला बोर्ड के जो दो केस हुए उनसे समाज में डर व्याप्त हो गया था कि बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाने लगे हैं और ऐसी सम्भावना होने लगी थी कि भ्रष्टाचार मिट जायेगा। लेकिन थोड़े दिन बाद ही फिर ऐसा वातावरण बन गया कि राज्य सरकार निष्क्रिय है, कोई डर की बात नहीं है। इसलिए अब से पहले जो ओरिजिनल पुलिस काम कर रही थी, वही करती रहती तो इतना खर्चा नहीं बढ़ता और जो अधिक रकम की मांग आज की गई है वह सर्वथा अनावश्यक है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं इस संबंध में ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि काफी कहा जा चुका है और कहा क्या जा चुका है, अच्छी तरह समझाया गया है कि इस डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए। इसके खत्म होने के बाद काफी ईमानदार आदमी मिल जायेंगे जो इस चीज को खत्म कर देंगे और जो खर्चा बढ़ा है, उसको कम कर देंगे। जब ऐसी चीज हो चुकी है और ऐसे लोग काम करने के लिये तैयार हैं इसके बावजूद भी इस डिपार्टमेंट को रखने के लिए फिर आप तैयार हो गये हैं, तो इससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हो सकता है कि दुनियां के सामने इस चीज को रखने के लिए कोशिश की जा रही है कि राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये एक आई० जी० पी० है, उसके नीचे रह कर जितना खाना हो, उतना खा सकते हैं। इसके सिवाय और कोई भावना नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूं कि यदि यह डिपार्टमेंट टूट जाय तो चाहे जितने आदमियों को पकड़ा जा सकता है। यह डिपार्टमेंट बजाय आदमियों को पकड़ने के उनको ढील दे रहा है। जिसका एक नमूना मैं आपको बताऊं। मेरी कॉन्सटीट्यूएन्सी के एक राज्य कर्मचारी के खिलाफ मैंने सुपरिंटेंडेंट से शिकायत की और उनसे कहा कि यह रुपया खाता है, मेरे साथ में आप चलें तो मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि यह काम एन्टी-करप्शन का है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज इस प्रकार की रुकावट हो गई है। दफ्तर में यदि कहा जाय कि फलां आदमी रुपया खाता है तो वे कहेंगे कि यह

(श्री मदनसिंह)

एन्टी-करप्शन का काम है हमारा नहीं। लेकिन एन्टी करप्शन में ऐसी चीज है कि उसमें नियमों का पालन किया जाता है, वे नियम सीक्रेट हैं, उन नियमों को साधारण आदमियों को मालूम नहीं होना चाहिये। उन नियमों के अनुसार काम पूर्ण होने के बाद यदि एक महीने, दो महीने के बाद में आदमी से पूछा जाय कि तुम रुपया खाते हो, तो वह ऐसा बेवकूफ न होगा कि कह दे कि रुपया खाता हूं। यह तरीका बिलकुल गलत है। अगर कोई आदमी रुपया न भी खाता हो, तो उसे भी फँसा दिया जाता है। ऐसे तरीके अपनाये गये है एन्टीकरप्शन ऑफिसरों के द्वारा कि अपनी जेब से ही १०० रुपये दिखाये और कहा कि इसको पकड़ लो और उसको पकड़ लिया। मेरा निवेदन है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। जो भी पंचवर्षीय योजना में डिपार्टमेंट खोले जायं, उन्हें गावों में आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भेजा जाय, तो उससे चोरी, भ्रष्टाचार जैसी चीजें हैं वे रुक सकती हैं। अकेला आदमी यह सोचे कि यह जुल्म है, अकेला आदमी यह सोचे कि यह अन्याय है, उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून के जरिये से नहीं हो सकता। यह जब तक न होगा जब तक कि आध्यात्मवाद का प्रचार नहीं होता। हर एक राज्य कर्मचारी को, अधिकारी को और मंत्रियों को दो घंटे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या अन्याय है?

(हंसी)

क्या जुल्म है? अगर इनका अध्ययन नहीं करेंगे तो बेइमानी नहीं मिट सकती है। अगर आज शास्त्रों की बात करते हैं तो लोग बहुत वैसा समझते हैं, पर मैं बताऊं आपको, शास्त्रों का मतलब क्या था, शास्त्रों का मतलब कानून था जिनसे अकेला आदमी भी बुरा काम करते समय यह महसूस करे कि मैं अन्याय कर रहा हूँ। ऐसा न बम्बई वाला कर सकते हैं और न और कोई दूसरे कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, यह मैं तो इन्सल्ट समझ रहा हूँ, यह राजस्थान को चैलैंज है कि सिवाय बम्बई वालों के कोई ईमानदार नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि बम्बई वाले आई. जी. पी. साहब नाराज नहीं होंगे कि यह हमेशा मेरा नाम लेता है, पर मुझे तो निश्चित रूप से विदित हो गया है कि अच्छे से अच्छे लोग गांवों में पंचायतों में बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे खर्च के लिए अब पाबन्दी कर दी जाय, ऐसे खर्च को कम कर दिया जाय। इसमें ही बुद्धिमानी है। नहीं तो यह एक सबसे बड़ा दुरुपयोग है, बड़ी मुश्किलों से जनता पर टैक्स लगा लगा कर जो पैसा वसूल किया जाता है, उस पैसे का यह सबसे बड़ा दुरुपयोग है। टैक्सों का आज राजस्थान में कितना विरोध हो रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है और इस प्रकार वसूल किए हुए पैसे को इस प्रकार खर्च कर रहे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। फिर कहा जाता है कि हाउस में ओछे पैमाने की बातें आती हैं, जब ओछे काम करोगे तो ओछी बातें आयेंगी ही हाउस में। जो खाता है बेईमानी करता है उसका नाम लेते हैं, हाउस में तो कहते हैं कि जो हाउस में मौजूद नहीं उसका नाम न लिया जाय। जो खाता है, बेईमानी करता है उसका नाम लिया ही जायगा। नाम नहीं लेते हैं तो उस तरफ से खड़े हो कर कहा जाता है कि उसका नाम क्या है, किसी पर्टीक्यूलर इन्स्टान्स के बगैर क्या किया जा सकता

(श्री मदनसिंह दांता)

है और नाम लेते हैं तो कहा जाता है कि नाम न लिया जाय। तो इस डिपार्टमेन्ट में यह सब बातें घुसी हुई हैं, इस डिपार्टमेन्ट को खत्म कर दें, नहीं तो यह ढाल ही रहा है, पहले रिश्वत खोर आसानी से पकड़े जा सकते थे, अब यह एक बड़ी भारी ढाल लगा दी है, यह बन्दोबस्त की ढाल है।

श्री जनार्दनराय नागर : आपकी ढाल है या किसकी है?

श्री मदनसिंह दांता : यह तो मालूम पड़ जायगा जब मैं कल एक एक का नाम लेकर बताऊंगा। कहा गया है कि एक भी माननीय सदस्य को संदेह पैदा हो जाय, कल संदेह नहीं संदेह की दादी पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो एन्टीसिपेशन हैं, अभी वर्तमान युग पर बहस की जाय।

श्री मदनसिंह : उधर से कहते हैं तो मुझे कहना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उधर रोक रखूंगा आप आरम्भ रखें।

श्री मदनसिंह : मैं तो यह कहता हूं, इस तरह रुपयों का दुरुपयोग न करें अन्यथा यह एक किस्सा याद आ गया है, वैसा ही फल होगा।

एक बेवकूफ था, उसकी लड़की का नाम फजीती था। एक दिन वह फजीती मर गई तो उसकी मां घर घर में घूम घूम कर रो रो कर पूछने लगी कि मेरी फजीती कहां है? लोगों ने कहा कि फजीती तो मर गई, पर बेवकूफ तो नहीं मरा है, तो गांव वालों ने कहा कि ये बेवकूफ रहेंगे तब तक तो बहुत फजीती होती रहेंगी।

(हंसी)

मैं इतना ही कह सकता हूं और तो क्या कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अच्छे लोगों द्वारा अच्छी बातें की जायेंगी तो अच्छी बातें रखी जायंगी और अगर ओछे स्तर की बातें की जायेंगी तो ओछे स्तर की बातें रखी जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नागर।

२. ४५ म.प

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने बंबेवाले का नाम इस सदन में कई बार लिया है। बम्बेवाला का राजस्थान में आना मेरे मित्र को शायद अचेतन मन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मालूम हुआ है। वह कहते तो यह हैं कि राजस्थान में कोई है ही नहीं, इसलिये उनको बाहर से लाया गया। सही बात यह है कि...............

श्री मदनसिंह : बम्बेवाला नहीं बम्बई वाला।

श्री जनार्दनराय नागर : बम्बई वाला कहिये। उनके बारे में जो अचेतन मन में दिलचस्पी है, उनको देख कर एक पुरानी कहानी याद आ गई है, वह यह है कि :

बुद्ध के दो शिष्य थे, एक बार दोनों नदी पार करने जा रहे थे तो उनको वहां पर एक लड़की मिली, उस लड़की ने उनसे कहा कि मुझे नदी के पार लेजाओ तो एक शिष्य ने उसे अपने कन्धे पर बिठा कर नदी पार कर दिया। जब वह लड़की चली गई तो दूसरे

(श्री जनार्दनराय नागर)

शिष्य ने अपने साथी से कहा कि नियम तोड़ दिया तुमने, स्त्री को छू लिया और कंधे पर बिठा कर नदी पार कर दिया और काफी मीलों तक वे दोनों इसी तरह की बातें करते चले गये। तो मेरे माननीय मित्र को भी यही हुआ है, बॉम्बेवाला उनके कन्धे पर चढ़ गया है और वह दफ्तरों में बैठ कर राजस्थान में हुकूमत के जरिये करना चाहते हैं उसके बारे में बराबर आपको परेशानी रहती है। थोड़ी सी मजाक की बात न करें और गहराई से सोचें तो यह कहना कि इस विभाग को बिलकुल बन्द कर दिया जाय तो इस सदन के जरिये जो उच्चस्तरीय नीति का निर्धारण किया गया, उसको छोड़ना नहीं है तो और क्या है ? उस उच्चस्तरीय नीति को छोड़ना चाहते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से बहुत सारे विभाग खोले जाते हैं, उस तरह यह विभाग नहीं खोला गया है, बल्कि राज्यपाल महोदय ने इस सदन में कहा था कि राज्य सरकार हर संभव प्रयत्नों के द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना आवश्यक समझती है तो हमने यह समझा था कि राज्य की उच्च स्तरीय नीति का निर्धारण करने का प्रारम्भ किया है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिये एक स्पेशल आई० जी० पी० की नियुक्ति की गई और एन्टीकरप्शन विभाग चालू किया, उसने थोड़े से प्रयत्न भी किये और थोड़ा काम भी हुआ है, उन प्रयत्नों से हमें संतोष नहीं हुआ। इतनी व्यापक समस्या है उसके आधार पर एक उच्च स्तरीय नीति निर्धारित कर के एक स्पेशल आई० जी० पी० की नियुक्त कर के उसके नीचे एक एन्टी करप्शन महकमा चालू किया जाय, जिसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर हो, जिसके इस सदन के विरोधी और सिरोधी दल के सदस्य मैम्बर हो; वे सब मिल कर एक सम्मिलित प्रयत्न करें तो यहां राज्य सरकार के प्रति, मैं यह नहीं कहता कि कृतज्ञता जाहिर करें, तो भी, संतोष जाहिर करने की बात तो यह अवश्य है।

एक तरह कहा जाता है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, यह हमारे समाज के अन्दर एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि उसको दूर करना आवश्यक है और इसके लिये जब सरकार आई० जी० पी० की नियुक्ति करती है और वह यह प्रयत्न करती है कि वैज्ञानिक ढंग से इसका असर हो, इसके अच्छे परिणाम हासिल हों, ऐसा इस विभाग को बनाना चाहते हैं तो उस हालत में हम यह कहते हैं ऐसा नहीं बनाना चाहिये, आई. जी. पी. की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा एन्टीकरप्शन महकमा जैसा चलता था वैसा ही कायम रखा जाय, तो इसके माने यह हुए कि जो भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं, वह होले होले, यों ही की जाती हैं।

हम इस समस्या के प्रति सजग हैं, राजतन्त्र के द्वारा हम सब मिल कर इस भ्रष्टाचार के रोग को दूर करें, या तो हम इसको मानते हैं या हम इसके लिये डट कर काम करें, जम कर मन मस्तिष्क को एक रख कर प्रयत्न करना चाहते हैं, यदि करना चाहते हैं तो राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है, स्पेशल आई. जी. पी. की नियुक्ति करके, ऐसा विभाग रखने का कदम उठाया है, वह हमारे लिये असंतोष की बात नहीं हो सकती। यदि यह बात है कि आज-कल काग जनैतिक फैशन है विरोध करने का, इस लिये भ्रष्टाचार की बातें रखते हैं और यहां बातें कह कर घर चले जाना चाहते हैं, तो यह बात दूसरी है।

मैं यह नहीं कहता कि इस विभाग के जरिये जितना काम होना चाहिये वह हो रहा

(श्री जनार्दनराय नागर)

है, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि इस विभाग के जरिये जितना काम एक साल में होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है, इसके लिये हमें सरकार को कहना चाहिये कि जल्दी से इस विभाग का संगठन कर दीजिये। आई. जी. पी. तो बुला लिया पर जो विभागीय प्रबन्ध, व्यवस्था होनी चाहिये, उस व्यवस्था को करने में देर हुई, मैं यह अनुमान से कह रहा हूं, असली हालत क्या है यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि जिस प्रकार की गति होनी चाहिए, नहीं है और उसके अन्दर रुकावट है। जिस शीघ्रता से विभाग को काम करना चाहिये और जिस शीघ्रता से विभाग ऊपर उठ कर आना चाहिए, आया नहीं है। यह तो दूसरी बात है यदि आप यह चाहते हैं कि इसका संगठन जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से कर दिया जावे तो हम भी आपका इस बात के लिये साथ दे सकते हैं, लेकिन हम इस बात की हरगिज ताईद नहीं कर सकते कि एक छोटा सा एन्टीकरप्शन विभाग पहले की तरह चलता रहे। हमारी राज्य सरकार आज से एक वर्ष पूर्व भी इससे सहमत थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जांए और आज यह कह कर, मैं समझता हूँ, कि हम उससे अपने कदम पीछे हटाते जा रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि हमको यह कहना चाहिये कि हमको इसका विकास करना चाहिये और विकास की आवश्यकता है। हमको यह कहना चाहिये कि यदि आपको इसके विकास के लिये और अधिकारियों की जरूरत हो तो आप और अच्छे और योग्य अधिकारी लें। आप निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी लीजिए। आपने अभी जो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उदाहरण दिये, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है। मैं भी आपको अपने निर्वाचिन क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जगह के लोगों ने आकर कहा कि अमुक अमुक राज्य के कर्मचारी रिश्वतें लेते हैं। मैंने आपको लिख कर अर्जी देने के लिए कहा। उन लोगों ने लिख कर दिया और उसको आई. जी. पी. के पास भेजी गई। कहने का तात्पर्य यह की उनका संपर्क तो प्रारम्भ हुआ। आप यह कहते हैं कि आई. जी. पी. ने क्या काम किया? मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि जो आई. जी. पी. इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है उन्होंने कोई काम नहीं किया हो, वे बैठे बैठे केवल मुफ्त की तनख्वाह पा रहे हों, सिनेमा देखा करते हों, यही काम तो उनका रहता नहीं है। यह बात तो नहीं है। इस नये संगठित विभाग के द्वारा काम हो रहा है या नहीं यह तो राय सरकार से संपर्क प्राप्त करने से मालूम हो सकता है। यदि आप राज्य सरकार से पता लगायें तो आपको पता लगेगा जब बताई जावेगी और आप मानेंगे कि वास्तव में यह बात जो आप कह रहे हैं सही नहीं है। यह बात तो अन्दर के संपर्क से ही जानी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी विभाग का गठन करके बहुत अच्छा काम किया है और यह इस बात का सबूत है कि आज हम सब लोग इस समस्या को बड़ी गम्भीरता से ले, रहें हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे काम किये जावें जिससे यह भ्रष्टाचार की बीमारी दूर हो सके। मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं।

एक बात मेरे माननीय सदस्य ने कही और वह यह कि उन आई. जी. पी. की नियुक्ति के बाद और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार

(श्री जनार्दनराय नागर)

विरोधी विभाग के गठन के बाद भी लोगों में भय नहीं फैला। मैं माननीय मित्र से यह निवेदन करूंगा कि भय फैला कर भ्रष्टाचार को रोकना एक सहज बात होगी मगर इससे भ्रष्टाचार समूल नष्ट नहीं होगा। भय से हम जनता की मनोवृत्ति को नहीं बदल सकते हैं, हमें लोगों की मनोवृत्ति को बदलना है जो हम भय से नहीं बदल सकते। इसलिये भय फैला कर नहीं आपसी संपर्क से और मनोवृत्ति को बदल कर भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। भय फैला कर आप भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न करें तो आप कर सकते हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि भय से रोका गया भ्रष्टाचार, एक अधूरी बात होगी। जब लोगों को भय बना रहेगा तभी तक यह कार्य सुचारु रूप से होता रहेगा और जब भय नहीं रहेगा तो नहीं। आप भय से धर्म पालन करते हैं तो यह ज्यादा ऊंचे दर्जे की बात नहीं है। मैं यह कहूंगा कि हमें जनता में उत्साह पैदा करना चाहिए और जो लोग भ्रष्टाचार को रोकने में और उसको दूर करने में दिलचस्पी रखते हैं उनके साथ संपर्क पैदा करके उनकी मनोवृत्ति को बदलना है जिससे कि भ्रष्टाचार समूल दूर हो जाए। यह एक दिलचस्प बात उन्होंने कही और इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या मैं माननीय अपने मित्र महोदय से कहूं कि जब आध्यात्मिकता का प्रचार करेंगे तो उससे भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार हमारे यहां चला आ रहा है। यह अनिवार्य समस्याएं हैं और इससे हमें और आपको संतोष होने वाला नहीं, हमारे यहां सांस्कृतिक आन्दोलन बहुत चले (अश्रव्य) मैं कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष, कि यह कट मोशन है; जो एक उच्च स्तरीय नीति आज से वर्ष पहले राज्य सरकार ने स्वीकार की और मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य की वर्तमान नीति में एक आधारभूत नीति है और अगर आप इसे उचित नहीं मानते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आगे भ्रष्टाचार के मामलों को आप रोकना नहीं चाहते हैं। राज्य सरकार ने जो नीति अपनाई और उसके अनुसार उच्च स्तर के व्यक्ति को, आई० जी० पी० जैसे व्यक्ति की नियुक्त किया और यह जो नीति अपनाई है वह बेसिक नीति में से है। जब राज्य सरकार की तरफ से इस प्रकार के प्रयत्न भ्रष्टाचार को रोकने के चालू हो रहे हैं तब आप क्या कहते हैं, आप यह कहते हैं कि ये सब प्रयत्न दूर कर दीजिए और एक छोटा मोटा डिपार्टमेंट जैसा पहले चलता था रख दीजिये, तो फिर आपकी बातों में तूल कहां है। इससे जो नीति राज्य सरकार ने स्वीकार की उसका सारा सार मार देते हैं। हम मानते हैं कि इस नीति के निर्माण की, राजस्थान बना तभी से, बहुत आवश्यकता थी, मगर हमारा सौभाग्य है कि यह १९५७ में नीति अपनाई। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय भ्रष्टाचार के मामले पर सदन में विचार किया जाए तो हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि राजस्थान सरकार ने (अश्रव्य) राजनीति का निर्माण हमारे सामने रखा है। भ्रष्टाचार को रोकने में सब के सहयोग की आवश्यकता है। जो हमें सबको देना चाहिये और निष्पक्ष भावना से देना चाहिए। केवल यह कह देना कि यह एक राजनैतिक हैन्डल है, उचित नहीं है। ऐसी हलकी-फुलकी बातें हमें नहीं करनी चाहिये। जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके हृदय में बातें हैं वे बहुत से हृदयों में भी हैं और उन सारी बातों को मद्दे-नज़र रख कर हमें कार्य करना है। इसमें दो

(श्री जनार्दनराय नागर)

राय नहीं हो सकतीं कि हमें भ्रष्टाचार को रोकना है और समूल नष्ट करना है और इसके लिये सदन के सभी सदस्यों को इसमें सहयोग देना है......

(विरोधी पक्ष की ओर से, "हम बिल्कुल सहयोग देने के लिये तैयार है")

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री जनार्दनराय नागर : जब कभी बहुत सी बातें कहते हैं तो हम बिना डिफरेन्स के मान लेते हैं। यहां पर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के समूल उन्मूलन करने का संकल्प किया है और उसके लिये हमें बिना किसी दलगत राजनीति का उपयोग किये राज्य सरकार की मदद करनी चाहिये और अपना सहयोग इस मामले में राज्य सरकार को देना चाहिये, यह हमारा उसूल होना चाहिये। यदि हम करें और मैं नम्रता से यह कहना चाहता हूं कि सदन के सदस्य होने के नाते हमारा यह पहला कर्तव्य है और हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और जिसे हमें महसूस करना चाहिये कि हम जनता के इस सदन में प्रतिनिधि हैं और आज इस सदन के जो भी सदस्य हैं उनका एक ही जिम्मा है और वह यह कि वे भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला करने के लिये तैयार रहें। यह तो एक प्रकार का संघर्ष है। माननीय उपाध्यक्ष, भ्रष्टाचार की बीमारी कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं है, यह तो एक भयंकर रोग है जिसका हमें अच्छी तरह से मुकाबला करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि यदि हम राज्य सरकार के सहयोग में इसको हटाने का प्रयत्न करेंगे तो हम जनता को शक्ति दे सकेंगे। यदि हम और आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं और हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमें यह कहना होगा कि जिस विश्वास से जनता ने हमको यहां पर, प्रतिनिधि बना कर भेजा है, हम उस कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं।

श्री हीराजी (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष,........

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना कट मोशन रख रहे हैं ?

श्री हीराभाई : मांग संख्या ५० पर मैंने अपना कट मोशन रखा है। मेरा प्रस्ताव इस प्रकार का है कि "युक्ति से स्टाफ में कमी करने पर वाद-विवाद हेतु"।

इस पर कमी करने का कारण यह है कि हम आज भ्रष्टाचार को कम करने के लिये विदेशियों के कानून की नकल करने जा रहे हैं। जब हम नकल करने जा रहे हैं तो विदेशी कानून की नकल करने के लिये हमें कुछ अकल से नकल करना चाहिये था। अकल का मतलब यह है कि ऊंचे २ कर्मचारी जोइन (अपॉइन्ट) कराने से भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है।

हमारे देश में भ्रष्टाचार तो मिटने वाला नहीं लेकिन और बढ़ रहा है। बढ़ने का जो मतलब है वह मैं आपके सामने रखूं। क्या हो रहा है कि पुलिस इन्सपेक्टर क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, मैं आपको यह बताऊं। गांव पाटन है, वहां पुलिस वाले खुले आम लोगों से गाड़ियां भर भर कर लकड़ी मंगा रहे हैं, बेगार करा रहे हैं। भ्रष्टाचार में यह भी तो आ गया। नमूना यह पाटन पुलिस

(श्री हीरा भाई)

का बता दिया। दूसरा शेरगढ़ गांव है वहां भी पुलिस का थाना है। थानेदार सहाब ने क्या किया ? पांच दिन तक लोगों को बुला कर थाने के चौतरफ डौल बंधाई। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा गया कि लोगों को सहायता नहीं दे रहे हैं इसको दूर करने में, लोगों से सहायता मांग रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सलूपाट का जगजी करके भील है जो कांग्रेसी है और मेरे सामने खड़ा हुआ था, उसी ने उसी के घर पर ७-८ वर्ष की लड़की के साथ खोटा व्यवहार किया किसने किया, जगजी ने। सेर आधा सेर खून उस लड़की के गया।

(घंटी)

३.२ म.प.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कट मोशन क्या है ? पुलिस स्टाफ में कमी करना। आप विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री हीरा भाई : पुलिस में भरती क्यों होती है वही बात सुना रहा हूं।

वह केस आज दिन तक खत्म कर दिया। आई.जी.पी के पास कार्यवाही की,ऊपर के डिपोटमेन्ट में की। दूसरा कलिंगर की भी ऐसी हालत हुई। पुलिस वाले पकड़ने गये। भाई भाई के आपस में झगड़ा हो गया था, पुलिस ने खुद जाकर मुलजिम की औरत के साथ हरामपना किया। एक मुसलमान था, दूसरा भील था।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से दूर नहीं जावेंगे।

श्री हीरा भाई : उपाध्यक्ष महोदय, बात है जो तो कहनी पड़ेगी। उसमें क्या हुआ फिर कि कार्यवाही समाप्त हो गई।

श्री उपाध्यक्ष भाई : माननीय सदस्य इस व्यवस्था पर ध्यान दें कि विषय से आप दूर न जांय। दास्तानों का इसमें जिक्र न करें।

श्री हीराभाई : ऊपर के अफसर के पास कार्यवाही की, नहीं सुना जब कि सारे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बिठा रखे हैं। मतलब कहने का यह है कि एक तरफ भ्रष्टाचार से बचाने वाले हैं और दूसरी और वे खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसका मतलब है एक कहावत है किXXXXXलोगों से सहायता लेना है तो पुलिस पटेल बनाये जांय, गांव वालों से सहायता लेकर चोरी करना खत्म किया जाय, लोगों की सहायता से चोर पकड़े जांय, चोरी होना बन्द हो जाय तो भ्रष्टाचार भी होना मुश्किल हो जायगा। यह पुलिस स्टाफ बढ़ाने से काम नहीं होगा। लोगों से सम्पर्क बना कर काम करें, इससे न तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और न ही डांके और चोरी होंगी। आप सेवादल कायम कीजिये, पुलिस पटेल कायम कीजिये। करने चाहिए। बोम्बे की नकल करें। वहां गांव गांव में पुलिस पटेल हैं, गांव गांव में हवालदार बिना पगार के रखे हैं। मतलब यह है कि चक्की के दो पाट हैं, एक पाट पुलिस और दूसरा पाट जनता। उनके बीच में एक भी कण आ जाय तो साफ हो जाय, लेकिन इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोगों की सहायता नहीं लेंगे तो एक पाट से कोई कण साफ नहीं होगा। अफसर पर अफसर भर्ती करने से कुछ नहीं। यदि कल्याण करना है, तो यह

XXXXXXउक्त अभिव्यक्ति श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य विवरण में से हटाई गई।

(श्री हीरा भाई)

तो और बरबाद करना है। पैसा बरबाद करके देश की रक्षा करना चाहें इस तरह से वह वाजिब नहीं होगा। ज्यादा भर्ती करने से आगे बढ़ने की कोशिश न करें। लोगों की सहायता के आधार पर योजना बनायें तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और देश की रक्षा सुचारु रूप से चलती रहेगी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस स्टाफ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बिना पैसे के भी लोग सेवा करने वाले हैं, लोगों की, देश की रक्षा करने वाले हैं, विचारधारा प्रकट करें तो उनको मानना चाहिए, कोई कार्य बेफिजूल जाने वाला नहीं है। यह कट मोशन सदन की सेवा में रखकर आशा करता हूं कि माननीय सदस्य उस पर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार विरोधी विभाग है वह इस काम में असफल रहा है, इसके लिए जो कट मोशन मूव किया गया है मैं उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हर आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार होगा कि हमारे राज्य में यह दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और अगर कोई इस बात को कहे कि नहीं, हमने इसके लिए कुछ प्रयत्न किये हैं, काफी धन इसके लिए लगाया है, इसके अलग अलग विभाग खोले हैं, जहां तक विभागों का सवाल है, मैं कहता हूं कि विभागों की आवश्यकता, है लेकिन विभाग खोलने के बाद भी उससे कुछ न हो तो उसको कैसे सुधारा जांय तो यह भी उतना ही आवश्यक है। आज आप कहीं चले जांय, किसी क्षेत्र में चले जांय, किसी महकमे में चले जांय, छोटे से बडे महकमे तक चले जाइये, कोई भी काम हो, बिना पैसे दिये होता नहीं। एक बड़े महत्व की बात है। किसी किसान को एक चीज़ की पर्ची निकलवाना है, उसका कागज़ निकालना है, बात कहनी है तो किसान के पास से भी बिना कुछ किसी प्रकार से लिये बगैर जो कागज़ का टुकड़ा फाइल के अन्दर है वह बाहर नहीं निकलता। दूसरा, नीचे से ऊंचे न्याय तक भी चले जाइये, मैं समझता हूं, आपके राज्य में यह एक साधारण नियम सा बन गया है कि कोई भी काम कराना है तो बिना कुछ न कुछ दिये उसका काम हो नहीं सकता और नीचे से लेकर ऊपर तक यदि किसी किसान का सेटलमेन्ट का मामला हो, पटवारी काम करता है, पटवारी को चाहे अकाल के बारे में बात बतानी हो, चाहे सेटलमेन्ट का काम हो, बिना कुछ लिये वह काम होता नहीं। आप इसी प्रकार से दूसरे विभागों में चले जाइये, यहां तक कि सेक्रेट्रियेट में बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, जिनका अपना कुछ काम करना होता है, जिनकी फाइल चार चार और पांच पांच वर्ष से पड़ी हैं, जो व्यक्ति अपना काम कराने के लिए यहां आते हैं, आप सेटलमेन्ट विभाग को लीजिये, दूसरे विभागों को लीजिये, वे सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति का काम बिना कुछ न कुछ दिये हुआ नहीं। जिसने नहीं दिया वह वहां सड़ता रहा, रुपया रखा रहा, काम पड़ा रहा और जिसने दिया उसका काम हो गया। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। मौका आयगा तो मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं। लेकिन इस समय तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो विषय स्थिति है, जिसके लिए इतना खर्च किया जा रहा है उस मामले में हम असफल होते जा रहे हैं। इसलिए इसको इस गहराई से देखना है और

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं देखते हैं तो ठीक है, नया विभाग खोलें और उसने जिस तरीके से काम किया, उसने जो उन्नति की हो, सुधार किया हो, अपने जमाने में कुछ केसेज़ पकडे हों भ्रष्टाचार के तो मैं कह सकता हूं कि सुधार किया। एक और बड़ी विचित्र समस्या है और वह यह है कि पहले के भ्रष्टाचार और गवन के केसेज़ हैं उन पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया।

दूसरी आज जो चीजें चलती हैं, हर महकमे के अन्दर जो चीजें चलती हैं उसको रोकने के लिए कोई विभाग सक्रिय नहीं है। जहां इस विभाग को ऐसे मामलों में सक्रिय होना चाहिए, आन्दोलनकारी इस विभाग को होना चाहिए और इस विभाग में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जो सबेरे से लेकर शाम तक इस बात की खोज में रहें कि गड़बड़ियां कहां होती हैं, कहां भ्रष्टाचार होता है और वे दिन में ऐसे कितने मामले पकड़ सकते हैं।

आज सी. आई. डी. विभाग इस बात की खबर देता है कि अमुक राजनीतिक व्यक्ति अमुक कार्य के लिए वहां गया, उसने आज वहां पर यह कहा, आज आजाद मुल्क के अन्दर भी क्या ऐसी स्थिति है कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार की निगरानी रखी जाय, आज इस बारे में ज्यादा सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसी हालत में इस सी० आई० डी० विभाग को यह कार्य करना चाहिए कि कौन पैसा देकर अपना काम करवाते हैं और कौन पैसा लेता है, इस प्रकार के मामलों को पकड़ने में सतर्कता बर्तनी चाहिए। अगर इस प्रकार से सी० आई० डी० काम करती रही तो बहुत कुछ कम भ्रष्टाचार हो सकता है। आज इस विभाग को किस दृष्टिकोण से काम करना चाहिए यह पता नहीं है। हमारे बीकानेर के अन्दर भी एन्टीकरप्शन डिपार्टमैन्ट खुला है और वह भी कोट गेट के नीचे, जहां सब जानते हैं यहां हर कार्य में भ्रष्टाचार है, उनके आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है और वे उस भ्रष्टाचार को देखते हैं लेकिन वे पकड़ नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति जो वहां पर काम करने वाले हैं अपने अपने विभाग में सतर्क होकर रह सकते हैं। लेकिन वे बाहर के ऐसे मामले पकड़ नहीं सकते। इन मामलों में सतर्क होकर के जागरुक होकर के कदम नहीं उठाया जाता है तो राजस्थान के अन्दर यही खास कारण है कि हम राजस्थान से भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि भ्रष्टाचार ने राजस्थान में जड़ जमा ली है। हमारा जितना खर्च विकास योजनाओं के अन्दर होता है उसमें से २५ प्रतिशत रुपया भ्रष्टाचार में जाता है। मान लीजिये हमारी दूसरी योजना सौ करोड़ की हुई तो यह निश्चित समझ कर चलिये कि उसमें से २५ करोड़ रुपया तो भ्रष्टाचार में ही जायगा। इस भ्रष्टाचार ने इतनी जड़ जमा ली है कि इसको निकाल फेंकने के लिये हमें सक्रिय होना होगा, छोटे कर्मचारी से लेकर ऊंचे कर्मचारी तक को सक्रिय होना होगा, तभी कहीं जाकर भ्रष्टाचार को पकड़ा जा सकता है और उसको समाप्त किया जा सकता है। इसके लिये आपने एक विभाग बनाया है, वह ठीक है विभाग को काम करना चाहिये, लेकिन आज तक इस विभाग ने जो भी कार्य किये हैं उससे भ्रष्टाचार को रोक सकने में यह विभाग असफल रहा है। इस विभाग ने कोई आन्दोलनकारी और सक्रिय योजना भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नहीं बनायी है। इसलिये जो काम तत्परता से होना

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहिये था वह नहीं हो पाया है। कई मामले पकड़े भी जाते हैं किन्तु उस पर उसी समय कार्यवाही नहीं होती है तो उसका नतीजा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। इस कार्य के अन्दर यह विभाग फेल (fail) रहा है। इस संबन्ध में मैं राजस्थान सरकार का ध्यान उसकी जो वित्त रिपोर्ट है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें बताया गया है कि ३०० गबन के मामले हैं जिसमें करीब २० लाख रुपये तक का घोटाला हुआ है और किस किस व्यक्ति ने इस प्रकार के घोटाले किये, यह सब सरकार के पास मौजूद है। इतना सब होते हुए भी सरकार ने इन मामलों में कोई कदम नहीं उठाया है और क्या उदाहरण दिये जायं, उदाहरण तो सरकार के सामने मौजूद ही हैं, रिपोर्ट मौजूद है कि किस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए, किस किस प्रकार के गबन हुए जब सरकार ही सतर्क न हो तो दूसरे विभाग क्या कर सकते हैं ? विभाग यह जानता है कि जो प्रशासन चलाने वाले हैं, जो राजनैतिक लोग शासन चला रहे हैं उनके रहते यह भ्रष्टाचार जड़ मूल से समाप्त नहीं हो सकता। जो मामले उनके सामने मौजूद हैं, जिनको मान लिया जाता है फिर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती तो फिर भ्रष्टाचार समाप्त किस प्रकार से हो सकता है ? इसे जड़ मूल से समाप्त करने के लिये हमें बहुत मजबूत कदम उठाना चाहिये, कुर्सियों का मोह उन्हें नहीं रखना चाहिये, अपने मित्रों के मोह में पड़कर नहीं, अपने भाई भतीजों का ध्यान नहीं रखना होगा। उनको तो केवल एक ही लक्ष्य रखना होगा वह यह कि चाहे मेरे सामने जो जो भी लोभ के पद हैं उनसे मुझे किसी प्रकार का लोभ नहीं, इसके लिये बड़ी से बड़ी कुरबानी करने के लिये तैयार रहना चाहिये तभी जो यह भ्रष्टाचार का कोढ़ हमारे यहां व्याप्त है उसको दूर करने में सफल हो सकते हैं। राजस्थान में फैले हुए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये हमें हर प्रकार की कुरबानी करने के लिये तैयार होना पडेगा तभी हम इस प्रयत्न में सफल हो पायेंगे। यह बात जब तक नहीं होगी तब तक चाहे आप कितना ही पैसा इन विभागों पर खर्च करें भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। आप योजनायें बना रहे हैं लेकिन जब तक आप भ्रष्टाचार को दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं बनाते तब तक आपकी यह योजनायें पूरी नहीं हो सकतीं। इसलिये जो प्रस्ताव रखा गया है उसके अन्दर सब से बड़ी बात है वह यह कि यह विभाग भ्रष्टाचार को मिटाने में असफल रहा है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के कायम होने पर तो एक प्रकार से लोगों में यह भय फैल जाना चाहिये था कि अब भ्रष्टाचार को रोकने का महकमा स्थापित हो गया है इसलिये सावधानी बरतें। किन्तु भ्रष्टाचार के मामले कम हुए या उसमें रोक हुई हो, यह बात नहीं है। इसके लिए लोग यह कह सकते हैं कि ये तो कहने के लिए बातें हैं, लेकिन आप यकीन मानिये यह हर आदमी के जीवन में बातें आती हैं, हर आदमी देखता है कि जिसके जीवन में इस प्रकार की चीजें आती हैं उन चीजों की रोकथाम नहीं हो सकी है इस विभाग द्वारा। इस वस्तु स्थिति से आंखें मूंदी नहीं जा सकतीं। यह ठीक बात है कि आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसके खिलाफ बातें कहने के लिए कह देते हैं, यह बात ठीक है कि अपनी बात के पक्ष का समर्थन करने के लिए सारी बातें आपको गलत मालूम हों। मैं इस बात के लिये दावे के साथ कह सकता हूं कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह हर एक की आत्मा की आवाज है, यह हर एक माननीय सदस्य के सोचने की बात है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जायं और अपने अपने कार्यकर्ताओं से पूछें, आप किसी गांव में जाकर गांव वालों से पूछिये कि आपको अपने काम करने के लिये पहले जमाने में देना पड़ता था, क्या अब आपका काम बिना दिये ही हो जाता है, जिस न्याय के साथ काम होना चाहिये क्या उसी प्रकार से काम होता है ? साधारण अपढ़ किसान से भी आप पूछ सकते हैं, मजदूर से पूछ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी भी व्यक्ति से आप चुपचाप पूछ लीजिये कि क्या आपका कार्य बिना कुछ दिये ही हो जाता है ! तो आपको सब तरफ से एक ही उत्तर मिलेगा कि बिना कुछ दिये-लिये कोई काम होता ही नहीं । यही बात सब जगह हो रही है । इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार को बहुत सतर्क होना चाहिये ।

सी० आई० डी० विभाग के कर्मचारियों को कह देना चाहिये कि आप राजनैतिक कार्यकर्ताओं का क्यों पीछा करते हो, वे जो बोलते हैं उनको क्यों दर्ज करते हो ? आप तो इस बात के लिये घूमा करो कि कौन आदमी किस चीज में मिलावट करता है, कौन कहां भ्रष्टाचार करता है, कौन आदमी कहां पैसा लेता है ! इस प्रकार की बातों का पता लगावें और कम से कम दिन में चार-पांच तो ऐसे मामले पकड़ें ही । इस प्रकार जो यह भ्रष्टाचार सब तरफ फैला हुआ है उसको दूर करने में इस प्रकार सतर्क नहीं हुए तो यह कम होने वाला नहीं है । इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो यह विषय आज आपके सामने आया है उस पर आप गौर करें । पुलिस में भी क्या होता है, क्या नहीं । दूसरे भाई ने उदाहरण ऐसे रखे । उदाहरण जरूर मैं मानता हूं । सदन के दृष्टिकोण से बुरा लगता है, क्या घटना हो गई । पर अगर किसी व्यक्ति ने एक बुरे से बुरे कृत्य करने वाले के लिए यह कहा कि उस पर पुलिस मौन रह जाती है तो बोलने वाले के पास में इसके सिवाय कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है पर समझने वाले को ठीक रूप में उसे लेना चाहिए कि इतने कलंकित कार्य के लिये सरकार सतर्क क्यों नहीं होती ? तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आज समाज में और सरकारी मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार और सरकार का यह भ्रष्टाचार विरोधी विभाग बिल्कुल असफल रहा है । उस विभाग को सतर्क करने के लिये सदन को कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कट मोशन के खिलाफ हूं । जो इस भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को हटा देने की बात कही/गई है वह तो ऐसी है कि बीमारी अगर बढ़ गई है तो दवाखाने को ही हटा दिया जावे । वह कहां तक ठीक है ? हां, डॉक्टर अगर खराब है तो उसे बदला जा सकता है । यहां तक कहना तो ठीक है, समझ में भी आ सकता है; पर दवाखाने को भी हटा दिया जावे, यह उचित नहीं है । सरकार में भ्रष्टाचार है, यह हम सब मानते हैं । पहले कहा जाता था कि 'यथा राजा तथा प्रजा', पर आज इस जनतन्त्र में यह हो गया है उलटा, "यथा प्रजा तथा राजा"; जैसा प्रजा का प्रतिबिम्ब यहां सदन में है वैसा ही यहां सदन का प्रतिबिम्ब सरकार में है । आज अगर हम यह सोचते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, या

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

वह स्वयं भ्रष्ट है तो सबसे पहले सदन का यह परम कर्त्तव्य है कि वह ऐसी सरकार को हटा दे। पर यह तो न करें और हम खाली बकते रहें कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो यह बिलकुल गलत बात है। आप यह देखें कि प्रजा में कितना भ्रष्टाचार है ? आज आटे में मिलावट आती है, हल्दी हमें शुद्ध नहीं मिलती, इसमें मिलावट होती है, घी में मिलावट है, दूध बेचने वाली दूध शुद्ध नहीं देती, पानी मिलाती है। तो यह स्थिति हमारी हो रही है, प्रजा की हो रही है। ऐसी स्थिति में हम कह दें कि सरकार भ्रष्टाचारी है, इसका कोई अर्थ नहीं होता । हम पर भी आखिर कोई जिम्मेदारी है !

श्री मुरलीधर व्यास : कानून बना हुआ है, सरकार पकड़ती नहीं इनको।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री पुरुषोत्तमलाल : इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें चाहिये कि हम लोगों के बीच जावें और चरित्र-निर्माण के लिये उनसे कहें, प्रचार करें और व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचें और बताएं कि चरित्र निर्माण करने से ही देश उन्नतिशील हो सकता है। आप अपनी जिम्मेदारी समझ कर ऐसा कुछ करेंगे तभी यह भ्रष्टाचार मिट सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर, वक्ता महोदय कुछ भी कह सकते हैं, उनको स्वतन्त्रता है; पर यहां बोलते समय पार्लियामेन्टरी परम्परा का ध्यान रक्खें तो अच्छा हो। "बकते रहें" यह कहना अन-पार्लियामेन्टरी है । इस तरह की बातचीत और शब्द जो हैं ये अनपार्लियामेन्टरी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शब्द का जो यह प्रयोग किया गया है वह आपत्तिजनक अवश्य है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं वापिस लेता हूं।

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम कारण को ढूंढें कि भ्रष्टाचार कहां से पैदा होता हैं ?

आज हमारी शिक्षा में खामियां हैं। इन खामियों के कारण और हमारे चरित्र का निर्माण नहीं होने के कारण यह समस्या हमारे सामने है। पर अब इसके लिए कह दें कि यह सब दो मिनिट में कर दो, दो मिनिट में भ्रष्टाचार मिटा दो तो यह कदापि नहीं हो सकता। हमें इसके लिये बहुत त्याग करना होगा, बहुत प्रयत्न करना होगा, बहुत परिश्रम करना होगा। अपनी अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी में जाकर इस चरित्र निर्माण के बारे में कुछ करना होगा, शिक्षा को सुधारना होगा और इसके साथ ही साथ यह करना होगा कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी सतर्कता से हमें काम करना होगा, भ्रष्टाचारियों को सख्ती से पकड़वाना होगा।

यह हो सकता है कि बम्बई वाला या दिल्ली वाला भ्रष्टाचार मिटा देगा । यह उपयुक्त नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर वे क्या कह रहे हैं, वे भी तो यही कह रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह महकमा खोला गया है भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिये। अब इसमें से पुलिस को हटा दो, यह कैसे हो सकता है। कइयों ने तो यह कह दिया कि यह विभाग हमें दे दिया जावे। मैं कहता हूं उनका जमाना भी हमने देखा

(श्री पुरुषोतमलाल)

है। बालाबख्शजी ख्वास का जमाना देखा है लोगों ने । हजारों–लाखों रुपयों की रिश्वतें उस वक्त भी दी जाती थीं। बल्कि एक माने में तो उनके जमाने में भ्रष्टाचार अधिक पनपता था। खुले आम ये बातें होती थीं और किसी की हिम्मत पकड़ने की नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में यह कह देना कि उनके जमाने में भ्रष्टाचार नही था, उचित नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (जोबनेर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, प्लीज़, इस चीज के वास्ते ....

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप बताएं कि आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं अर्ज करूंगा चैयरमैन महोदय से कि इतनी पुरानी बात और उस वक्त की जो गवर्नमेन्ट ...

श्री उपाध्यक्ष : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, आप क्षमा करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। सदस्य महोदय प्रारम्भ करें।

श्री पुरुषोत्तमलाल : जिस जमाने की बात कहता हूं जब कि जमाना अच्छा था, आज की महंगी नहीं थी। उनको बीस रुपये तनख्वाह मिलती थी और २० हजार का माल उनके घर में मिलता था। यह भ्रष्टाचार नहीं था तो क्या था ?

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री पुरुषोतमलाल : भ्रष्टाचार है, मैं इससे इन्कार नहीं करता। उसे मिटाने की कोशिश की जावे पर उसका एक तरीका होना चाहिये। यह नहीं कि विभाग को ही मिटा दिया जावे। यह गलत बात है। हमें देश में चरित्र–निर्माण करना होगा, शिक्षा में परिवर्तन करना होगा इसके लिये; अन्यथा विभागों को मिटाने से भी भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। यह मेरा निवेदन करना है।

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में काफी चर्चाएं हैं। कट मोशन भी रक्खा गया है। इसका विरोध करते हुए थोड़ी सी बात कहूंगा। बात यह है कि हम यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, पर मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार क्या था यह तो जिन्होंने राजाओं का जमाना देखा है उनको याद है।

बीकानेर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कहा। मैं उनको याद दिलाऊं कि उनके डिविजन में कुछ ही सालों पहले यह हाल था कि किसान अपनी जुबान नहीं खोल सकते थे। वे सभा करना चाहें तो सभा तक नहीं कर सकते थे और वह शासन जैसा था वह आपको याद है। किसान इकट्ठे होते थे उससे पहले ही उनको बुरी तरह से तितर-बितर कर दिया जाता था। आज आप कहते हैं कि किसानों की बात आज कोई सुनता नहीं, किसान कहीं किसी विभाग में जाते हैं तो रुपया पैसा लिया जाता है ! हो सकता है समाज की गिरावट के कारण हममें से कुछ व्यक्तियों में कमज़ोरी हो सकती है। लेकिन उस जमाने के मुकाबले में आज किसान की मुसीबतें बहुत थोड़ी हैं। दस साल पहले की मैं बात बताऊं उनको। सीकर की एक सभा में किसान आये थे। वहां एक सत्ताजी किसान थे। उनको उस वक्त की राज्य ने पुलिस बुलाकर पीटा और इतना पीटा कि दो महीने के बाद वे मर गये।

Page No.84

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न एन्टी करप्शन विभाग का है।

श्री बट्टड़ : मैं वहां आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। दो मिनिट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आने के पूर्व मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जल्दी आ जावें।

(हंसी)

श्री बट्टड़ : तो वह जमाना अब गया। उस जमाने को लाने वाले कांग्रेसी थे और उस जमाने को लाने वाली थी आज की सरकार जिसमें वे ही आदमी भरे हैं। और आज कहा यह जा रहा है कि करप्शन बढ़ता जा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है। उतना मिटा नहीं है, यह मानता हूं पर पूर्णतः इसे समाप्त करने में वर्षों लगेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि करप्शन मिट नहीं सकता। उन्हें आशा नहीं रही, वे निरुत्साहित हो गये हैं। आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को दिया जावे तभी यह हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी स्कूल खोल दी जावे और उसका हैड मास्टर उनको ही बना दिया जावे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : शिष्य आप हो जावेंगे क्या इसके?

(हंसी)

श्री बट्टड़ : ज्ञान लेने के लिये। यह ठीक है। लेकिन उन्हीं के गांव में १२, तेरह वर्ष पहले सभा करने किसान गये थे और उन्हें इसका पूरा ज्ञान करा दिया। यह ज्ञान उनको हो गया। उन्हें अच्छी तरह से पीटा गया।

श्री उपाध्यक्ष : पिटाई फिर बीच में आ रही है।

(हंसी)

श्री बट्टड़ : अब किसी ने कहा कि घोटाले हो रहे हैं। कौन कराता है, यह नहीं बताया। इसके लिये हम क्या प्रयत्न करते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। घोटाले हो रहे हैं। किस तरह से? क्योंकि पहले जो घोटाले करते थे वे ही फिर आ गये चक्कर काट कर। यह घोटालों की जड़ है। पहले अपने मन में तो आप सोचें कि इस विषय में हम क्या हैं, और क्या करते थे सात साल पहले, आठ साल पहले और आज क्या उपदेश देते हैं करप्शन के बारे में? एक मेरे माननीय मित्र कई दफा कहते हैं, आज वह हैं नहीं, फिर मौका आयेगा तो कहूंगा कि यह घोटाला कितनी दफा किया है....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सदस्य का नाम बता दीजिए।

श्री किशनसिंह : नाम भी बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सीधा सम्पर्क स्थापित न करें। बात आरम्भ रखिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, यहां किसी सदस्य का नाम लिया जा रहा है तो वह उनका नाम क्यों नहीं बता देते?

श्री उपाध्यक्ष : यह उनके अधिकार क्षेत्र के परे है।

श्री किशनसिंह : नाम भी बता दूंगा। तो मैं आपके प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यह जो सरकार की तरफ से मांग की गई है उसका समर्थन करते हुए बैठता हूं।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करप्शन के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया उसका मैं विरोध करता हूं। इसमें कोई दो बातें नहीं हैं कि करप्शन, भ्रष्टाचार बराबर हमारे प्रान्त में फैल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : दोनों साथ ही ।

श्री आबिदअली : मैं अभी अभी निवेदन करता हूं, लेकिन जैसा कि कट मोशन हमारे सामने आया है ऐसी बात नहीं है। फिर भी करप्शन को दूर करने का प्रयत्न हमको करना चाहिए और सरकार को कुछ वेज़-एण्ड-मीन्स इस प्रकार के एडॉप्ट करने चाहिए कि जिससे करप्शन समाप्त हो जाये। इस सम्बन्ध में मैं दो बातें आपके सामने निवेदन करता हूं। सब से पहली चीज़ जो करप्शन के सिलसिले में है वह यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है और इसके साथ ही साथ जो रेवेन्यु की अदालतें हैं वे भी बदनाम हैं। अब इसके अन्दर जो मैज़र्स एडॉप्ट करने चाहिए वे यह हैं कि जो मुकदमे कोर्ट में जायें उनका मुआयना पहले सही ढंग से होना चाहिए। इस वक्त तो जो चीज सामने आती है वह यह है कि भ्रष्टाचार कम नहीं होता। हमारे जो अफसरान हैं वे भी यह फील करते हुए उसकी ओर कदम नहीं उठाते। मैं आपका एक मसले की तरफ ध्यान दिलाऊं कि एक सब-इन्सपैक्टर ने कुछ काश्तकारों का चालान किया ....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वह सब इन्सपैक्टर कहां का था ?

श्री आबिदअली : गोली का। इसके बाबत मैं यह निवेदन करूं कि आज के दो-तीन साल पहले का किस्सा है यह। सब इन्सपेक्टर ने चालान पेश कर दिया, चालान में क्या सिचुएशन आई कि काश्तकार ने शिकमी काश्तकार की ३८६ में रिपोर्ट की; ठीक है रिपोर्ट हो गई, इन्वेस्टीगेशन हो गया, फिर केस जो है वह अदालत में आ गया। अदालत में आ जाने के बाद मुलजिम डिस्चार्ज हो गया और उसके डिस्चार्ज होने की वजह यह है कि काश्तकार के पास गश्त गिरदावरी थी और चोरी का जो इल्जाम था वह फैसला भी कटने का था। नतीजा यह हुआ कि मुलजिम छूट गया। इसके लिए अगर प्रोसीक्यूटिंग इन्सपैक्टर रिपोर्ट कर देता कि सब-इन्सपैक्टर ने जान बूझ कर, जब कि गश्त गिरदावरी सामने आ गई थी तो वह केस ही अदालत में क्यों पेश किया गया ? तो मैं कहता हूं कि इसका सीधा क्या नतीजा निकल सकता है जब कि गश्त गिरदावरी की रिपोर्ट मुलजिम के फेवर में है तो चालान नहीं करना चाहिए था। तो उस सब-इन्सपैक्टर का अगर उसी समय एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिया जाता तो जो भ्रष्टाचार चल रहा है वह कम हो सकता था।

इसी तरह से मैं आपको पटवारियों के बारे में कहूं। इसमें दो राय नहीं हैं कि पटवारी लोग क्या करते हैं कि एक को तो गिरदावरी की स्लिप दे दी और दूसरा आया उसको भी दे दी ! अब यह जिम्मेदारी असिस्टेंट कलेक्टर की है, एस० डी० ओ० की है कि वह देखे कि पटवारी ने इस संबंध में क्या किया है और जो कुछ पटवारी ने किया है वह कहां तक उचित है ? इन सब बातों पर सही ढंग से विचार हो जाय तो करप्शन बहुत कुछ कम हो सकता है। यह हमें सोचना चाहिए, यह हमारे समाज का कुसूर है। आज जिनको चान्सेज़ मिलते हैं वे करप्शन करते हैं। इसके लिए जब तक हम अपनी नीति को साफ नहीं

(श्री आबिदअली)

करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए पहले हमें अपना दरवाज़ा साफ करना है, फिर यह सोचना होगा कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से कम हो सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि ये बातें सही ढंग से अगर रखी जायें और हर डिपार्टमेन्ट का मुआयना उनके अफसरान कर लें और सही नतीजा निकाल लें तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत में इस प्रकार की भावना है और जब कभी टूटा हुआ मकान देखते हैं तो उसे बनाने की योजना होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि भ्रष्टाचार के बाबत में जो कुछ भी विरोधी भाई कहते हैं उनको एक शिकायत है और वह इतनी व्यापक हो चुकी है कि उस व्यापक शिकायत को मिटाने का काम प्रजा का नहीं, सरकार का है। ठीक है, अगर आप कुछ भी बात कहें तो पहले उस पर सोचना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा था कि अगर सरकार इस बात की ओर अपनी विचारधारा निश्चित कर लेती है तो अवश्य यह भ्रष्टाचार मिट सकता है। चाहे आप छोटे से डिपार्टमेन्ट में जाइये, उस विभाग का कोई भी हिस्सा; चाहे एक क्लर्क हो, अरदली हो, चाहे सेक्रटरी हो या कोई भी हो, मैं आपसे विश्वास से कहता हूं कि आज-कल के जमाने में मनुष्य ने यह मान लिया है कि मानव का सारा निर्णायक ही पैसा है; उसका जो मूल्य है, समाज का जो मूल्य है, वह पैसा है और जो कुछ निर्णय किया जा सकता है वह पैसे के ही आधार पर किया जा सकता है। इस कारण अगर भ्रष्टाचार को मिटाने के बाबत में हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की आवश्यकता नहीं है या हम समझते हैं कि दूसरे साधनों की आवश्यकाता नहीं है; सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि अगर हम करप्शन को खत्म करना चाहते हैं तो एक प्रकार की जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, लाल फीताशाही की, रैड टैपिज़्म की उसको मिटाना होगा। मेरे ख्याल से हमारा भ्रष्टाचार तभी मिट सकता है जब कि काम फुर्ती से होता हो और ऑर्डर की तामील फौरन होती हो। सवाल क्या है ? तकावी दी जाती है उस तकावी लेने में आपने प्रोसीजर बना रखे हैं, उस प्रोसीजर के कारण ही भ्रष्टाचार फैलता है। हर काम में जो प्रोसीजर है वह इतना लैन्दी है, इतना भारी है कि उसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है।

आप कोई काम लीजिये, उस काम में इस प्रकार की शिथिलता है, ढिलाई है, कमजोरी है कि उस काम को तुरन्त करने की हम में प्रवृति नहीं है। एक रिपोर्ट दी है फॉवर्डेड टू सच एन्ड सच, तो वह फॉर्वर्डेड १० जगह चलता है। उसका कोई ठीक उत्तर नहीं लिखा जाता है कि यह काम किया जाय। अगर आपकी एक एप्लीकेशन आती है बीज के लिए, तो मेरे ख्याल से छानबीन के कारण वह करप्शन बढ़ जाता है। क्लर्क को रिपोर्ट करनी चाहिए, पटवारी की रिपोर्ट चाहिए, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट में ही भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। वह अम्बार खडा होता है। वह इमारत क्यों खड़ी होती है क्योंकि हमारे काम में शिथिलता है। उसका कारण हटाया जा सकता है। अगर हम सब लोग, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि सारी भवन में जितनी बातें होती हैं वे सब भ्रष्टाचार की हुई हैं, दो दिन से कुछ भी बात हुई है तो भ्रष्टाचार की बैठकर हम एक ऐसी समिति

(श्री मूलचन्द डागा)

बनायें हाउस की जो इन बातों को विचारे कि आखिर में भ्रष्टाचार को कैसे निकाल सकते हैं, भ्रष्टाचार को निकालने की स्थिति क्या है ? उसके लिए एक योजना बनाई जाय। जिस प्रकार की निर्माण की योजनाएं बनती हैं कि पंचवर्षीय योजना में इतने कुए बनाने हैं, उसी प्रकार से इसके लिए भी एक योजना बनानी चाहिए कि इस इस विभाग में इस इस कारण से भ्रष्टाचार फैलता है। उन कारणों को ढूंढ निकालें तो मैं समझता हूं कि आसानी से भ्रष्टाचार मिट सकता है, अन्यथा सारी स्पीचें, सारे भाषण और सारे संवाद इसी ओर संकेत करते हैं और हम मानकर चलते हैं कि यह बीमारी समाज में कई पुश्तों मे घर कर गई है। हमें मिल-जुल कर इसमें परिवर्तन करना है। माननीय मंत्री जी भी इस बात को मानेंगे, लेकिन एन्टी करपशन डिपार्टमेंन्ट को बिठाने से इलाज नहीं है। अगर कोई इलाज है तो यह है कि हम सब लोग बैठ कर एक ऐसी समिति बनायें जिसमें बैठकर विचार करें कि किस विभाग में किस कारण से भ्रष्टाचार फैलता है। उन कारणों को ढूंढा जाय और उन कारणों को मिटाने के उपाय सुझायें तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की बहस में भ्रष्टाचार का विषय ही विशेष विषय बन गया है, और बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपनी समझ के मुआफिक और अपनी इनफॉर्मेशन के मुताबिक और अपने तजुर्बे के मुताबिक अनेक प्रकार की दलीलें और मिसालें दीं हैं। भ्रष्टाचार कोई इस राजस्थान सरकार की अनोखी देन नहीं है। भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में बहुत पुरानी बीमारी है। आज भ्रष्टाचार हमको इतना नजर क्यो आ रहा है, और हम यहां बैठकर इतनी ज्यादा बातचीत क्यों कर रहे हैं ? उसका कारण यह है कि आज हम पब्लिक के संपर्क में बहुत अधिक आ गये हैं और पब्लिक से इस तरह अधिक सम्पर्क हो जाने से और हमारे व पब्लिक के मिलने में अब कोई बाधा न होने के कारण हम हरेक आदमी के दुखदर्द को समझने के लिए ज्यादा तत्पर रहते हैं। यही वजह है कि लोगों की इस प्रकार की शिकायतें हम बराबर सुनते रहते हैं। ये शिकायतें आज की नहीं, ये शिकायतें आज से २० वर्ष पहले जब कि राजस्थान में राजाओं का राज्य था, उस वक्त भी थीं। उस वक्त यह बात नहीं थी कि यहां पर भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार अवश्य था, लेकिन हम लोगों को पब्लिक के संपर्क में आने का इतना ज्यादा अवसर प्राप्त नहीं होता था, इसलिए हम उनके दुःख को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर सकते थे।

दूसरी बात यह है कि हमारी उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा—महाराजाओं से जाकर या किसी अहलकार या दीवान के पास जाकर पब्लिक के दुःख यानी भ्रष्टाचार के विषय में कह सकते थे कि आपका फलां ऑफिसर या फलां अहलकार ने फलाने से इतना रुपया रिश्वत में लिया है। आज हम स्वतन्त्र हैं, प्रजा के संपर्क में अधिक आने लगे हैं, और इसी वजह से हमको यह भ्रष्टाचार की बीमारी जो अभी तक छिपे रूप में काम कर रही थी वह आज चौड़े हो गई है। यही वजह है कि हम सब मिल कर, १७६ की संख्या में मिलकर इस बीमारी का इस जोर के साथ उद्घाटन कर रहे हैं। और

(श्री रामचन्द्र डग)

(हंसी)

यही वजह है कि हम सब यहां पर बैठकर इसके विषय में इतनी चर्चा और वाद-विवाद करते रहे हैं।

वास्तव में सरकार ने इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो कदम उठाये हैं, और उठा रही है उसके लिए हमारा यह फर्ज है कि सरकार को और अधिक सहयोग दें और केवल बोम्बेवाला या उनके १५-२० इन्सपेक्टर्स या सब इन्सपेक्टर्स ही भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकते हैं। जब तक कि हम इस सदन के १७६ सदस्य और जिन २ क्षेत्रों से हम आये हैं और वहां की जनता मिलकर इन बोम्बेवाला और उनके इन्सपेक्टरों के हाथ मजबूत नहीं करेंगे तब तक यह भ्रष्टाचार नहीं मिट सकेगा। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये एक सुझाव यह रखना चाहता हूं और वह यह है कि हरएक जिले में प्रजा की ओर से एक भ्रष्टाचार विरोधी समिति बना देनी चाहिए जिसमें कि बहुत थोड़े मेम्बर्स हों; जैसे कि जिलाधीश, एस. पी. और वहां की जनता में से प्रमुख २,४ व्यक्ति हों जिनके लिए प्रजा का उनकी इमानदारी में विश्वास हो। इस प्रकार की एक समिति बना दी जाय और वह समिति भ्रष्टाचार सम्बन्धी बातों की जानकारी कर जिलाधीश और एस पी. के कानों तक पहुंचाए। इन अधिकारियों का यह फर्ज हो कि जिस किसी ऑफिसर या क्लार्क या चपरासी के विषय में जनता की ओर से शिकायत आई हो वह उसको अपने पास बुलाकर शिकायत के विषय में चेतावनी दे दें कि यदि आयन्दा इस प्रकार की कोई शिकायत आयेगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर इस प्रकार का कदम उठाया जाय तो मुझे विश्वास है कि यह भ्रष्टाचार की बीमारी जो राजस्थान में इतनी फैली हुई है और जिसके बाबत इस सदन में इतनी ज्यादा चर्चा है, मेरे खयाल से, बहुत कम हो सकती है और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार का जो एक वातावरण बन गया है बहुत अधिक हद तक दूर हो जावेगा। भ्रष्टाचार के विषय में सब मिल कर बात करने के बजाय, इससे तो अच्छी बात यह होगी कि हम अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसको दूर करने के वास्ते स्वयं प्रयत्न करें। मुझे आशा है कि कुछ महीनों बाद फिर जब हम मिलें, तो आपस में मिल कर इस प्रकार से सलाह मशविरा करें कि हमने अपने क्षेत्र में इसको मिटाने के लिए अमुक अमुक तरकीबें कीं और यह कामयाबी हुई ताकि दूसरे लोग भी उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की बुराई को दूर करने के लिए प्रयत्न करें।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार हमारे देश का कलंक है, इस सम्बन्ध में हमारे सदन में बैठने वाले प्रत्येक सम्माननीय सदस्य की यह आकांक्षा है कि यह कलंक हमारे देश से मिटे। अभी अभी झालावाड़ की तरफ से आने वाले एक सम्माननीय सदस्य ने बताया कि इस राजस्थान में ही कोई यह बीमारी हो, ऐसी बात नहीं है। यह सारे देश की एक भयंकर बीमारी है। इस बात में पर्याप्त तथ्य है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्से जो इकाइयों के रूप में राजस्थान के एकीकरण के पहले थे वहां पर भी भ्रष्टाचार उस समय था। आजादी के पहले, क्योंकि हमारे देश में एक सार्वजनिक वातावरण की कमी थी और

Page No.89

(श्री मनोहर कोठारी)

दूसरे हमारे यहां अखबारों की कमी थी, तथा हमारा प्रदेश जो इतनी छोटी इकाईयों में बटा हुआ था कि हम संभवतः उस समय अपने क्षेत्र की बात को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर विचार तक नहीं करते थे। इसलिए उस समय यह समस्या जितने भीषण रूप में हमारे सामने नहीं आई, उतनी मैं समझता हूं, आज हमारे सामने आई है। उसका एक कारण यह भी है कि आज हमारे यहां इतने समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं जो इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भावनाओं को जनता तक पहुंचा देते हैं और इसलिए उन समाचार पत्रों के कारण हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारे देश में जहां जहां ऐसे भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उनका रहस्योद्घाटन यथासमय होता है ताकि इस सम्बन्ध में हम जान पायें और हम समझ सकें। मैं समझता हूं कि हमारे जो सम्माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं उन लोगों के सामने आये दिन इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप यदि समाचार-पत्रों में संवाद भिजवाने तक ही इस बीमारी को मिटाने की कामना करें तो क्या इस बीमारी का हल हो जायगा ? मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। इसका हमें प्रयोग और प्रयत्न करके देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह बीमारी नैतिक जिम्मेदारी है। समाचार पत्र हमें सहयोग देते हैं इस बात के लिए कि जो हमारी छिपी हुई बीमारी है उसको आम जनता में भण्डाफोड़ करें, आफिसरों तक पहुंचा दें और इस बीमारी को जितना ज्यादा प्रकाशित कर सकते हैं वह करें। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बीमारी को दूर करने के लिए यहां अतिशयोक्ति के साथ वर्णन करके, अतिरंजन करके सन्तोष कर लेने से काम चलने वाला नहीं है।

सरकार में आज जिस तरह से अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के सम्बन्ध में तरक्की के रूल्स बने हुए हैं उनको ही आप ले लीजिये। आज कई अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन उनको प्रमोशन इसलिये नहीं मिल पाता कि वे ईमानदार हैं, योग्य हैं, भले हैं लेकिन जो रूल्स बने हुए हैं उनके आधार पर चाहे दूसरा उनसे सीनियर आदमी कितना ही करप्ट अथवा बुरा है लेकिन उसको इसके मुकाबले में ज्यादा तरजीह मिल जाती है और नतीजा यह होता है कि एक भला आदमी उस लाभ से वंचित रह जाता है। वह सोचता है कि ऐसी भलाई का क्या अर्थ है जब कि उसको प्रमोशन और उपयुक्त स्थान नहीं मिलता है ? ऐसी हालत में वह व्यक्ति चरित्र को गिरा देता है।

एक बात मैं और अर्ज करूंगा कि हमारे यहां राष्ट्रीय-चरित्र की भी भारी कमी है। जिस व्यक्ति को हम कोई काम सौंपते हैं वही व्यक्ति यदि खाने को दौड़ता है तो फिर संरक्षण किस प्रकार हो, यह समझ में नहीं आता। राजस्थान सरकार ने एक भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड ऊपर के स्तर पर स्थापित किया है। यह ठीक है कि ऊपर के मामले वहां तक पहुंचने के बाद ठीक हो सकते हैं, लेकिन आये दिन हम महसूस करते हैं कि गांवों में किसान और छोटे व मध्यम श्रेणी के व्यक्ति रहते हैं जिनसे रिश्वत ली जाती है, जिनका शोषण किया जाता है; उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे पुलिस तक या अधिकारियों तक जाकर शिकायत करें। उनमें यह भी हिम्मत नहीं हो सकती कि सरकार तक जाकर पैरवी करें, उनके लिये गांवों, तहसीलों और जिलों के स्तर पर बोर्ड गठित किये जाने चाहिये और जनता के जो

(श्री. मनोहर कोठारी)

तपे तपाये कार्यकर्त्ता हैं, चाहे वे किसी भी दल के हों, किसी भी समाज के हों, या किसी भी जाति के हों, उनका बराबर सहयोग लेना चाहिये । उन लोगों का नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि जब उनके पास इस संबंध में कोई सूचना आवे तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके सत्या-सत्य सत्यता का निर्णय करें और सरकार के सामने तथ्य प्रस्तुत करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर इस प्रकार जब जिम्मेदारी आयेगी और अपने इन कर्त्तव्यों को पूरा करते हुए यदि हम ज्यादा से ज्यादा समय इस ओर लगावेंगे तो मैं समझता हूं और हमें यही आशा भी करनी चाहिये कि इस बीमारी का आगे जाकर कहीं न कहीं हल निकल ही जायगा ।

हमारे यहां स्कूल, कॉलेज और इसी तरह दूसरी कई सार्वजनिक संस्थाएं हैं, हमारे यहां समाज शिक्षण की भी योजनाएं चल रही हैं, समाज शिक्षण के लिये काफी पैसा सरकार खर्च भी करती है; तो मैं समझता हूं कि समाज के हित के लिए इन संस्थाओं के जरिये भी काम किया जा सकता है । राष्ट्र के विभिन्न कलंक; भ्रष्टाचार और शराब खोरी आदि बन्द करने के उपाय मेजिक लैन्टर्न्स के जरिये गांवों की जनता को बताये जावें और यह भी बताया जावे कि इनको हम किस प्रकार रोक सकते हैं, इनके विरूद्ध कैसे दृढ़ता की भावना पैदा की जा सकती है ! मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के पहले हम धर्म में विश्वास रखते थे इसलिए जो साधु-महात्मा कहलाते हैं उनका जनता पर असर पड़ता था और उनके कहने पर लोग उन बीमारियों को छोड़ते जाते थे । आज भी देश में नैतिक आन्दोलन की आवश्यकता है, चरित्र-निर्माण करने की आवश्यकता है । देश में जो साधु-महात्मा हैं उनका तो कर्त्तव्य है ही की वे गुमराह लोगों को रास्ता बतावें; लेकिन साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि हम लोग जो जनता के प्रतिनिधि हैं, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं जिनकी हिम्मत है पुलिस और अधिकारियों का सामना करने की, जो हिम्मत साधारणतया एक किसान और ग्रामीण नहीं कर सकते । उनको इस काम को करने के लिए आगे आना चाहिये । यदि यह काम सरकार पर ही छोड़ दिया गया तो मुझे भय है यह हल होने वाला नहीं है । केवल कहने से या केवल उदाहरण प्रस्तुत कर दें, सदन के सामने या लच्छेदार भाषण देकर चले जाने मात्र से तो उससे भ्रष्टाचार कम होने वाला हो, मिटने वाल हो, यह मैं नहीं मानता इसके लिये निश्चित कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ेगा । हम लोग शिक्षित हैं, हममें इतनी शक्ति भी है कि जिसके कारण यदि हम इस काम को अपने निर्वाचन क्षेत्र में शुरू करें, तो मैं समझता हूं काफी काम किया जा सकता है । एक प्रयोग के रूप में हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में, अच्छे चरित्र वाले व्यक्तियों की समिति स्थापित करें; इस ओर काम करना चाहिये तो सरकार का कर्त्तव्य है कि उनको मान्यता प्रदान करे । एक व्यक्ति राज्य सरकार के पास, या पुलिस के पास नहीं जा सकता । वह न्यायालय के स्तर तक भी अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन यदि समिति बनी तो वह अधिकृत रूप से तहकीकात करके राज्य सरकार के पास अपनी समिति भेज सकती है, उसकी तुरन्त ही आवश्यक छानबीन करनी चाहिये । विलंब करने से ऐसे मामले अक्सर खराब होते हैं ।

हमारे यहां जो भ्रष्टाचार की कहानियां कही जाती हैं, क्या आप यह समझते हैं कि आज व्यवस्था हमारे राज्य की ऐसी है कि हरेक आदमी ऊपर तक पहुंच सकता है ? तहसील-

(श्री मनोहर कोठारी)

दार के यहां भी यदि किसी को चिट देकर, उससे मिलने जाना पड़े तो समझ में कम आता है कि वहां क्या होता होगा ! प्रत्येक बड़े से बड़े अधिकारी का दरवाजा सदा खुला रहना चाहिये ताकि कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच सके और अपनी फरियाद सुना सके । साधारण किसान, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति, ज्यादातर छोटे कर्मचारियों से ही परेशान होते हैं, इसमें जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा । राज्य सरकार से प्रार्थना है कि जिलाधीश तक के अधिकारियों के दरवाजे खुले रखने से पहले शुरूआत करें । ग्रामीण जनता का सीधा संपर्क नायब तहसीलदार, तहसीलदार एस. डी. ओ. और कलेक्टर्स से स्थापित हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये; बीच में दलाली करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये । दलाली करने वालों के द्वारा ही रिश्वत देने के लिये लोगों को प्रेरित किया जाता है । बीच में दलाली करने वाले खुद भी फायदा उठाते हैं । इसलिए यह बात घोषित करनी चाहिये कि सरकारी अधिकारियों के दरवाजे खुले हुए हैं जहां कोई भी आसानी से पहुंच सकता है । जो लोग दलाली के रूप में बीच में काम करते हैं उनको रोकना चाहिये । इसलिये ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे अधिकारियों और जनता का सीधा संपर्क स्थापित हो ।

राज्य सरकार यदि अपने द्वारा निर्मित समितियों के पक्ष में ही सोचती रहेगी तो समस्या का हल नहीं होगा । जो लोग आगे आकर काम करना चाहते हैं और यदि सच्ची भावना रखने वाले लोगों की समितियों गठित होती हैं तो राज्य सरकार को उन्हें मान्यता दे देनी चाहिये । तथा उक्त समितियों से आने वाले मामलों पर अविलम्ब उचित कार्यवाही होनी चाहिये, विलम्ब होने से अधिकांश मामले बिगड़ जाते हैं । इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है ।

(एक माननीय सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

क्योंकि समय ४ बजे का हो गया है इसलिये अन्य मांगों पर गुलेटिन प्रभावशील करता हूं और सब मांगें एक साथ लेता हूं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर काफी वादविवाद हो चुका है इसलिये इसका उत्तर हो जाय और बाकी मांगों पर गुलेटिन का असर किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रभावशील सत्र के लिये है ।

प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक २६ पुलिस के संबंध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,६८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग स्वीकार की गई ।

४. म. प.

(मांगें जैसी हैं वैसी ही मुद्रित करवाई गई)

अनुपूरक अनुदान की मांगों सम्बन्धी मुखबंध

अनुपूरक मांग संख्या ५१-शिक्षा

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५१" मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा के सम्बन्ध में

Page No.92

(श्री उपाध्यक्ष)

३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ५१ स्वीकार की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मोशन आल रेडी मूव हो गये हैं, उन पर मत ले लेने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : The rules are too clear about it. I have given my decision.

अनुपूरक मांग संख्या ५२—चिकित्सा

प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राज्यपाल महोदय को २०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५२ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ५३—जन-स्वास्थ्य

प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४४,००० रु० की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ५४—कृषि

प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ४०—कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ५५—पशु-चिकित्सा

प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक ४१-पशु-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन राजप्रमुख को ४००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५५ स्वीकार की गई।

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Sir, may I request the Chair that the provision should be read in full.

श्री उपाध्यक्ष : I will accede to it, there is nothing wrong.

श्री जनार्दनराय नागर : Thank you Sir.

अनुपूरक मांग संख्या ५६—सहकारिता

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ४२—सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष) ... १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ५८—बहु प्रयोजन नदी योजनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ५१-ख-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धित अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७७,१०० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६०—दुर्भिक्ष

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,०७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६० स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६१—अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक ५५ अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,२५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६१ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६३—सामुदायिक विकास परियोजनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक ६३ ख-सामुदायिक विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६४—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन, आदि

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है "कि मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन आदि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ६४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६५ जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि, "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक ७० जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ६५ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६६—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ६६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६७—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक ८१-क-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ६७ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६८—राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ८२—राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,९१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ६८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६९—निवृति वेतनों की संराशियों का भुगतान

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६९, मुख्य शीर्षक ८३—निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ६९ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ७०—सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक ८५—क—सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ७० स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक १९५८

(पुरःस्थापित, विचारार्थ एवं पारित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १९५८.......

रावल श्री नरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है.......

श्री उपाध्यक्ष : निवेदन ! किस सम्बन्ध में, किस आधार पर ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उस पॉइन्ट पर, जो अनकॉन्स्टीट्युशनल बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष : वह समाप्त हो जाती है।

रावल श्री नरेन्द्र सिंह : वह समाप्त नहीं हो जाती है, इस तरफ के किसी सदस्य ने कोऑप्ट नहीं किया, यह बात आपको समझनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब अध्यक्ष अपने पैरों पर खड़ा हो तब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि दी राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा दी जाय।".

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक को विचारार्थ लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, १९५८ को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

(करतल–ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४. १० म० प० पर बुधवार, दिनांक १९ फरवरी, १९५८ के मध्याह्न पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No.96

संक्षिप्त विवरण
(१८ फरवरी, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर १२०४

संस्कृत विद्यालय ।

चरागाह ।

समाज कल्याण केन्द्र ।

ग्रामीण पाठशालाओं में काम करने वाली अस्थायी चपरासिनें ।

राज्य पुनर्गठन एक्ट के अनुसार कर्मचारियों का एकीकरण ।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण ।

अनुसूचित व दलित वर्ग छात्र ।

प्राध्यापकों की नियुक्ति ।

पुरुषार्थी सहकारी समितियां ।

निर्माण-कार्य (विकास) ।

नम्बरदारों का पिचोतरा ।

शिक्षा संबंधी योजनाएं ।

किसानों से लिया जानेवाला ।

चन्दा कुन्डी ।

संस्कार केंद्र-सिलाई कक्षा ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अर्दली) ।

नायब तहसीलदार ।

कर्मचारियों द्वारा दी जानेवाली ऊंची परीक्षाओं पर प्रतिबन्ध ।

आर० ए० एस० में संकट कालीन भर्ती

शिक्षण संस्थाएं

बिक्री कर अधिनियम

माध्यमिक पाठशाला

ऊन के कारखाने की स्थापना ।

हरिजनों को कुएं बनाने हेतु दी गई सहायता ।

उद्योग विभाग के कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी ।

चरागाह की व्यवस्था ।

जिला विकास समिति व ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी की बैठकों में

स्कम्भ

जाने वाले सदस्यों को डी. ए.

स्थगित प्रश्नों १२४५

मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८ को टिड्डियों द्वारा पहुंचाई गई हानि

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति १२५५

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :

श्री मंगलसिंह
दिनांक १८-२-५८ से २८-२-५८

श्री लक्ष्मीचन्द
दिनांक १८-२-५८ से २८-२-५८

श्री देवनाथ
दिनांक १०-२-५८ से २५-२-५८

सदन की मेज पर रखा गया

पत्र :

नियोजन लेखा तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन १२५६

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने अजमेर राज्य का नियोजन लेखा १९५५-५६ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५७ सदन की मेज पर रखा ।

विधेयकों की पुरःस्थापना १२५६

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात पुरःस्थापित किये गये :—

(१) राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

स्कम्भ

(२) इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६५८

(३) अजमेर वक्फ़ बोर्ड (विघटन) विधेयक, १६५८

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ४१-विद्युत (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयन्त्र १२५८

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार जारी रहा। इस पर कटौती प्रस्ताव जो कल प्रस्तुत किये गये उनमें से १ वापिस ले लिया गया तथा शेष दो अस्वीकार किये गये। तदुपरान्त उक्त मांग सदन द्वारा स्वीकृत की गयी।

मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन १२७३

इस मांग पर ३ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात् १ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया गया तथा उपरोक्त मांग स्वीकार की गई। शेष दो प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५७—विविध १२८७

श्री पी. के. चौधरी ने उपरोक्त मांग पर एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो बाद में वापिस ले लिया गया। उक्त मांग सदन द्वारा स्वीकार की गयी।

स्कम्भ

मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ७—भू-राजस्व १२६२

यह मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ८—राजकीय आबकारी कर १२६३

इस मांग पर २ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो सदन द्वारा अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १०—वन १३१४

इस मांग पर २ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो अस्वीकृत हुए। तदुपरान्त मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

(१) मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १३—अन्य कर और महसूल १३३७

(२) मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक १८—साधारण राजस्व से अर्थ प्रबन्धित अन्य राजस्व-व्यय १३३६

(३) मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन १३३६

उपरोक्त तीनों मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई।

इसके पश्चात् मुखबन्ध (Guillotine) का प्रयोग किया जाकर निम्नांकित मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई :—

क्रम संख्या	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	२	३
		स्कम्भ
१	५०	२६—पुलिस
२	५१	३७—शिक्षा
३	५२	३८—चिकित्सा
४	५३	३६—जन-स्वास्थ्य
५	५४	४०—कृषि
६	५५	४१—पशु चिकित्सा
७	५६	४२—सहकारिता
८	५८	५१ ख—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से संबंधित अन्य राजस्व व्यय
९	६०	५४—दुर्भिक्ष
१०	६१	५५—अधिवार्षिकी भत्ते तथा निवृत्ति वेतन
११	६३	६३ ख—सामुदायिक विकास परियोजना
१२	६४	६८—सिंचन, नौचालन, तट अन्धन आदि
१३	६५	७०— सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत
१४	६६	८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेख
१५	६७	८१ का—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत
१६	६८	८२—राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा
१७	६६	८३—निवृत्ति वेतनों के अन्तर्वर्तित संराशियों का भुगतान
१८	७०	८५ का—सरकारी व्यापार की राजकीय योजनाओं पर पूंजी की लागत

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५८ १३६२

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्तमंत्री, ने राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५८ को सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरः स्थापित किया। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो स्वीकृत हुआ। विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

बुधवार, दिनाक १९ फरवरी, १९५८ की कार्य-सूची

मंत्री मण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं उस पर वाद-विवाद

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १८६ का उत्तर देखिये)

LIST OF GOVERNMENT SANSKRIT INSTITUTION.

1. Maharaja Sanskrit College, Jaipur.
2. Govt. Sanskrit College, Alwar.
3. Maharana Sanskrit College, Udaipur.
4. Govt. Sanskrit College, Nathdwara.
5. Govt. Sanskrit College, Jodhpur.
6. Govt Sanskrit College, Sikar.
7. Sanskrit Pathshala, Dausa.
8. Sanskrit Pathshala, Chomu.
9. Sanskrit Pathshala, Kaladera.
10. Sanskrit Pathshala, Amarsar.
11. Sanskrit Pathshala, Shahpura.
12. Sanskrit Pathshala, Paota.
13. Sanskrit Pathshala, Bagru.
14. Sanskrit Pathshala, Manoharpur.
15. Sanskrit Pathshala, Chak.
16. Sanskrit Pathshala, Shrimadhopur.
17. Sanskrit Pathshala, Neem ka Thana.
18. Sanskrit Pathshala, Ganeshwar.
19. Sanskrit Pathshala, Mundru.
20. Sanskrit Pathshala, Khetri.
21. Sanskrit Pathshala, Bundi.
22. Sanskrit Pathshala, Bikaner.
23. Srnskrit Pathshala, Ganora.
24. Sanskrit Pathshala, Banswara.
25. Sanskrit Pathshala, Bonli.
26. Sanskrit Pathshala, Karauli.
27. Sanskrit Pathshala, Kotkasim.
28. Sanskrit Pathshala, Jaisalmer.
29. Sanskrit Pathshala, Bharatpur.
30. Sanskrit Pathshala, Baseri
31. Sanskrit Pathshala, Sirmathura.
32. Sanskrit Pathshala, Sikar.
33. Sanskrit Pathshala, Ajmer.
34. Sanskrit Pathshala, Ajmer.
35. Sanskrit Pathshala, Nasirabad.
36. Sanskrit Pathshala, Bharatpur (Ayurvedic.)
37. Sanskrit Pathshala, Muchkund.

LIST OF NON-GOVERNMENT SANSKRIT ISTITUTIONS

38. Sri Digamber Jain Sanskrit College, Jaipur.
39. Sri Dadu Maha Vidyalaya, Jaipur.
40. Sri Sanatandharma Hindi Vidyapeeth, Jaipur.
41 Vijay Nagar Brahmacharyashram Sanskrit Pathshala, Talagaon
42. Sanatandharma Sanskrit Vidyalaya Lalsot.
43. Govind Sanskrit Vidyalaya, Samod.
44. Sridhar Sanskrit Pathshala, Jaipur.
45. Naradeshwar Sanskrit Vidyalaya, Dhoblai.
46. Gaurvipra Vidyalaya, Jaipur.
47. Laxminath Sanskrit Vidyalaya, Cheethvari.
48. Bhartiya Sahitya Vidyalaya, Jaipur.
49. Hanumat Brahmcharyashram Sanskrit Pathshala, Ghata Mahendipur.
50. Khandel Vipra Vidyalaya, Jaipur.
51. Muonnat Sanskrit Pathshala, Saragpura.
52. Devorshikul Vidyalaya, Jaipur.
53. Bhartiya Vidyalaya, Jaipur.
54. Sarsvati Vidyapeeth, Jaipur.
55. Sanatandharm Sanskrit Vidyapeeth, Jaipur.
56. Jangir Vedic Vidyalaya, Fatahpur.
57. G. K. Chamariya Sanskrit College, Fatehpur.
58. Gopinath Sanskrit Pathshala, Banra.
59. Sanskrit Pathshala, Nachhwa.
60. Sangved Vidyalaya, Chirana.
61. Ved Vedang Sanskrit Pathshala, Chirawa.
62. Sarswati Sanskrit Vidyalaya, Khori.
63. Bhajandas Sanskrit Vidyalaya, Nayan.
64. Sriram Sanskrit Vidyalaya, Banganga
65. Sri Sanatandharma Sanskrit Pathshala, Niwai.
66. Gurukul, Chittorgarh.
67. Sarvajanki Vidyalaya, Baran.
68. Saraswati Vidyapeeth, Kotah
69. Shri Vitthalnath Sanskrit Vidyalaya, Kotah.
70. Radhey Shyam Sanskrit Pathshala, Bhawanimandi.
71. Goverdhan Sanskrit Pathshala, Kharagda.
72. Vedic Sanskrit Pathshala, Jodhpur.
73. Shri Pareek Sanskrit Maha Vidyalaya, Merta city.
74. Nangaldatta Vidyalaya, Ratangarh.
75. Rajasthan Rishikul Brahmcharyashram, Ratangarh.
76. Shri Hanuman Sanskrit Vidyalaya, Sardarshahar.

77. Rajasthan Sanskrit Vidyalaya, Taranagar.
78. Rajasthan Chhatravas, Churu.
79. Shardul Sanskrit Vidyalaya, Bikaner.
80. S. D. F. Sanskrit Pathshala, Beawar.
81. S. D. F. Sanskrit Pathshala, Beawar.
82. Ved Vedang Sanskrit Pathshala Gudha Gaurji.
83. S. N. Joshi Sanskrit Vidyalaya, Kansli.
84. Ramanuj Sanskrit Vidyalaya, Binori.
85. Ghanshayam Das Ruiya Sanskrit Pathshala, Ramgarh.
86. Fulli Bai Sanskrit Pathshala, Ramgarh.
87. Harmukh Rai Sanskrit Pathshala, Ramgarh.
88. Ganpat Rai Ruiya Sanskrit Pathshala, Ramgarh.
89. Brij Lal Sanskrit Pathshala, Laxmangarh.
90. Rishikul Brahmacharyashram Sanskrit College, Laxmangarh.
91. Rajoria Sanskrit Pathshala, Fatehpur.
92. Chikhani Sanskrit Pathshala, Reengus.
93. Raghunath Sanskrit Pathshala, mahusar.
94. Roongata Sanskrit College, Bagar.
95. Goyanka Sanskrit Vidyalaya, Doondlod.
96. Sakseria Sanskrit Pathshala, Chirawa.
97. Nawalgarh Vidyalaya, Nawalgarh.
98. Satwik Jeevanshala, Nawalgarh.
99. Bagaria Sanskrit Pathshala, Sujangarh.
100. Sureka Sanskrit Pathshala, Rajgarh.
101. Tikmani Ved Vedang Pathshala, Rajgarh.
102. Raghunath Sanskrit Pathshala, Ratangarh.
103. Taperia Sanskrit Pathshala, Ratangarh.
104. Ajit Saria Sanskrit Pathshala, Ratangarh.
105. Rishikul Brahmacharyashram, Churu.
106. Sanatandharma Sanskrit Pathshala, Mundwa.
107. Suryamal Taperia Sanskrit Pathshala, Jaswantgarh.
108. Sanskrit Maha Vidyalaya, Deedwana.
109. Sanskrit Pathshala. Nepasar,
110. Matri Bhasha Vidyapeeth, Karauli.
111. Narshing Sanskrit Pathshala, Bari.
112. Sanskirt Pathshala, Tonk.
113. Sanskrit Pathshala, Sangari.
114. Adarsh Shiksha Niketan, Jaipur.
115. Sanatandharma Sanskrit Vidyapeeth, Bikaner.
116. Dhuleshwar Rashtrabhasha College, Manoharpur.
117. Sanskrit Pathshala, Sultanpur.

118. Raj Shri Vidyalaya, Jaipur.
119. Mitravyan Vidyalaya, Jaipur.
120. Vakunthanath Sanskrit Pathshala, Pushkar.
121. Birla Sanskrit College, Pilani.
122. Ram Krishna Sanskrit College, Ajmar.
123. Vyaparik Sanskrit Pathshala, Beawar.
124. Sri Ramnath Aditya Sanskrit Pathshala, Pushkar.
125. Girls Vidyalaya, Mahavirji.
126. Adarsh Vidyamandir, Udaipur.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १६४ का उत्तर देखिये)

लिस्ट लेखक एवं लेखपाल जो तहसील लालसोट में कार्य कर रहे हैं।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	पद	अवधि से
१	श्री कपूरचन्द	सब ट्रेज़री क्लर्क	२८-२-४८
२	श्री रतनलाल	रिसीट डिस्पेच क्लर्क	२-११-५३

लिस्ट पटवारियान तहसील लालसोट जो तीन साल अथवा और अधिक समय से हैं।

क्र० सं०	हल्का नं०	नाम पटवारी	अवधि से
१	३	श्री रामजस	३ साल से ज्यादा
२	४	श्री प्रभुलाल	,,
३	५	श्री ओंकारसिंह	,,
४	६	श्री मुरलीधर	,,
५	७	श्री मुरलीधर	,,
६	८	श्री मदनसिंह	,,
७	९	श्री रामपालसिंह	,,
८	१०	श्री गोपाललाल	,,
९	११	श्री बद्रीलाल	५ साल से ज्यादा
१०	१३ (ए)	श्री कजोड़मल	,,
११	१४	श्री दारा प्रसाद	३ साल से ज्यादा
१२	१५	श्री रामगोपाल	,,
१३	१७	श्री भगवान सहाय	,,
१४	१८	श्री रामसहाय	,,
१५	२१	श्री रामअवतार	,,
१६	२२	श्री बद्रीलाल	,,
१७	२६	श्री रामस्वरूप	५ साल से ज्यादा
१८	२७	श्री मनमोहन	,,
१९	२८ (ए)	श्री मूतीलाल	३ साल से ज्यादा
२०	३१	श्री सगीर मोहम्मद	,,
२१	३२	श्री चिरंजीलाल	५ साल से ज्यादा
२२	३४	श्री शिवप्रसाद	,,
२३	३५	श्री रामेश्वर प्रसाद	३ साल से ज्यादा
२४	३६	श्री भूरालाल	,,
२५	३७	श्री मदनलाल	,,
२६	३८	श्री केदारप्रसाद	,,
२७	४०	श्री मूलचन्द	,,
२८	४१	श्री हरिसिंह	,,

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रथम प्रश्न संख्या २०० का उत्तर देखिये)

'A'

STATEMENT SHOWING THE CENTRAL ASSISTANCE SANCTIONED, UTILISED AND UNUTILISED DURING THE YEAR 1953-54

S. No.	Name of the scheme.	Central assistance sanctioned			Central Assistance utilised			Central assisistance unutilised		
		Central loans.	Grants & Subsidies	Total	Central loans	Grants & Subsidies	Total	Central loans	Grants & Subsidies	Total
1.	Scheme No. (1-in regard to intensive educational Development within a selected area.	—	249969	249969	—	221860	221860	—	28109	28102
2.	Scheme No. 2 (a)-Grants for Research on approved projects to be carried on in Training Colleges.	—	620	6206	—	6260	6260	—	—	—
3.	Scheme No. 4 (a)-Development of selected Primary Schools, as schools-cum-community centres.	—	22320	22320	—	—	—	—	236560	236560
	(b) (i) Refesher course-cum-seminar	—	40000	40000	—	—	—	—		
	(ii) Improvement of selected secondary schools.		174240	174240	–	—	—	--		
	(c) Improvement of Library services.		141096	141096	–	—	--	--	141096	141096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(d) Trg. of teachers & workers in the field of social education.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total (3)	—	377656	377656	—	—	—	—	377656	377656
4.	Educational Develoment for cultural improvement and experiments.	—	82500	82500	—	82500	22500	—	—	—
5.	Scheme No. 6-Grants to institutions doing important educational & cultural works,									
	(1) Gramothan Vidyapeeth. Sangaria.	—	101359	101359	—	101359	101359	—	—	—
	(2) Vidya Bhawan Socicty.									
	(3) Gandhi Vidya Mandir Sardarshahar.	—	37244	37244	—	37244	37244	—	—	—
	(4) Bal Niketan.									
	(5) Happy Alwar.									
	Total (5)	—	138603	138603	—	138603	138603			
6.	Scheme for expansion of basic education.	—	—	—	—	—	—	—		
7.	Scheme to relive uneducated employment.	—	444600	444600	—	238868	238868	—	205732	205732
8.	Scheme for implementation of recommendation of secondary education commission (M.P. Schools)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Expansion of primary education under Art. 275 (1)	—	20,00,000	20,00,000	—	20,00,000	20,00,000	—	—	—
10.	Grant of loan to the institutions for building.									
	(1) Vishwa Vidyapeeth.		—							
	(2) Vidya Bhawan Society									
	(3) Banasthali vidyapeeth									
11.	Appointment of Social Education officer									
	Grand Total:—	—	3299588	3299588		2688091	2688091		611497	611497

"B"

STATEMENT SHOWING CENTRAL ASSISTANCE RAJASTHAN
UTILISED AND UNUTIEISED DURING THE YEAR 1954-55.

S.No.	Name of the scheme	Central Assistance sanctioned			Central Assistance utilised			Central Assisistance unutilised		
		Loans	Grants & Subsidies	Total	Loans	Grents & Subsidies	Total	Loans	Grants & Subsidies	Total
1.	Schem No. 1-In regard to intensive educational Development within selected areas.		3,37,950	3,37,950	-	3,13,440	3,13,400	-	24,510	24,510
2.	Scheme No. 2 (a)-Grants for Research on approved projects to be carried on in Training Colleges.		10,900	10,900	-	10,900	10,900	-	-	-
3.	Scheme No. 4 (a) Development of Selected Primary Schools & Schools-cum-community centres.									
	(b) (i) Refresher course-cum-seminars.									
	(ii) Improvement of selected secondary schools.									
	(c) Improvement of Library service.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(d) Training of teachers & workers in the field of social Education.								
	(f) Developing of pre-school Education.	5,24,143	5,24,143	-	83,535	83,535	-	4,40,608	4,40,608
4.	Educational Development for Cultural improvement and experienents.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Scheme No. 6-Grants to institutions doing important Educational and cultural works.								
	(1) Gramothan Vidyapeeth, Sangaria.	87,244	87,244	-	87,244	87,244	-	-	-
	(2) Vidya Bhawan Society	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahar.	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
	(4) Bal Nikatan,	33,990	33,990	-	33,990	33,990	-	-	-
	(5) Happy School, Alwar.	20,460	20,460	-	20,460	20,460	-	-	-
	(Total--5)	1,91,694	1,91,694	-	1,91,694	1,91,694	-	-	-
6.	Scheme for expansion of basic education.	67,230	67,230	-	-	-	-	67,230	67,230
7.	Scheme to relieve uneducated unemployment.	11.64,330	11,64,330	-	7,76,087	7,76,087	-	3,88,243	3,88,243
8.	Scheme for implementation of recommendation of Secondary Education Co-								

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	mmission (M.P. Schools)	-	30,90,450	30,90,450	-	5,35,260	5,35,260	-	25,55,190	25,55,190
9.	Expansion of Primary Education under Art. 275 (i)	-	26,00,000	26,00,000	-	26,00,000	26,00,000	-	-	-
10.	Grants of loan to the institution for building :—									
	(1) Vishva Vidypeeth									
	(2) Vidya Bhawan Society									
	(3) Vanasthali Vidyapeeth	2,50,000	-	2,50,000	2,50,000	-	2,50,000	-	-	-
		2,50,000	79,86,697	82,36,697	2,50,000	45,10,916	47,60,916	-	34,65,781	34,75,981

'C'

STATEMENT SHOWING THE CENTRAL ASSISTANCE SANCTIONED, UTILISED AND UNUTILISED DURING THE YEAR 1955-56

S.No.	Name of the Schemes	Central assistance sancioned. Loans	Grants & Subsidies	Total	Central assistance Utilised Loans	Grants & Subsidies.	Total	Central assistance unutilised Loans	Grants & Subsidies.	Total.
1.	Scheme No. 1. In regard to intensive educational Dev. within a selected area.	—	4,19,891	4,19,891	—	4,07,222	4,07,222	—	12,669	12,669
2.	Scheme No. 2. (a)-Grants for Research on approved projects to be carried on in Training Colleges.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Scheme No. 4. (a) Development of selected Primary Schools. as schools-cum-community centres.									
	(b) (i) Refresher course-cum-Seminars									
	(ii) Improvement of selected secondary schools									
	(c) Improvement of Library services.	—	1,00,198	1,00,198	—	16,143	16,143	—	84,055	84,055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(d) Training of Teachers & workers in the field of Social education.									
4.	Educational Development for cultural improvement & experiments.									
5.	Scheme No. 6-Grants to institutions doing important educational and cultural works.									
	(1) Gramothan Vidyapeeth, Sangaria.	—	50,000	50,000	—	50,000	50,000	—	—	—
	(2) Vidya Bhawan Society									
	(3) Gandhi Vidya Mandir Sardarshahr	—	1,00,000	1,00,000	—	1,00,000	1,00,000	—	—	—
	(4) Bal Niketan									
	(5) Happy School, Alwar.									
	Total:	—	1,50,000	1,50,000	—	1,50,000	1,50,000	—	—	—
6.	Scheme for expansion of basic education.									
7.	Scheme to relieve uneducated unemployment.	—	2,47,702	2,47,702	—	1,14,226	1,14,226	—	1,33,476	1,33,476
8.	Schemes for implementation of recommendation of Secondary Education Commission (M. P.) Schools.	—	8,95,692	8,95,692	—	8,69,320	8,69,320	—	26,372	26,372
		—	25,55,190	25,55,190	—	13,31,606	13,31,606	—	12,23,584	12,23,584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Balance of 54-55)						
	9. Expansion of primary education under Art. 275 (I)	—	33,00,000	33,00,000	—	33,00,000	33,00,000	—	—	—
	10. Grant of loan to the institutions for building.									
	(1) Vishwa Vidyapeeth.	1,27,000	—	1,27,000	1,27,000	—	1,27,000	—	—	—
	(2) Vidya Bhawan Society	—	—	—	—	—		—	—	—
	(3) Vanasthali Vidyapeeth.	1,71,600	—	1,71,600	1,71,600		1,71,600			
	Total	2,98,600		2,98,600	2,98,600	—	2,98,600	—	—	—
	11. Appointment of Social Education officer.	—	3,010	3,010	—	—	—	—	3,010	3,010
	Grand Total	2,98,600	71,71,683	79,70,283	2,98,600	61,88,517	64,87,117	—	14,83,166	14,83,166

Page No.113

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २०१ का उत्तर देखिये)

सूची ग्राम जिनसे चन्दा कुण्ड फण्ड वसूल होकर अब तक जमा है।

क्रम सं०	नाम गांव	तादाद रकम	विशेष
१	२	३	४
	तहसील राजगढ़	रु०--आ०--पा०	
१	कस्बा राजगढ़	१८०६—१३—६	
२	राधा बड़ी	१७६— २—६	
३	राधा छोटी	३४६— ६—६	
४	गागड़वास	५००—१५—०	
५	बीसलान	५०४— ८—६	
६	कांचरान	३४७—१४—७	
७	जादूवास	२६०— ६—६	
८	हरपालू पतराम	३१२—१२—७	
९	हरपालू सांवल	३२२—११—३	
१०	हरपालू कुशाला	२०६— ०—६	
११	हरपालू रामधन	२७२— ६—६	
१२	लूदी झाबर	३४६— ३—३	
१३	लूदी खूवा	१७७—१५—६	
१४	लूटाना मगनी	१३२— ६—६	
१५	लूटाना राज	१३८— ६—६	
१६	लूटाना सदासुख	२४२— ८—३	
१७	लूटाना पूरन	११०— १—३	
१८	लूटाना अमीचन्द	१४२—१४—६	
१९	गोठ्या बड़ी	२२६— ०—५	
२०	गोठ्यां छोटी	३३८— ५—०	
२१	मीठी	५८०—११—६	
२२	श्योपुरा	३४४—१२—६	
२३	सूरतपुरा	६५६— ८—८	
२४	सदाऊ	७६४— ६—३	
२५	लसेड़ी	५८०— ७—६	
२६	लूदी छाजू	१८७—१२—७	
२७	गूलपुरा	५७८— २—७	
२८	मांगला	२६३— ५—०	

Page No.114

१	२	३	४
२६	ढंडाल सेरा	३२४— ०—०	
३०	ढंडाल खेला	१२५— ६—३	
३१	ढंडाल लेखू	२१०— १—०	
३२	मोडावासी	१५२—१३—७	
३३	डीगारला	६१२— ६–१०	
३४	बघेला	४०३— ८—०	
३५	मलवास	४६६— २—३	
३६	बीरमी खालसा	४७८—१५—०	
३७	नरवासी	३४०—११—३	
३८	पहाड़सर	६७१—१३—६	
३६	घणाऊ	८६६—६—३	
४०	चैनपुरा छोटा	३११—१०—६	
४१	लम्बोर बड़ी	४३५—१५—३	
४२	हरपालू कुबड़ी	३६१— ३—६	
४३	हरपालू रामसुख	२६१—१४—०	
४४	रड़वा	२४०— ८—६	
४५	वीजावास	३२०— ७—६	
४६	इन्दरपुरा	४१७— ७—३	
४७	बेरासर बड़ा	२८६—१३—०	
४८	बेरासर छोटा	२१६—१२—६	
४६	बेरासर गुमाना	२३५—१५–११	
५०	बेरासरबुद्धू	३००— ७—६	
५१	भेरासर मझला	३८०— ५—०	
५२	ढाणी मोजी	५२६—११—६	
५३	जैतपुरा	४५५—१३—३	
५४	भैंसली	११३७—१५—६	
५५	हमीरवास बड़ा	७१७— ७—३	
५६	हमीरवास छोटा	३६५— ३—३	
५७	सरदारपुरा	४६७—१३—०	
५८	सुलखनिया	८४६— २—०	
५६	बुढ़ावास	५६६— ०—०	
६०	खेरू छोटी	४७०— ७—६	
६१	खेरू बड़ी	६२३— ४—६	
६२	भाखरां	५२२— ३—३	
६३	भटोड़	३३५— ८—६	

१	२	३	४
६४	गुवालीसर	४६१— ८—४	
६५	न्यागल छोटी	६०८— ३—८	
६६	न्यागल बड़ी	४४८— ८—१०	
६७	घानोटी छोटी	७१२— ८—३	
६८	रतनपुरा	६२७— २—६	
६९	जयपुरिया खालसा	२६८—१४—६	
७०	डांकुआ	३२०— ६—३	
७१	भाटावास	१०६—१५—०	
७२	करौली	१८५—११—०	
		योग ३११३५८— ४—०	

तारानगर

		रु० नये पैसे	
१	खरथवास	४४–२०	
२	बीड़ सानी तारानगर	७६–४५	
३	बीड़ तारानगर	६–८३	
४	कस्बा तारानगर	७२–५३	
५	ढाणा भाखरां	३५–५२	
६	चक साहवा	२२२१–०	
७	साहवा	२२३–४०	
८	वास सारायण	१३३–६६	
९	रेयाटूण्डा	५१८–४४	
१०	महात्मा	२०१–४४	
११	धीरवास नं० १	५६४–७७	
१२	धीरवास नं० २	३५–६१	
१३	रेवासी	३०१–७२	
१४	राघेड़ी	६६–४७	
१५	कालवास	६६–६८	
१६	झोथड़ा	३२६–७२	तहसील तारानगर की समस्त रकम कमिश्नर कार्यालय बीकानेर में जरिए ड्राफ्ट भेजी जा चुकी है।
१७	वास माना	४०–५६	
१८	बनीयाला	७०–५८	
१९	भौम वालिया	२–६४	
२०	बूचावास	१४–१९	
२१	खरथली	६–७८	
२२	मूगलवास	३–५२	
२३	आनन्दसिंह पुरा	५४–६३	
		योग ५१६१–२४	

१		२	३	४
	तहसील चूरू			
			रु० नये पैसे	
१	चूरू		१११८—६१	
२	रतननगर		१६६७—१५	
३	बूटिया		४३०—१४	
४	पोटी		१८१—३६	
५	खासोली		३२०—५१	
६	रीथियां		८७—५७	
७	कानड़वासी		१८१—७२	उपरोक्त रकम कमिश्नर कार्यालय बीकानेर में ड्राफ्ट द्वारा भेजी जा चुकी है।
८	नाकरासर		४२१—३५	
९	सातड़ा		४१७—८२	
			योग ५.१२६—२६	

	तहसील डूंगरगढ़		
		रु० आ० पा०	
१	मोमासर	९९३–६–६	
२	सीयाणी	७२–८–९	
३	लाधड़िया	२१२–१३–६	
४	ठूकरियासर	११३–[illegible]–३	
५	इन्दपालसर	[illegible]	
६	डेलवां	४७[illegible]	
७	धोलिया	२०६–६–३	
८	डूंगरगढ़	११–०–३	
९	बासी सुरजा	५०–११–३	
१०	अमृतवासी	७५–०–९	
		योग२८८१–७–३	

	तहसील रतनगढ़		
		रु० आ० पा०	
१	रतनगढ़	१३४९–८–९	
२	चक रतनगढ़	११६–११–६	
३	राजलदेसर	७६८–७–०	
		योग–२२३४–११–३	

फहरिस्त गांव वार रकम चन्दा कुंड की बैंक आफ बीकानेर ब्रान्च नोहर में जमा है।

नं० शु०	नाम गांव	तादाद रुपया जो जमा हुवा	कैफियत
१.	कस्बा नोहर	रू. ७००.३२	
२.	ढानी अरायान वाली	रू. ३००.५७	
३.	फेफाना	रू. ६८६.०२	
४.	राजपुरिया	६१.५६	
५.	परलिका	१२७८.४३	
६.	बरूवाली	४६५.३१	
७.	बडबिराना	२५५.०४	
८.	दीपलाना	१८५.३६	
९.	रामगढ़	१५३३.७८	
१०.	उजलबास	२४१.५५	
११.	ढीलकी जाटान	५१८.०९	
१२.	सरदारपुरा	८७.२८	
१३.	दलपतपुरा	४२६.३३	
१४.	सूरपूरा	४३.५४	
१५.	जोजासर	१९.३६	
१६.	गंगोई	१३७.८७	
१७.	चक सरदारपुरा	७१.६२	
१८.	चक देई दासपुरा	१२०.९९	
१९.	भगवानसर	१६०.७९	
२०.	चक राजासर	७४.९१	
		योग ७६७१.७१	

गांववार जमा चन्दा कुन्ड जोहड़ तहसील भादरा सन् ५७

नं० शु०	नाम गांव	तादाद रकम
१.	करनपुरा	४०.५०
२.	मानगढ़	२८८. २५
३.	गंगासिंहपुरा	८०. ४६
४.	चक चिड़िया गांधी	१७३. ८१
५.	सरदारपुरा बास भादरा	१०८. ३६
६.	चिड़िया गांधी	३३०. ७८
७.	भिरानी	९३४. १४
८.	पटवा	९५. ४७

नं० शु०	नाम गांव	तादाद रकम
६.	बावलवास	४५. ७६
१०.	साहुवाला	१७३. ४५
११.	उतरादावास	२२८. ६४
१२.	डोमी	१७७. ०६
१३.	डूंगरवास	६१. ८१
१४.	शेरपुरा	२६८. ६६
१५.	सागड़ा	११०. ४२
१६.	जटान	३५१. ५६
१७.	सिकरोड़ी	१३०. ४५
१८	लाखनबास	२४१. ४०
१६.	वेर	३३४. ३६
२०.	मैरूछानी	१२७. १६
२१.	सरदारपुरा वास भोला	६७. ६१
२२.	श्योपुरा	४५. ८६
२३.	जोगीवाला	५०६. ३०
२४.	झासंल	५४७. २६
२५.	शरोडा	२२४०. ६७
२६.	झिनोदा	१७३. ६६
२७.	मेहरिया	२१८. २२
२८.	मौजासर	२०६. ०३
२६.	कूजी	७५. ५३
३०.	घोटड़ा	४. १७
३१.	मलसीसर	११०. १३
३२.	रतनपुरा	११३. ३०
३३.	मोजाना	१२७. १८
३४.	मलखेड़ा	३२२. ०२
३५.	माडी	४६८. ८६
३६.	शोदानपुरा	३१५. २६
३७.	राजपुरा	१११. ४०
३८.	खचवाना	६४. १६
३६.	जनाना	२३६. १६
४०.	घेऊ	६६६. ५७
४१.	अमपुरा	१३०. ६६
४२.	गनेशपुरा	१४०. ६६
४३.	हाथीपुरा	४३. ७०
४४.	मुन्दडिया छोटा	१००. ४४

१	२	३	४
४५.	कीकरली	३०८. ०६	
४६.	सुरतपुरा	१८२. ०४	
४७.	भांगवा	३४२. ३१	
४८.	आसन	२३३. ५२	
४९.	लुढ़ेर	१६१. ३७	
५०.	मुनसरी	३१६. ८७	
५१.	घोलपालिया	४२. ०१	
५२.	मोतीपुरा	६२. ५६	
५३.	नूवां	४६५. ५४	
५४.	सरदारगड़िया	१८९. ६८	
५५.	पचारवाली	७९. ५०	
५६.	अनुपशहर	२८३. ३८	
५७.	सरदारपुरा वास	६७. १४	
५८.	चनान	१६६. ६३	
५९.	मोमनवास	१५६. ४३	
६०.	सवाई छानी	९२. ५७	
६१.	महराना	३१४. ५४	
६२.	झोरड़पुरा	१४३. १३	
६३.	कनऊ	३५०. १४	
६४.	मोठासरा	२८९. ६६	
६५.	गांधीबाड़ी	५८१. ८६	
६६.	नयागल	१०७. ७६	
६७.	डावड़ी	८३८. ४५	
६८.	बिहारीपुरा	१७२. ३४	
६९.	छानी बड़ी	७२४. ०४	
७०.	गढ़ी छानी	३२८. ५७	
७१.	भादरा	६२९. ६५	
७२.	निनान	७६१. ७५	
७३.	रामवास	२०५. ६५	
७४.	पालडी	९६. ७०	
७५,	रामगढ़िया	२११. ५६	
७६.	नीवीपुरा	१७५. ९०	
७७.	गाठड़ा	४६२. ४७	
७८.	उदरान	१५६. ५२	
७९.	गुजासिरा	१७१. ०६	
८०	विरान	४४४. ४५	
	योग	२१७३८. ६८	

नक्शा रकम चन्दा कुण्ड की खजाना में जमा हुई तहसील लूनकरनसर

नम्बर शुमार	नाम गांव	रकम जो खजाने में जमा हुई		विवरण
		रुपये	नये पैसे	
१.	मलकीसर	४५३	६१	
२.	पीपेरा १/२ खालसा	२८०	२२	
३.	लखावर	१६५	२८	
४.	कपूरीसर	१७४	२३	
५.	खोखराना	११८	४७	
६.	खातियावास	३३	२५	
७.	कालवास	१५४	२६	
८,	लूनकरणसर	२२६	१८	
६.	साघेरा	६१	६१	
१०.	मेहराना	१५	३	
११.	कुन्जरी	२६१	३६	
१२.	सेखसर	६६३	७०	
१३.	भोमदुलचासर	५	५६	
१४.	कान्हालोई	१६१	६५	
१५.	कागासर	८१	६१	
१६.	डोलाना छोटा	३६४	१७	
१७.	डेलाना बड़ा	३६०	१६	
१८.	फूलदेसर	१६३	४६	
१६.	गेभा	१६४	३७	
२०.	सादैवाली	१	८	
२१.	बखूसर	१५४	८०	
२२.	हाफासर	३१	१६	
२३.	लक्ष्मीनारायणसर	५३	६४	
२४.	मानीपुरा	१२	००	

फहरिश्त गांव वार आमदनी चन्दा कुन्ड जो बैंक बीकानेर में जमा है तहसील नोखा

नं० शु०	नाम गांव	तादाद रकम	
		रुपये	नये पैसे
१.	सीजगरू	७५	८६
२.	रामसर	१२६८	८६
३.	बीदासरिया	४५८	२४
४.	सीहाणा	६५	२५

५.	कतलीसर	४४	३६
६.	सूरतुरा	१४३३	८२
७.	नोखामन्डी	८४६	७३
८.	भामट सर	७८७	५६
६.	मुसूरी	६५७	०६
१०.	साघासर	२००५	३५
११.	काकड़ा	१६१६	०७
१२.	पांचू	२१७०	६६
१३.	जसरासर	४८६७	१८
१४.	पाखा	४	८४
१५.	बलनियासर	१६१	३६
१६.	रायसर	४३८	२०
१७.	देसलसर	१६५	४७
१८.	बेरासर	२६४	८६
		योग ४७४०२.१२	

तहसील मगरा

तारीख	नाम गांव	रकम		
६.३.५४	शरह किसनायत	०.	१	३
२६.३.५४	काडम देसर	१:	७	२
१३.४.५४	शरह किसनायत	२४	०	०
२८.४.५४	चोडासर	२४	०	०
२८.४.५४	शरह गुजरायत	०	१२	०
११.५.५४	गजनेर	५८	४	०
२५.५.५४	चौड़ासर	२	१	०
२८.५.५४	गजनेर	४८	०	०
३१.५.५४	भाणे का गांव	०	१	२
१४.२.५४	,,	८	५	१
१०.६.५५	सारवला	६	४	३
६.६.५६	गोलेरा	२	१०	०
६.१.५६	बालाला	१	१०	०
१६.१.५६	राणासर	५	५	०
१७.१.५६	चानी	०	१२	०
२३.१.५६	सीयाणा सारवला	१२	६	२
२३.१.५६	पाकूसर	३	४	२
२५.१.५६	गजनेर	२१	१५	१
,,	,,	१२	०	१
३०.१.५६	चौडासर	३५	०	०
३०.१.५६	चौड़ासर	१	१४	०

तारीख	नाम गांव	रकम		
३०.१.५६	रणधीसर	१२	१०	०
१.२.५६	गजनेर	६	१०	०
४.२.५६	कोडमदेसर	१	६	१
२०.२.५६	अगनेऊ	३	१३	०
६.२.५६	किसनायत	४	१४	०
		योग २८२–४–?		

२६.६.५७	भीमअखेसिंह	०. २७
४.६.५७	कोटडी	२. २२
,,	काऊमदेसर	०. ५३
१२.६.५७	शरहगुजरात	५. १४
,,	शरह जुगलदार	१. ८५
,,	गजनेर	१८.३१
		योग १६.६१

उपरोक्त रकमें असली सीगे में जमा हो चुकी हैं।

२५.६.५७	चौडासर	१६. ६४
५.११.५७	गजनेर	१. २२
,,	गजनेर	१. २५
		योग २६.२८

ये रकमें तहसील हाजा में की इस पुष्ट में जमा है।

परिशिष्ट ५

[कृपया प्रश्न संख्या २०८ का उत्तर देखिये]

LIST OF CANDIDATES RECOMMENDED BY THE RAS EMER GENCY RECRUITRMENT BOARD.

1. Shri Ganesh Dutt Chhangani.
2. „ Harish Chandra Mangal.
3. „ H. N. Bhatnagar.
4. „ Gopal Lal Sharma.
5. „ Jagdish Kishore Sharma.
6. „ Devandra Singh Saktawat.
7. „ Babu Prasad Mathur.
8. „ Sukhdeo Arya.
9. „ Bhagwat Swarup Mathur.
10. „ Om Prakash Joshi.
11. „ Arjun Raj Bhandari.
12. „ Guman Singh.
13. „ Gopal Singh.
14. „ Kumari Mukilika Sen.
15. „ Ram Nath Kaul.
16. „ Jaswant Mal B. Karnawat.
17. „ Dipendra Nath Upadhya.
18. „ Brahma Prakash Bhargava.
19. „ C. L. Kanwaria.
20. „ Amar Chand Sethi.
21. „ Vishnue Dutt Sharma.
22. „ Sarda Prasad Saxena.
23. „ Ganesh Narain Vyas.
24. „ Laxmi Narain Sharma.
25. „ Ishwari Singh Agre.
26. „ Padam Chand Singhi.
27. „ Brij Kishore Sharma.
28. „ Raghunandan Prasad.
29. „ Kishori Lal.
30. „ Radhey Shyam Dadheech.
31. „ Mahendra Kumar Vyas.
32. „ Bal Krishna Sharma.
33. „ Hari Shanker Durga Shanker Dave.
34. „ Hari Kumar Sharma.
35. „ Bhawani Singh.

36. Shri Hira Lal Kothari.
37. „ Jagmal Singh.
38. „ Mahmud.
39. „ Bal Krishna Sharma.
40. „ Anand Kishore Pareek.
41. „ N. M. Kothari.
42. „ Taru Lal Dashora.
43. „ Keshav Prasad Pande.
44. „ Surendra Nath Sharma.
45. „ Rajeshwar Dayal Mathur.
46. „ Kunj Behari Sharma.
47. „ Yashwant Singh Mehta.
48. „ Alladhar Chaturvedi.
49. „ Tej Narain Sharma.
50. „ Satya Kirti Sharma.
51. „ Laxmi Narain Srivastava.
52. „ Kalyanlal Sharma.
53. „ Ram Sharan Sharma.
54. „ Dau Lal Rohiwal.
55. „ Ram Chand Purohit.
56. „ Srikishna Verma.
57. „ Narendra Mal Mehta.
58. „ Amrit Lal H. Gandhi.
59. „ Sri Krishna Tak.
60. „ Ghanshayam Das Bh ardwaj.
61. „ Radhe Kant Sharma.
62. „ Kalyan Singh.
63. „ Bhanwarlal Verma.

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या २११ का उत्तर देखिये)

LIST OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

No.	Name of Institution	Post Office	Rly. Station	Tehsil
	Aided High School And Inter College			
1.	R. N. Ruia Inter College Remgarb	Ramgarh	Ramgarh	Fatehpur
2.	S. R. High School, Laxmangarh	Laxmngerb	Laxmangarh	Laxmangarh
3.	Chamiria Inter College Eathpur	Fetehpur	Fatehpur	Fatehpur
	GOVERNMENT INTER COLLEGES AND HIGHSCHOOL			
1.	S. K. Inter Collegh; Siker	Sikar	Sikar	Sikar
2.	High School, Neem ka Thana	Neemka Thana	Neemkathana	Neemkathana
3.	High School. Chhajaki Nangal	Kotputli	Dabla	Neemkathana
4.	High School Srimadhopur	Srimadhopur	Srimadhopur	Srimadhopur
5.	High School, Khandala	Khandela	Palsana	Srimadhopur
6.	High School, Kanwat	Kanwat	Kanwat	Srimadhopur
7.	High School, Danta	Danta	Renwal	Danta.
8.	High School, Losal	Losal	Sikar	Danta,
9.	Higher Secondri School, Ajitgarh	Ajitgarh	Canwat	Srimadhopur
	GOVERNMENT MIDDLE SCHOOLS			
1.	Madhav M. S. Sikar	Sikar	Sikar	Sikar
2.	Kudan	Jerthi Dadiya	Jerthi	Sikar
3.	Singrawat	Singrawat	Dadiya Sikar	Sikar

	2	3	4	5
4.	Kolida	Kolida	Jerthi Dadiya	Sikar
5.	Katrathal.	Katrathal	Sikar	Sikar
6.	Laxmangarh	Laxmangarh	Laxmangarh	
7.	Kashwali	Laxmangarh	Laxamangarh	Laxmangarh
8.	Batranau.	Laxmangarh	Laxmangarh	Laxmangarh
9.	Khuri Rashidpura	Laxmaegarh	Khuri	Laxmangarh
10.	Balaran Balaran	Balaran	Laxmangarh	Laxmangarh
11.	Fatehpur Fatehpur	Fatehpur	Fatehpur	Fatehpur
12.	Bibipur Laxmangarh.	Laxmangarh	Laxmangarh	Laxmangarh
13.	Beswa	Beswa	Dundlod	Fatehpur
14.	Palsana	Palsana	Palsana	Danta
15.	Shishu	Shishu Ranoli	Ranoli	Danta
16.	Danta Ramgarh	Danta	Renwal	Danta
17.	Bai	Bai	Badhal	Danta
18.	Khoor	Khoor	Sikar	Danta.
19.	Pachar	Badhal	Badhal	Danta
20.	Khachariyawas	Khachariyabas	Renwal	Danta
21.	Gurara	Gurara	Palsana	Srimadhopur
22.	Jharli	Jharli	Kanawat	-do-
23.	Thoi	Thoi	Kanawat	-do-
24.	Deorala	Deorala	Srimadhopur	-do-
25.	Mundru	Mundru	-do-	-do-
26.	Sirohi	Sirohi	Neemkathana	-do-
27.	Mehroli	Mehroli	Reengus	-do-
28.	Reengus	Reengus	Reengus	-do-

1	2	3	4	5
29.	Guhala	Cuhala	Kanawat	Neemkathana
30.	Aasampur	Hasampur	Dabla	-do-
31.	Gaonri	Gaonri	Neemkathana	-do-
32.	Bhudoli	Bhudoli	Neemkathana	-do-
33.	Tada Dariba	Tada Dariba	-do-	-do-
34.	Raipura Jagir.	Raipura Jagir	-do-	-do-
35.	Maouda Khurad	Maonda Khurd	Maonda	-do-
36.	Chala	Chala	Khnawat	-do-
37.	Patan	Patan	Neemkathana	-do-
38.	Dubla	Dabla	Dabla	-do-
39.	Dhani Jorawarsingh	Thoi	Kanawat	Srimadhopur

AIDED AND RECOGNISED MIDDLE SCHOOL

1.	Hindi Vidya Bhavan Sikar	Sikar	Sikar	Sikar
2.	Gangadass Maroo M. S. Sikar	Sikar	-do-	-do-
3.	B. D. Bidawatji Ka M. S. Sikr	-do-	-do-	-do-
4.	Islamia M. S. Sikar	-do-	-do-	-do-
5.	M. S. Singhasana	-do-	-do-	-do-
6.	M. S. Hardayalpura	-do-	-do-	-do-
7.	M. S. Raghunathgarh	Raghunathgarh	-do-	-do-
8.	M. S. Jerthi Dadiya	Nawalgarh	Dadiya	Sikar
9.	M. S. Mechhwa	Mechhwa	Sikar	Laxmangarh
10.	M. S. Disnau	Laxmangarh	Laxmangarh	-do-
11.	Bal Sewa Sadan Fatehpur	Fatehpur	Fatehpur	Fatehpur

1	2	3	4	5
12.	Laminath Vidyalaya Fatehpur	Fatehpur	Fatehpur	Fatehpur
13.	Shyam Middle School Khatu	Khatu	Palsana	Danta
14.	M. S. Jairampura	Srimadhopur	Srimadhopur	Srimadhopur
15.	Ramanand M. S. Reengus	Reengus	Reengus	-do-
16.	M. S. Garbhopji	Thoi	Kanawat	-do-
17.	Jain M. S. Sikar	Sikar	Sikar	Sikar.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, मंगलवार, १८ फरवरी, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१२१३	शीर्ष	तारांकित प्रश्नोत्त	तारांकित प्रश्नोत्तर
१२१८	१६-१७	On confirmaiions ?	On confirmations ?
१२२२	८-९	फर्वरी	फरवरी
१२२४	३०	Necessity haye to	Necesarly have to
१२३०-३१	शीर्ष	-१७ फरवरी, १९५८-	-१८ फरवरी, १९५८-
१२४७	६	The Actf itself	The Act itself
१२५६	१८	अजमेर राज्य का विनियोजन लेखा	अजमेर राज्य का नियोजन लेखा
१२६०	१४	ज्यदा काम नहीं दे सकते	ज्यादा काम नहीं दे सकते
१२७१	शीर्ष	विद्य त् योजनाओं से प्राप्तियां	विद्युत् योजनाओं से प्राप्तियां
१२८५	अन्तिम से १० वीं	जो कमेटी सेटअप	जो कमेटी सेट अप
१२८८	१०	To move that	To move, that
,,	अन्तिम से ७	श्री चोधरी : Ye,	श्री चौधरी : Yes.,
१२९१	अन्तिम से ८	श्री पी० के० चोधरी	श्री पी० के० चौधरी
१२९८	१	(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)	(श्री मदनसिंह दांता)
१३०१	अन्तिम से ५	the reaasen is	The reason is
१३०४	२३	Lipuor to the dealers	Liquor to the dealers.
,,	२९	Lipuor must lose	Liquor must lose.
१३०५	अन्तिम से ६	Minise'r because	Minister because
१३०६	२१	श्री नाथूराम निर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
१३०९	२१	the Hon. Mamber	the Hon. Member
१३१२	६	Goning towithdraw	Going to with draw
१३१६	७	डेवलप्मेन्ट की दृष्टि से	डेवलपमेन्ट की दृष्टि से
१३१७	१७	जंगलों की ही आमदनी	जंगलों की ही आमदनी।
१३२१	१९	मैं तो जगदीशप्रशाद	मैं तो जगदीशप्रसाद
१३२१	अन्तिम	सरकार को भी	सरकार की भी
१३२३	अन्तिम से ३ री	Pleese !!	Please !!
१३२५	१०	में कहता हूं	मैं कहता हूं
१३२६	अन्तिम से ६	अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय,	अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय
१३२७	,, ,, ७	कारियों के साथ मी	कारियों के साथ भी
१३३०	२०	नियमों क्यिरली दिया	नियमों में क्लियरली दिया

१	२	३	४
१३३	अन्तिम से ४	जोसी सी० एफ है,	जो सी० सी० एफ़० है,
१३३६	७	**प्रबन्धी राजस्त्र व्यय**	**प्रबन्धित राजस्व व्यय**
,,	१०	साधारण राजस्वों से	साधारण राजस्व से
१३४३-१३५८	शीर्ष	पुलिस विभाग	पुलिस
१३६०	२३	अमुक राजनीतिक व्यक्ति	अमुक राजनैतिक व्यक्ति
१३६८	अन्तिम से ३	**श्री पुरुषोत्तमलाल**	**श्री पुरुषोत्तमलाल**
१३७६	१३	मुझे आशा है	मुझे आशा है
१४०६	शीर्ष	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
१४०७	,,	,,	,,
१४१०	शीर्ष	परिशिब्द	परिशिष्ट